सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

भारतीय रेल द्वारा संविदा श्रमिकों के नियोजन से संबन्धित सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन

मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार (रेलवे)

2018 की प्रतिवेदन संख्या 19

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

भारतीय रेल द्वारा संविदा श्रमिकों के नियोजन से संबन्धित सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन

मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए

_____*को लोक सभा/राज्य सभा में प्रस्तुत की गई*

संघ सरकार (रेलवे)

2018 की प्रतिवेदन संख्या 19

प्राक्कथन

इस प्रतिवेदन को संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में "भारतीय रेल द्वारा संविदा श्रमिकों के नियोजन से संबन्धित सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन" के विषय पर संघ सरकार के रेल मंत्रालय के लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में अप्रैल 2014 से मार्च 2017 की अवधि में लेखापरीक्षा नमूना जांच के दौरान पाये गए मामलों के साथ-साथ पूर्व वर्षों में पाये गए मामलें, जिन्हें पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किया जा सका, को उल्लिखित किया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखांकन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की गई है।

विषय-सूची

विवरण	*पैरा*	*पेज*
संक्षिप्त रूप		*i*
कार्यकारी सार		*iii to xiii*
अध्याय 1 - प्रस्तावना		
संविदा श्रमिकों के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों के बारे में बुनियादी अवधारणाएँ	1.1	1
संगठनात्मक ढाँचा	1.2	3
लेखापरीक्षा के उद्देश्य	1.3	3
लेखापरीक्षा मानदंड	1.4	3
लेखा परीक्षा क्षेत्र, कार्यप्रणाली और नमूना	1.5	4
आभार	1.6	6
अध्याय 2 – संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970, संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) केंद्रीय नियम, 1971, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 तथा न्यूनतम मजदूरी नियम, 1950 का अनुपालन		
अधिनियम के तहत मूल नियोक्ता का पंजीकरण	2.1	9
ठेकेदार द्वारा लाइसेंस प्राप्त करना	2.2	11
श्रमिकों के लिए सुविधाएं	2.3	13
श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान	2.4	15
निर्धारित रजिस्टरों और अभिलेखों का रखरखाव और संरक्षण	2.5	17
न्यूनतम मजदूरी अधिनयम, 1948 और न्यूनतम मजदूरी विनियम, 1950 का अनुपालन	2.6	20
श्रम आयुक्त द्वारा जांच और निगरानी	2.7	25
अध्याय 3 – कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 तथा कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 का अनुपालन		
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ ठेकेदार का पंजीकरण	3.1	28
प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के प्रावधान	3.2	31
ईपीएफ संगठन द्वारा चेक और निगरानी	3.3	31

विवरण	*पैरा*	*पेज*
अध्याय 4 – कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 एवं कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 का अनुपालन		
कर्मचारी राज्य बीमा निगम के साथ नियोक्ता (ठेकेदार) का पंजीकरण	4.1	33
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत नियोक्ता द्वारा कर्मचारी से कटौती और नियोक्ता से योगदान का भुगतान	4.2	34
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत योगदान का भुगतान करने के लिए प्रधान नियोक्ता की देयता	4.3	35
ईएसआईसी द्वारा जांच और निगरानी	4.4	36
अध्याय 5 – सांविधिक प्रावधानों का पालन न करने का प्रभाव		
लेखापरीक्षा में समीक्षा किए गए संविदाओं में संविदा श्रमिक के लिए कम भुगतान/भुगतान न करने/कम अंशदान/अंशदान न करने का प्रभाव	5.1	38
मूल नियोक्ता और ठेकेदारों द्वारा सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने का प्रभाव	5.2	39
अध्याय 6 – श्रम कानूनों के अनुपालन के संबंध में उत्तम प्रथाओं का वृत अध्ययन		
लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन के लिए ध्यान रखी जाने वाली कार्यकलापों की सूची	6.1	43
दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड (डीएमआरसी) में श्रम कानूनों के अनुपालन के संबंध में अच्छी प्रथाओं का वृत अध्ययन	6.2	47
रेलवे द्वारा श्रम कानूनों के संबंध में वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना	6.3	53
अध्याय 7 – निष्कर्ष तथा सिफ़ारिशें		
निष्कर्ष	7.1	55
सिफ़ारिशें	7.2	57
परिशिष्ट I to VI		*60-67*
अनुबंध 2.1 to 2.10, 3.1 to 3.3, 4.1 to 4.2 and 5.1 to 5.2		*68-84*

संक्षिप्त रूप

संक्षिप्त रूप	पूर्ण रूप
सी.ए .आर .एल .,1970	संविदा श्रमिक अधिनियम (विनिमयन और उत्पादन),1970
सी.सी .एल .	मुख्य श्रम आयुक्त
सी1971 .आर .आर .एल .	संविदा श्रमिक केन्द्रिय नियम (विनिमयन और उत्पादन),1971
सी.एल .डब्ल्यू.	चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स
म.रे.	मध्य रेलवे
डी. एल. डब्ल्यू.	डीजल लोकोमोटिव वर्क्स
पू.रे.	पूर्व रेलवे
ई.पी.एफ.व एम.पी.ए. 1952	कर्मचारी भविष्य निधि व विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
ई.पी.एफ.ओ.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
ई.पी.एफ.एस, 1952	कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952
ई.एस.आई. (जी.) आर., 1950	कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) अधिनियम, 1950
ई.एस.आई.ए., 1948	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
ई.एस.आई.सी.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम
ई.एस.आई. आर., 1950	कर्मचारी राज्य बीमा नियम, 1950
भा.रे.	भारतीय रेलवे
एम. डब्ल्यू.ए., 1948	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
एम. डब्ल्यू.आर., 1950	न्यूनतम मजदूरी नियम, 1950
उ.म.रे.	उत्तर मध्य रेलवे
उ.रे.	उत्तर रेलवे
उ.प.रे.	उत्तर पश्चिम रेलवे
प्रा.ई.	प्राथमिक इकाई
रे.उ.ई.	रेलवे उत्पादन इकाई
द.प.रे.	दक्षिण पश्चिम रेलवे

कार्यकारी सार

संविदा श्रमिकों के शोषण से रक्षा के लिए संसद ने कई कानून लागू किए हैं। ये प्रावधान कुछ प्रतिष्ठानों में संविदा श्रमिकों के रोजगार को विनियमित करते हैं और कुछ परिस्थितियों में इनका उन्मूलन करते हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य संविदा श्रमिकों को मूलभूत अधिकार प्रदान करना, उनका शोषण को रोकना और उनके लिए बेहतर काम करने की स्थिति सुनिश्चित करना है।

भारतीय रेल स्टेशन, कोच, वैगनों, लोकोमोटिव, ट्रैक इत्यादि सहित अपनी विभिन्न संपत्तियों के सृजन, मरम्मत और रखरखाव के लिए कई तरह के कार्यों को क्रियान्वित करता है। इन कार्यों को अपने स्वयं के कर्मचारियों के माध्यम से या बाहरी एजेंसियों के माध्यम से निष्पादित किया जाता है। भारतीय रेल के विभिन्न विभाग अर्थात यांत्रिक, वाणिज्यिक, संचालन, विद्युत, सिविल इंजीनियरिंग, संकेत एवं दूरसंचार, चिकित्सा, इत्यादि पर इन कार्यों को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी होती है। बाहरी एजेंसियां रेलवे के लिए काम करती हैं और रेलवे के संविदाओं के निष्पादन के लिए बाहरी श्रमिकों को भी शामिल करती हैं। एक बड़ी संख्या में इन श्रमिकों को 'संविदा श्रमिक' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कानूनों के सांविधिक प्रावधान 'मूल नियोक्ता' के रूप में भारतीय रेल के साथ-साथ सामान्यत: ठेकेदारों के रूप में संदर्भित बाह्य एजेंसियों दोनों को संविदा श्रमिकों की सुरक्षा का दायित्व प्रदान करती हैं। संविदा श्रमिक की सुरक्षा के लिए और उनको बेहतर कार्य स्थिति उपलब्ध कराने एवं उनके लाभ हेतु मुख्य कानूनों में संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम (सीएलआरए), **1970**, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (एमडब्ल्यूए), **1948**, कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम (इपीएफ एवं एमपीए), **1952** तथा राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम (ईएसआईए), **1948** शामिल है।

भारतीय रेल द्वारा ठेकेदारों के साथ संविदा के तहत कार्यरत सभी कार्मिक अधिनियमों एवं नियमों (कानूनी प्रावधानों) के प्रावधानों के अंतर्गत अनिवार्य रूप से आवृत हैं किंतु इसे लागू करने का उत्तरदायित्व अनिवार्य रूप से भारतीय रेल पर नहीं है। संविदा श्रमिक मूल नियोक्ता को प्रदत् परिणाम देने के लिए किसी और द्वारा नियुक्त किया गया श्रमबल है, जहां इस श्रमबल का मूल नियोक्ता के साथ नियोक्ता-कर्मचारी का सीधा संबंध नहीं है। जब कार्य एवं सेवाओं को आऊटसोर्स किया जाता है और किसी अन्य परिसर में कार्यान्वित किया जाता है जो परिसर मूल नियोक्ता के नियंत्रण या प्रबंधन के अधीन नहीं है, वहां सीएलआरए, **1970** लागू नहीं होगा। अन्य सभी आऊटसोर्स किए गए कार्य व सेवाएं, जो मूल नियोक्ता के परिसर में की जाती हैं, सीएलआरए, **1970** की परिधि में आते हैं।

यह अनिवार्य आवश्यकता नहीं है कि ठेकेदार द्वारा नियुक्त कामगार केवल तब संविदा श्रमिक होंगे जब ठेकेदार अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त कर लेता है। वैध लाइसेंस न रखने वाले ठेकेदार द्वारा नियुक्त कामगार भी संविदा श्रमिक होंगे। सीएलआरए, **1970** के प्रावधान उन संस्थानों एवं ठेकेदारों पर लागू होते हैं, जहां संविदा श्रमिक के रूप में बीस या अधिक कामगार नियुक्त हैं या पिछले बारह माह के दौरान एक दिन के लिए भी नियुक्त किए गए थे।

वर्तमान समीक्षा यह आकलन करने के लिए की गई कि क्या रेलवे प्रशासन और उसके ठेकेदारों ने संविदा श्रमिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए सांविधिक कानूनों और नियमों का अनुपालन किया है और यह कि रेलवे प्रशासन के पास संविदा श्रमिकों के सांविधिक कानूनों और नियमों के अनुपालन की निगरानी हेतु कोई तंत्र है।

लेखापरीक्षा में **2014-15** से **2016-17** तक तीन वर्षों की अवधि की लेखाओं की जांच की गई। संविदाओं तथा उनसे संबंधित अभिलेखों की जांच के अतिरिक्त चालू संविदाओं के मामले में रेलवे के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण के दौरान संरचित प्रश्नावली के माध्यम से **266** संविदाओं के अंतर्गत कार्यरत **928** संविदा श्रमिकों से प्रतिक्रिया प्राप्त की गयी। एकत्रित सूचना में, संविदा श्रमिक का नाम, ठेकेदार का नाम एवं पता जिसके लिए वे कार्य कर रहे थे और कब से, ठेकेदारों के कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) तथा कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) के कोड, क्या वे अपनी हकदारियों के बारे में अवगत हैं, क्या वे नकद या बैंक से भुगतान प्राप्त कर रहे हैं, प्रदत्त राशि, कितने घंटे उन्होंने काम किया, साप्ताहिक विश्राम दिनों हेतु किए गए भुगतान, प्रदत्त बोनस, बकाया देयताएं, यदि कोई है, आदि जैसे ब्यौरे शामिल हैं।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष

सीएलआरए 1970 तथा सीएलआरआर, 1971 के प्रावधानों का अनुपालन

सीएलआर, **1970** तथा सीएलआरआर, **1971** के प्रावधानों के अनुसार मूल नियोक्ता को मुख्य श्रम आयुक्त (सीएलसी) के संगठन में पंजीकरण कराना है तथा सीएलसी को निश्चित समय सीमा में रिटर्न प्रस्तुत करनी है। ठेकेदारों के भी सीएलसी के पास पंजीकरण कराना और निर्धारित समय सीमा में रिटर्न प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उन्हें लाइसेंस समाप्त होने से पहले इस का नवीनीकरण कराना भी आवश्यक है। उन्हें संविदा श्रमिकों को मुलभूत सुविधाएं जैसे विश्राम कक्ष, पेयजल, मूत्रालय, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स आदि उपलब्ध कराना आवश्यक है। संविदा श्रमिकों को निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए भुगतान करना अपेक्षित है और यह

भुगतान बैंक/चैक द्वारा किया जाना चाहिए। अधिनियम के तहत निर्धारित अभिलेखों को मूल नियोक्ता के साथ-साथ ठेकेदार द्वारा रख-रखाव करना आवश्यक है और उक्त का संरक्षण निर्धारित अवधि हेतु किया जाना है।

लेखापरीक्षा ने नौ जोनल संरचनाओं में **463** संविदाओं की समीक्षा की और पाया कि

- **140** संविदाओं में, रेल प्रशासन मुख्य श्रम आयुक्त के संगठन में पंजीकृत था।

पैरा **2.1**

- केवल **17** संविदाओं में मूल नियोक्ता **(रेलवे)** ने निर्धारित अवधि में संविदाओं के शुरू होने और समापन की तिथियों के संबंध में सीएलसी को रिटर्न प्रस्तुत की थी। **278** संविदाओं के संबंध में, लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए।

पैरा **2.1.1**

- रेलवे ने मूल नियोक्ता के रूप में केवल **12** संविदाओं में मुख्य श्रम आयुक्त के संगठन को वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत किया।

पैरा **2.1.2**

- **172** संविदाओं में ठेकेदार ने सीएलसी से लाइसेंस प्राप्त नहीं किए थे और **207** संविदाओं में, लेखापरीक्षा को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। **34** संविदाओं में, ठेकेदारों ने कार्य शुरू करने से पहले आवश्यक लाइसेंस प्राप्त किये और **50** संविदाओं में लाइसेंस कार्य शुरू होने के **750** दिनों के विलंब के बाद प्राप्त किए गए। इन **84** संविदाओं में से,
  - केवल **37** संविदाओं में लाइसेंस संबंधित कार्य स्थलों पर ठेकेदार द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदर्शित पाये गये।
  - **14** संविदाओं में, संविदा श्रमिकों की तैनाती श्रम विभाग से प्राप्त लाइसेंस में निर्दिष्ट संख्या से अधिक थी। इन संविदाओं में आधिक्य **200** संविदा श्रमिक तक था।
  - **14** संविदाओं में, ठेकेदारों द्वारा लाइसेंसों की उनकी वैधता समाप्त होने के बाद नवीनीकरण नहीं कराया गया।

पैरा **2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3**

- **285** संविदाओं के संबंध में, ठेकेदारों ने श्रम आयुक्त के कार्यालय में कोई रिटर्न प्रस्तुत नहीं की। शेष संविदाओं के संबंध में, लेखापरीक्षा को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।

पैरा **2.2.4**

- ठेकेदारों द्वारा कामगारों को उपलब्ध कराई जाने वाले सुविधाओं के संबंध में, यद्यपि सुविधाएं जैसे पेयजल, मूत्रालय आदि संविदा श्रमिकों को उपलब्ध कराई गईं, कई मामलों में लेखापरीक्षा को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। लेखापरीक्षा **15** प्रतिशत संविदाओं में विश्राम कक्षों के प्रावधान और **21** प्रतिशत संविदाओं में पेयजल तथा मूत्रालयों के प्रावधान से संबंधित आश्वासन प्राप्त नहीं कर सका। इसी प्रकार लेखापरीक्षा द्वारा दवाईयों के साथ प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स तथा अन्य संबंधित अवयवों की उपलब्धता के बारे में आवश्यक आश्वासन समीक्षा की गई **37** प्रतिशत संविदाओं में ही प्राप्त किया जा सका।

पैरा **2.3.1, 2.3.2** और **2.3.3**

- सभी **463** संविदाओं में ठेकेदारों द्वारा मजदूरी के भुगतान के बारे में नोटिस मूल नियोक्ता/मूल नियोक्ता के नामिती को नहीं भेजी गयी थीं। रेलवे ने मूल नियोक्ता या उसके नामिती को संविदा श्रमिकों को भुगतान सुनिश्चित करने और गैर-भुगतान/ कम भुगतान के मामले में ठेकेदारों से उसकी वसूली के लिए कोई निर्देश जारी नही किए थे। रेल प्रशासन ने सभी **463** संविदाओं में मजदूरी के वितरण के समय उपस्थिति रहने हेतु किसी अधिकृत प्रतिनिधि को नामित नहीं किया था। संविदा श्रमिकों को बैंक/चैक द्वारा भुगतान सुनिश्चित करने के लिए रेलवे बोर्ड के अनुदेशों के बावजूद उक्त को केवल **82** संविदाओं में ही सुनिश्चित किया जा सका था। **212** संविदाओं में, भुगतान के माध्यम से संबंधित सूचना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

पैरा **2.4**

- **313** संविदाओं के संबंध में मूल नियोक्ता (रेलवे) द्वारा, अधिनियमों तथा नियमों के तहत अपेक्षित अभिलेख/रजिस्टरों का रख-रखाव नहीं किया गया था। **120** संविदाओं के संबंध में, उपरोक्त अधिनियमों तथा नियमों के अनुपालन हेतु यथा अपेक्षित अभिलेख/रजिस्टर लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए। ठेकेदारों ने **164** संविदाओं के संबंध में उपस्थिति रजिस्टरों, **122** संविदाओं के संबंध में मजदूरी रजिस्टरों तथा केवल **18** संविदाओं में मजदूरी स्लिप का रख-रखाव किया था। एक बड़ी संख्या में पूर्ण हो चुके संविदाओं में निर्धारित समयावधि के अनुसार अभिलेखों को भी संरक्षित नहीं रखा गया था।

पैरा **2.5**

एमडब्ल्यूए, 1948 तथा एमडब्ल्यूआर, 1950 के प्रावधानों का अनुपालन

ठेकेदारों द्वारा संविदा श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान एमडब्ल्यूए, **1948** के प्रावधानों के अनुसार करना अपेक्षित है। रेलवे बोर्ड सभी क्षेत्रीय इकाइयों को

समय-समय पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दरें भी संचारित करता है।

लेखापरीक्षा ने नौ जोनल संरचनाओं में **463** संविदाओं की समीक्षा की और पाया कि

- एमडब्ल्यूए, **1948** के प्रावधान के अनुपालन में केवल **105** संविदाओं में न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया गया। संविदा श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान **129** संविदाओं में सुनिश्चित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने न्यूनतम मजदूरी के भुगतान के प्रति संविदा अवधि में **3310** संविदा श्रमिकों को ₹ **9.23** करोड़ के कम भुगतान का मूल्यांकन किया। **229** संविदाओं के संबंध में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गए।

पैरा **2.6.1**

- **120** संविदाओं में ठेकेदारों ने विश्राम दिनों के लिए मजदूरी का भुगतान किया और **62** संविदाओं में ठेकेदारों ने निर्धारित प्रावधानों के अनुसार मजदूरी का भुगतान नहीं किया था। लेखापरीक्षा द्वारा संविदा अवधि के लिए **2745** संविदा श्रमिकों को ₹ **5.41** करोड़ का कम न्यूनतम मजदूरी भुगतान का मूल्यांकन किया गया। लेखापरीक्षा को **239** संविदाओं में संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए।

पैरा **2.6.2**

- **49** संविदाओं के संबंध में ठेकेदारों ने मजदूरों को न तो कोई विश्राम दिया और न ही न्यूनतम मजदूरी की दोगुना दर पर देय विश्राम दिन के लिए मजदूरी का भुगतान किया जैसा कि नियम के तहत आवश्यक था। **268** संविदाओं में, लेखापरीक्षा को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए।

पैरा **2.6.3**

- **49** संविदाओं में, ठेकेदारों ने **10** दिनों से अधिक लगातार कार्य करने के बावजूद श्रमिकों को कोई विश्राम दिन नहीं प्रदान किए थे। **215** संविदाओं में, लेखापरीक्षा को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। **30** संविदाओं में, ठेकेदारों ने एक दिन में **9** और **12** घंटे के बीच तैनात संविदा श्रामिकों को कोई भुगतान नहीं किया। लेखापरीक्षा ने संविदा अवधि के दौरान **830** संविदा श्रमिकों को ₹ **1.74** करोड़ के कम भुगतान का मूल्यांकन किया।

पैरा **2.6.4**

- लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, रेलवे प्रशासन के अभिलेखों में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका जिससे यह जाना जा सके कि सीएलआरए, **1970** और एमडब्ल्यूए,

1948 के प्रावधानों के अनुपालन की जांच करने के लिए श्रम आयुक्त के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किए गए थे। श्रम एवं नियोजन मंत्रालय की नई निरीक्षण नीति के तहत, सीएलसी केवल उस इकाई का निरीक्षण करेगा यदि वह सीएलसी के पास पंजीकृत है और निर्धारित मानदंड़ के अनुसार निरीक्षण के लिए चयनित की गई है अथवा उनके संबंध में कोई शिकायत/परिवाद प्राप्त हुआ है। अतः श्रम आयुक्त के संगठन द्वारा निगरानी सुनिश्चित करने के लिए मूल नियोक्ता के साथ-साथ ठेकेदार का पंजीकरण अति महत्वपूर्ण है।

पैरा **2.7**

ईपीएफ और एमपीए, 1952 और ईपीएफएस, 1952 के प्रावधानों का अनुपालन

संबन्धित अधिनियम और नियम कर्मचारियों को निर्दिष्ट प्रतिष्ठान में, भविष्य निधि, पेंशन व जमा खाता लिंक और प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। ईपीएफ और एमपीए, **1952** और एमपीएफएस, **1952** के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व ईपीएफ संगठन का है। कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान के प्रति मजदूरी का **12** प्रतिशत का योगदान कर्मचारी करता है। नियोक्ता भी **12** प्रतिशत का योगदान करता है जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि के प्रति **3.67** प्रतिशत और पेंशन योजना के प्रति **8.33** प्रतिशत शामिल है। अधिनियम के तहत, मूल नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ठेकेदार ईपीएफओ में पंजीकृत है, उसके द्वारा नियुक्त संविदा श्रमिक को पीएफ खाता संख्या आवंटित किए गए हैं, संविदा श्रमिक से पीएफ में अंशदान के लिए कटौती की गयी है और उसे नियोक्ता के अंशदान की राशि के साथ ईपीएफओ में जमा किया गया है।

नौ जोनल संरचनाओं में **463** संविदाओं की लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा की गई और पाया गया कि

- रेलवे प्रशासन ने केवल **20** संविदाओं में ठेके दिये जाने से पहले ईपीएफओ में ठेकेदार के पंजीकरण का सत्यापन किया। **431** संविदाओं में, अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गए।

पैरा **3.1.1**

- केवल **46** संविदाओं में पाया गया कि ठेकेदारों के द्वारा पीएफ पंजीकरण लिया गया। **321** संविदाओं में, अभिलेख में सूचना उपलब्ध नहीं थी।

पैरा **3.1.2**

- केवल **61** संविदाओं में, संविदा श्रमिक की पीएफ खाता संख्या उपलब्ध थी। **249** संविदाओं में, संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए।

पैरा **3.1.3**

- **125** संविदाओं में पाया गया कि **3678** कर्मचारियों से **₹2.07** करोड़ की ईपीएफ कटौतियां नहीं की गई/कम कटौती की गई। **306** संविदाओं में, लेखापरीक्षा को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। **128** संविदाओं में, **3731** कर्मचारियों के संबंध में यह पाया गया कि **₹2.54** करोड़ के नियोक्ता के अंशदान की कटौती नहीं की गई थी/कम कटौती की गई। **312** संविदाओं में लेखापरीक्षा को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए।

पैरा **3.1.4**

- लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, रेलवे प्रशासन के अभिलेखों में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका जिससे यह विदित हो कि उपरोक्त अधिनियमों और नियमावली के तहत सांविधिक दायित्वों को पूरा करने के लिए और निर्धारित नियमों और प्रावधानों के अनुपालन की जांच करने के लिए ईपीएफओ अधिकारियों के द्वारा कोई निरीक्षण किया गया था। श्रम एवं नियोजन मंत्रालय की नई निरीक्षण नीति के तहत, ईपीएफओ, एक इकाई का निरीक्षण केवल तभी करेगा जब वह इकाई उनके पास पंजीकृत हो और निर्धारित मानदंड के अनुसार निरीक्षण के लिए चयनित की गई हो अथवा उनके संबंध में कोई शिकयत/परिवाद मिला हो। इस प्रकार, ठेकेदारों पर अधिनियम और नियम की प्रयोज्यता के लिए स्वयं को आश्वस्त करना और ईपीएफओ में उनके पंजीकरण को सुनिश्चित करना मूल आवश्यक आवश्यकता होगी, जिसे मूल नियोक्ता को अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों के अनुपालन के लिए सुनिश्चित करना है।

पैरा **3.3**

ईएसआईए, 1948 और ईएसआई(जी) आर, 1950 का अनुपालन

ईएसआईए, **1948**, बीमारी, मातृत्व और रोजगार के समय घायल होने के मामलों में कर्मचारियों को निश्चित लाभ प्रदान करने के लिए और इसके संबंध में कुछ अन्य मामलों के लिए प्रावधान बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था। अधिनियम और नियम उन प्रतिष्ठानों पर लागू हैं जहां पिछले **12** महीनों में किसी भी दिन **10** (कुछ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में **20**) या उससे अधिक लोग नियुक्त किये गये हैं। नियोक्ता (ठेकेदारों) को ईएसआईसी से नियोक्ता कोड के लिए आवेदन करना और प्राप्त करना आवश्यक है, संविदा श्रमिक को आवंटित की गयी ईएसआई खाता संख्या प्राप्त करना और यह सुनिश्चित करना कि संविदा श्रमिक से ईएसआई के लिए अंशदान की कटौती की गयी है और उसे नियोक्ता के अंशदान के साथ

ईएसआईसी में जमा किया गया है। मूल नियोक्ता अपने सभी कर्मचारियों के संबंध में, ठेकेदार के माध्यम से कार्य में लगाये गए संविदा श्रमिक सहित, अंशदान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और कम कटौती/नहीं की गयी कटौती अंशदान के पाये जाने पर ठेकेदार के बिलों से कटौती करने के लिए ज़िम्मेदार है।

नौ जोनल संरचनाओं में **463** संविदाओं की लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा की गई और देखा गया कि

- **116** संविदाओं में, ठेकेदार ईएसआईसी के क्षेत्रीय कार्यालयों में पंजीकृत नहीं थे, और नियोक्ता कोड संख्याएं आवंटित नहीं की गई थी। **235** संविदाओं से संबन्धित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

पैरा **4.1.1**

- **148** संविदाओं में, ईएसआई खाता संख्याएं प्राप्त नहीं की गयी थी और **266** संविदाओं में, प्रासंगिक अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

पैरा **4.1.2**

- **92** संविदाओं में, **1888** संविदा श्रमिकों से **₹0.24** करोड़ की ईएसआई कटौती नहीं की गई/कम कटौती की गई थी। **302** संविदाओं में प्रासंगिक अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे। **98** संविदाओं में, **2278** कर्मचारियों के संबंध में पाया गया कि **₹0.78** करोड़ नियोक्ता के अंशदान की कटौती नहीं की गई/कम कटौती की गई थी। **335** संविदाओं में, लेखापरीक्षा को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

पैरा **4.2**

- रेलवे प्रशासन द्वारा ठेकेदार के बिलों से राशि की वसूली के लिए और इसे ईएसआईसी में जमा कराने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। किसी भी संविदा में कटौती नहीं होने/कम कटौती के ऐसे मामलों का पता लगाने और अनुपालन कार्रवाई करने के लिए कोई भी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मौजूद नहीं है।

पैरा **4.3**

- लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, रेलवे प्रशासन के अभिलेखों में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका जिससे यह विदित हो कि उपरोक्त अधिनियमों और नियमावली के तहत सांविधिक दायित्वों को पूरा करने के लिए और निर्धारित नियमों और प्रावधानों के अनुपालन की जांच करने के लिए ईएसआईसी अधिकारियों के द्वारा कोई निरीक्षण किया गया था। श्रम एवं नियोजन मंत्रालय की नई निरीक्षण नीति के तहत, ईएसआईसी एक इकाई का निरीक्षण केवल तभी करेगा यदि वह उनके पास पंजीकृत है और निर्धारित मानदंड के अनुसार निरीक्षण के

लिए चयनित किए गए हैं अथवा उसके संबंध में कोई शिकायत/परिवाद प्राप्त हुआ है। इस प्रकार, ठेकेदारों पर अधिनियम और नियम की प्रयोज्यता को स्वयं आश्वस्त करना और ईएससीआई में उनके पंजीकरण को सुनिश्चित करना मूलभूत आवश्यक आवश्यकता होगी जिसे अधिनियम और नियम के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में मूल नियोक्ता द्वारा सुनिश्चित किया जाना है। इसके अतिरिक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत, मूल नियोक्ता अपने सभी कर्मचारियों के संबंध में, ठेकेदार के माध्यम से लगाए गए संविदा श्रमिक को सम्मिलित करते हुए, अंशदान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

पैरा **4.5**

सांविधिक प्रावधानों के अननुपालन का प्रभाव

- चयनित रेलवे सरंचनाओं में **₹873.40** करोड़ मूल्य की **463** संविदाओं में से, **₹ 224.30** करोड़ मूल्य के **151** संविदाओं के मामले में, अपेक्षित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गए। **₹649.10** करोड़ मूल्य के शेष **312** संविदाओं में शामिल **8998** संविदा श्रमिक में से, **₹408.20** करोड़ मूल्य के **210** संविदाओं में, **6366** संविदा श्रमिक पर **₹26.14** करोड़ का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यह **312** संविदाओं के मूल्य का **4.02** प्रतिशत आंका गया। **2016-17** के दौरान, भारतीय रेल द्वारा लगभग **₹35098** करोड़ के संविदात्मक भुगतान किए गए थे। **312** संविदाओं में लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर और **4.02** प्रतिशत के प्रतिकूल प्रभाव से, भारतीय रेल में संविदात्मक भुगतानों पर अनुमानित प्रतिकूल प्रभाव **₹35098** करोड़ का **4.02** प्रतिशत अर्थात् **₹1410.94** करोड़ होगा।

पैरा **5.2**

- लेखापरीक्षा ने गैर-रेल संगठन, दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड में प्रणाली और नियंत्रण की समीक्षा की और देखा कि उचित अनुमान तैयार कर, केवल अर्हक ठेकेदारों को संविदा प्रदान कर, संविदा के व्यापक नियम और शर्तों, भुगतान करते समय जांच सुनिश्चित करके तथा प्रतिबद्ध श्रम कल्याण दलों द्वारा अनुपालनों की निगरानी के माध्यम से, वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी के लिए एक तंत्र स्थापित किया जा सकता है। मूल नियोक्ता के साथ-साथ ठेकेदारों के द्वारा सांविधिक प्रावधानों के सुचारू अनुपालन को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा महत्वपूर्ण परिवर्तन शुरू किये गए हैं, जो भारतीय रेल द्वारा इनके अनुपालन को सहज बनायेगा।

पैरा **6.2**

सिफारिशें

1. भारतीय रेल में मूल नियोक्ताओं को सीएलआरए, 1970 ईपीएफ व एमपीए, 1952 तथा ईएसआईए 1948 के प्रावधानों के संबंध में संविदा श्रम के संबंध मे कुछ दायित्व हैं। रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई/एलएल/70एटी/सीएनआर/1-3 दिनांक 15.10.1971 के अनुसार भारतीय रेल ने मूल नियोक्ताओं की श्रेणी, जैसे मंडलों में मंडलीय अधिकारी, वरिष्ठ यांत्रिक अभियंता, उप प्रमुख यांत्रिक अभियंता या कार्यशाला के संबंध में कार्य प्रबंधक, भंडार डिपो के संबंध में भंडार नियंत्रक, निर्माण के संबंध में कार्यकारी अभियंता और मुख्यालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित संविदाओं के मामले में विभागाध्यक्ष को निर्दिष्ट किया है। उन्हें अपने प्रशासनिण नियंत्रण के अधीन भारतीय रेलवे के प्रतिनिधि के रूप में संविदा श्रम को शासित करने वाले अधिनियमों तथा नियमों की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए।
2. संविदा श्रम से संबंधित वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन हेतु निम्नलिखित नियंत्रण स्थापित किये जा सकते है:

   क. श्रमिक घटक के अनुमानों की तैयारी समय-समय पर केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा नियत न्यूनतम मजदूरी, ठेकेदारों द्वारा ईपीएफ, ईएसआईसी और अन्य संबंधित लागत के लिए अपेक्षित अंशदान की अतिरिक्त राशि को ध्यान में रखकर की जा सकती है।

   ख. अननुपालना हेतु जुर्माने सहित, श्रम कानूनों से संबंधित वैधानिक निविदा दस्तावेजों/ संविदाओं की सामान्य शर्तों/संविदा की विशेष शर्तों, प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए शर्तों को व्यापक सूची में शामिल किया जा सकता है। निविदा दस्तावेजों में देय मजदूरी का समय से भुगतान, श्रमिक हेतु सुविधाएं, श्रमिक की सुरक्षा आदि से संबंधित नियम एवं शर्तों को शामिल करना चाहिए।

   ग. ठेके ऐसे ठेकेदारों/एजेंसियों को दिये जाएँ, जो श्रम विभाग, ईपीएफओ और ईएसआईसी आदि के साथ पंजीकृत हों।

   घ. संगठन के विभिन्न विभागों के मूल नियोक्ताओं को पहचान कर उन्हें नामित किया जाये। मूल नियोक्ताओं के जिम्मेदारियों की एक व्यापक सूची को मूल नियोक्ता द्वारा जांच के लिए जारी किया जाये।

   ङ. मूल नियोक्ता द्वारा प्रभावी निगरानी के लिए एक तंत्र की स्थापना एक समर्पित कक्ष/टीम बनाकर की जाये जिसे संगठन में श्रम कानूनों के अनुपालन के प्रवर्तन हेतु सम्पूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। इन टीमों को अनुपालन की जांच करने हेतु कार्य स्थलों एवं रिकॉर्डों का निरीक्षण करने

की शक्तियां दी जाए और जो ठेकेदारों को भुगतान करने से पहले अनुमति प्रदान करें। ऐसे निरीक्षणों हेतु विस्तृत जांच सूची भी जारी करनी चाहिए।

च. ठेकेदार द्वारा जमा करने के लिए दस्तावेजों की एक अनिवार्य सूची निर्धारित की जाए जिसके बिना ठेकेदारों के बिलों को पास नहीं किया जाना चाहिए। ठेकेदार के बिलों को पास करने से पहले अनुपालन के जांच हेतु व्यापक जांच सूची भी निर्धारित की जाये।

3. *संविदाएँ जो प्रगति में हैं, के लिए सभी क्षेत्रीय रेलवे के रेलवे प्रशासन, मूल नियोक्ताओं को निर्देश दें की वे पिछले 12 महीनों में अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत अभी संविदाओं की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि क्या अधिनियमों के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारियों के साथ वे पंजीकृत हैं और स्वयं को निर्धारित प्राधिकारियों के साथ पंजीकृत करें।*
4. *निर्माण कार्यों में, जहां ठेकेदारों पर सीएलआरए, 1970 की प्रयोज्यता स्थापित है, ठेकेदार को श्रम आयुक्त से लाइसेंस के लिए आवेदन करने का निर्देश दिये जाएँ। यदि वह ऐसा करने में विफल होता है, तो श्रम आयुक्त को सूचित किया जाए, ताकि ठेकेदारों के खिलाफ आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई की जा सके।*
5. *मूल नियोक्ताओं के दायित्वों, मूल नियोक्ता के नामित उम्मीदार के कार्य, भुगतान प्राधिकारियों के कार्य और निर्दिष्ट प्राधिकारियों के पास प्रासंगिक रिटर्न भरने से संबंधित कार्यों को स्पष्ट करते हुए क्षेत्रीय रेलवे द्वारा संयुक्त प्रक्रिया आदेश जारी किये जाने चाहिए।*
6. *सभी चालू संविदाओं में, कम भुगतान, कम कटौती और कम अंशदान की गणना की जाये, उन्हें सत्यापित किया जाये और अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार रेलवे प्रशासन द्वारा संबंधित संविदा श्रमिक को कम राशि/भुगतान नहीं की गई राशि का भुगतान किया जाये। जहां लागू हो, ऐसे भुगतान की गई राशि ठेकेदारों से वसूल की जानी चाहिए।*
7. *रेलवे ठेकेदारों को ईपीएफ व एमपीए, 1952 एवं ईपीएफएस, 1952 के प्रावधानों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें और बेरोजगार व्यक्तियों की भर्ती को बढ़ावा देने के लिए हाल में शुरू की गई प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत प्रभावी रूप से प्रोत्साहनों का लाभ उठाएँ, जिससे अनौपचारिक कर्मचारियों को औपचारिक रूप से लेखा पुस्तकों में लाया जा सके।*
8. *रेलवे वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन की निगरानी के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा और/या अन्तर-अनुशासनात्मक टीम के माध्यम से एक प्रभावी नियंत्रण तंत्र स्थापित करने पर विचार कर सकता है। इस मुद्दे पर रेलवे अधिकारियों के विभिन्न स्तरों के मध्य जागरूकता लाने के लिए भी उपाय किए जाएँ।*

अध्याय 1
प्रस्तावना

संविदा श्रमिकों के शोषण से रक्षा के लिए संसद ने कई कानून लागू किए हैं। ये प्रावधान कुछ प्रतिष्ठानों में संविदा श्रमिकों के रोजगार को विनियमित करते हैं और कुछ परिस्थितियों में इनका उन्मूलन करते हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य संविदा श्रमिकों को मूलभूत अधिकार प्रदान करना, उनके शोषण को रोकना और उनके लिए बेहतर काम करने की स्थिति सुनिश्चित करना है।

भारतीय रेल, स्टेशन, कोच, वैगनों, लोकोमोटिव, ट्रैक इत्यादि सहित अपनी विभिन्न संपत्तियों के सृजन, मरम्मत और रखरखाव के लिए कई तरह के कार्यों को क्रियान्वित करता है। इन कार्यों को अपने स्वयं के कर्मचारियों के माध्यम से या बाहरी एजेंसियों के माध्यम से निष्पादित किया जाता है। भारतीय रेल के विभिन्न विभाग अर्थात यांत्रिक, वाणिज्यिक, संचालन, विद्युत, सिविल इंजीनियरिंग, संकेत एवं दूरसंचार, चिकित्सा, इत्यादि पर इन कार्यों को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी होती है। बाहरी एजेंसियां रेलवे के लिए काम करती हैं और रेलवे के संविदाओं के निष्पादन के लिए बाहरी श्रमिकों को भी शामिल करती हैं। एक बड़ी संख्या में इन श्रमिकों को 'संविदा श्रमिक' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कानून के वैधानिक प्रावधानों के द्वारा संविदा श्रमिकों के संरक्षण का दायित्व 'मूल नियोक्ता' के रूप में भारतीय रेल तथा बाहरी एजेंसियों, जो 'ठेकेदार' के रूप में प्रचलित है, के पास है। श्रमिकों की सुरक्षा के लिए प्रमुख विधानों में से एक संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम (सीएलआरआर), 1970 है।

भारतीय रेल द्वारा ठेकेदारों के साथ संविदा के तहत लगे सभी कर्मचारी अनिवार्य रूप से अधिनियमों और नियमों (विधायी प्रावधान) के लाभकारी प्रावधानों के दायरे में आते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि भारतीय रेल पर मूल नियोक्ता का दायित्व आए। निम्नलिखित पैराग्राफ में विधान, नियमों और विभिन्न न्यायिक घोषणाओं के आधार पर संविदा श्रमिकों के संवैधानिक प्रावधानों के बारे में बुनियादी अवधारणाओं पर चर्चा की गई है।

1.1 संविदा श्रमिकों के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों के बारे में बुनियादी अवधारणाएँ

1.1.1 'संविदा श्रमिक 'क्या होता है

संविदा श्रमिक एक ऐसा शब्द है जिसे कोई अन्य व्यक्ति, मूल नियोक्ता को दिए जाने वाले परिणाम के लिए श्रमिकों (manpower) के रूप मे लगाता है, जहां इन श्रमिकों का मूल नियोक्ता के साथ नियोक्ता-कर्मचारी जैसा कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। इसमें ठेकेदारों के द्वारा मूल नियोक्ता को श्रमिकों की आपूर्ति करना भी

शामिल है, जहां ठेकेदार विनिर्दिष्ट गतिविधियों में शामिल नहीं होता है। इस प्रकार, संविदा श्रम प्रणाली केवल बाहरी स्रोतों तक ही सीमित नहीं है। 'संविदा श्रमिक' श्रमिकों के समूह को दर्शाता है जबकि 'बाहरी स्रोतो के ठेके' कार्य या गतिविधि को दर्शाते है।

जब ठेके के कार्य और सेवाओं को बाह्य स्रोतों के द्वारा किसी अन्य परिसर में किया जाता है, जो कि मूल नियोक्ता के नियंत्रण और प्रबंधन के तहत नहीं है, तो वहाँ सीएलआरआर, 1970 लागू नहीं होगा। अन्य सभी वाह्य स्रोतों से ठेके के कार्य और सेवाएँ, जो मूल नियोक्ता के परिसर में की जाती हैं, सीएलआरआर, 1970 के अंतर्गत आएंगी।

1.1.2 मूल नियोक्ता को संविदा श्रमिको के चयन में किसी प्रकार के हस्तक्षेप का अधिकार नही है

एक बार यदि किसी ठेकेदार को कार्य/सेवाओं/गतिविधियों का कार्य निर्धारित करार के तहत आवंटित किया गया हो, तो उसमें मूल नियोक्ता को संविदा श्रमिकों के चयन में किसी प्रकार के हस्तक्षेप का अधिकार नही है। यदि मूल नियोक्ता ठेकेदार के नाम परसंविदा श्रमिकों का चयन कर रहा है, तो वहाँ मूल नियोक्ता तथाकथित संविदा श्रमिकों का नियोक्ता हो जायेगा।

1.1.3 उप-संविदा के संविदा में मूल नियोक्ता का दायित्व

जहां कार्य के लिए ठेकेदार द्वारा उप-संविदा की जाती है, वहाँ संविदा में ठेकेदार एवं मूल नियोक्ता का दायित्व एकसमान है, क्योंकि सीएलआरआर, 1970 के प्रावधानों के अनुसार, उप-ठेकेदार ठेकेदार की परिभाषा में शामिल है। उप-संविदा के परिणाम स्वरूप भी, मूल नियोक्ता में परिवर्तन नहीं होता है।

1.1.4 संविदा श्रमिक के आवश्यक अवयव इस प्रकार हैं:

- ठेकेदार[1] द्वारा या ठेके द्वारा रोजगार दिया गया है
- वह 'कामगार' (श्रमिक)[2] होना चाहिए
- वह प्रतिष्ठान में या उससे जुड़े कार्य में, कार्यरत होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के प्रतिष्ठान के कार्य में कार्यरत हो तो वह संविदा श्रमिक होगा।
- वह प्रतिष्ठान में या प्रतिष्ठान के कार्य के लिए किराए पर लिया गया है, जहाँ वह रोजगार पर है।
- उसका रोजगार मूल नियोक्ता की जानकारी में या उसके बिना हो सकता है|

[1]सं.श्र.वि. व उ. 1970 का खण्ड 2 (1) (सी)

[2]जैसा की सं.श्र.वि. व उ. 1970 का खण्ड 2 (क) (i) में परिभाषित किया गाय है।

- यह अनिवार्य नहीं है कि केवल जहाँ पर ठेकेदार द्वारा कामगारों के रोजगार का लाईसेंस अधिनियम के अधीन लिया गया है, वे कामगार ही संविदा श्रमिक होंगे। वह कामगार जिसे ठेकेदार द्वारा वैध लाईसेंस नहीं होने के बाद भी अपने साथ लगाया गया हो, वह भी **संविदा श्रमिक** होगा।
- सीएलआरआर, 1970 के प्रावधान उन प्रतिष्ठानों और ठेकेदारों के लिए लागू होते हैं, जिनमें पूर्ववर्ती बारह महीनों के दौरान बीस या अधिक मजदूरों को एक दिन के लिए भी **संविदा श्रमिक** के रूप में नियोजित किया है या किया था।

1.2 संगठनात्मक ढाँचा

रेलवे बोर्ड भारतीय रेलवे की सर्वोच्च संस्था है जो रेल मंत्री को रिपोर्ट करती है। रेलवे बोर्ड की अध्यक्षता, अध्यक्ष रेलवे बोर्ड (सीआरबी) करते हैं और इसके पांच प्रभारी सदस्य ट्रैक्शन, रोलिंग स्टॉक, ट्रैफिक, स्टाफ और इंजीनियरिंग और वित्त आयुक्त (रेलवे) होते हैं। बोर्ड, रेल सेवाओं, अधिग्रहण, निर्माण और संपत्ति के संचालन और रखरखाव के सभी मामलों पर नीतियों को निर्धारित करने और क्षेत्रीय रेलवे में नीतियों और निर्देशों की निगरानी/कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। प्रत्येक सदस्य के अंतर्गत एक कार्यात्मक निदेशालय, नीतियों को निर्धारित करने तथा रेलवे कार्यों की निगरानी के लिए होता है। क्षेत्र स्तर पर, 17 क्षेत्रीय रेलवे हैं जिनमें क्षेत्रीय रेलवे के अधिकारियों की विभागवार पदानुक्रम **परिशिष्ट 1** में अंकित है।

1.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

वर्तमान समीक्षा यह आकलन करने के लिए की गई कि क्या रेलवे प्रशासन और उसके ठेकेदारों ने संविदा श्रमिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए सांविधिक कानूनों और नियमों का अनुपालन किया है और यह कि रेलवे प्रशासन के पास संविदा श्रमिकों के सांविधिक कानूनों और नियमों के अनुपालन की निगरानी हेतु कोई तंत्र है।

1.4 लेखापरीक्षा मानदंड

संविदा श्रमिकों की नियुक्ति, कई विधियों और नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होता है। इस समीक्षा में इन अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का उपयोग लेखापरीक्षा मानदंड के रूप में किया गया है। इनमे शामिल हैं:

- संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम (सीएलआरए), 1970 तथा संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) केंद्रीय नियम (सीएलआरआर), 1971
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (एमडब्ल्यूए), 1948 तथा न्यूनतम मजदूरी नियम (एमडब्ल्यूआर), 1950

- कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम (ईपीएफ और एमपीए), 1952 तथा कर्मचारी भविष्य निधि योजना (ईपीएफएस), 1952
- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (ईएसआईए), 1948, कर्मचारी राज्य बीमा नियम (1950) और कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950।

इसके अतिरिक्त, समय-समय पर इस संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किए गए आदेशों और निर्देशो इत्यादि का भी उपयोग लेखा परीक्षा मानदंड के रूप में किया गया है। इसके अलावा, भारतीय रेल के संविदा की सामान्य शर्तों के खंड 54 और 55 का भी लेखापरीक्षा मानदंड के रूप में उपयोग किया गया है।

1.5 लेखा परीक्षा क्षेत्र, कार्यप्रणाली और नमूना

लेखापरीक्षा में 2014-15 से 2016-17 तक तीन वर्षों की अवधि शामिल किया गया। लेखापरीक्षा जाँच में क्षेत्रीय रेलवे मुख्यालय और क्षेत्रीय स्थानों पर उपलब्ध विभिन्न संविदाओं और उनके संबंधित रिकॉर्ड की समीक्षा को शामिल किया गया। चयनित संविदा श्रमिकों से संरचित प्रश्नावली **(परिशिष्ट II)** के माध्यम से एक फीडबैक प्राप्त किया गया, जिसे चालू संविदाओं के संबंध में रेलवे अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण के दौरान लिया गया। फीडबैक फॉर्म के माध्यम से, लेखापरीक्षा ने संविदा श्रमिक का नाम, ठेकेदार का नाम और पता जिसके लिए और किस समय से वह कार्य कर रहा था, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) का विवरण और कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) से संबंधित संविदाकारों के कोड, क्या वे अपने हकदारी के लिए जागरूक है, क्या उन्हे नकद में या बैंक के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है, कितनी राशि का भुगतान किया जा रहा है, कितने घंटे वे काम करते हैं, साप्ताहिक विश्राम दिवसके लिए भुगतान, बोनस भुगतान, बकाया देय राशि, यदि कोई हो इत्यादि से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित किया गया।

लेखापरीक्षा का आयोजन छह क्षेत्रीय रेलवे सहित नौ रेलवे संरचनाओं पर किया गया, नामतः उत्तर रेलवे (उ.रे.), उत्तर मध्य रेलवे (उ.म.रे.), उत्तर पश्चिमी रेलवे (उ.प.रे.), मध्य रेलवे (म.रे.), पूर्वी रेलवे (पू.रे.) और दक्षिण पश्चिमी रेलवे (द.प.रे.), दो उत्पादन इकाइयां (चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चित्तरंजन और डीजल लोकोमोटिव, वाराणसी) और मेट्रो रेलवे, कोलकाता। क्षेत्रीय मुख्यालय, मंडलों, निर्माण, भारतीय रेलवे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (आईआरपीएमयू) (एनसीआर में), कार्यशालाएं और उत्पादन इकाइयों के प्रत्येक विभाग से दो संविदाओं का चयन किया गया था। इन चयनित नौ रेलवे संरचानाओं में कुल 463[3] संविदाओं की

[3]मध्य-रेलवे-105,पूर्व रेलवे-75, उत्तर मध्य रेलवे-105, उत्तर रेलवे-75, उत्तर पश्चिम रेलवे-34,दक्षिण पश्चिम रेलवे-46,मेट्रो कोलकाता-11,डीजल लोकोमोटिव वकर्स-6, चितरंजन लोकोमोटिव वकर्स-6

समीक्षा लेखापरीक्षा द्वारा की गई। इनमें से 108 संविदाओं में 31 मार्च 2017 तक कार्य पूरा हो चुका था तथा शेष संविदाएँ प्रगति में थी।

लेखापरीक्षा दलों द्वारा चयनित चालू ठेके के कार्यस्थल पर रेलवे कर्मचारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण भी किया गया। 266 संविदाओं में 928 संविदा श्रमिकों (प्रत्येक व्यक्तिगत कार्यों में लगे श्रमिकों का 10 प्रतिशत) से लिए गए फीडबैक भी लेखापरीक्षा अध्ययन में शामिल किए गए।

लेखापरीक्षा द्वारा केंद्रीय श्रम आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अधिकारियों के साथ बैठक कर इनकी भूमिका पर भी चर्चा की गई। इन संगठनों द्वारा 2014 में शुरू की गई नई निरीक्षण योजनाओं पर भी चर्चा की गई। लेखापरीक्षा द्वारा श्रम कानूनों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए केस स्टडि के रूप मे एक गैर रेलवे संगठन, दिल्ली मेट्रो रेल निगम मे प्रणाली और नियंत्रण की भी समीक्षा किया गया।

मूल नियोक्ता तथा ठेकेदारों द्वारा अभिलेखों को प्रदान नहीं करने के कारण लेखा परीक्षा क्षेत्र की कुछ सीमाएं रहीं। मार्च 31, 2017 तक चयनित संविदाओं मे से 108 संविदाएं पूर्ण हो चुके थे तथा इनमे से अधिकांश ठेकों के अभिलेख मूल नियोक्ता व ठेकेदारों द्वारा संरक्षित नहीं किए गए, जो कि आवश्यक था। इनमें से ज़्यादातर अभिलेख ठेकेदारों द्वारा रखे जाने थे और यदि उन्हे समय-समय पर सत्यापित किया जाता तो, उनकी प्रति मूल नियोक्ता के पास भी होनी चाहिए थी। ठेकेदारों द्वारा दस्तावेजों के रख-रखाव का अभाव/आंशिक रख-रखाव यह सिद्ध करता है कि संविदा श्रमिकों से संबन्धित प्रावधानों का उचित तरीके से अनुसरण नहीं किया जा रहा है। उन मामलों में लेखा परीक्षा सूचना/जानकारी प्राप्त नहीं कर सकी तथा इन्हें प्रतिवेदन में 'लेखा परीक्षा को अभिलेख प्रदान नहीं किए गए' के रूप में अंकित किया गया है। वे मामले जहां अनुपालन नहीं किया जाना पाया गया है, वे रेलवे द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचनाएँ तथा अभिलेखों में उपलब्ध आंशिक सूचनाओं के आधार पर है।

सभी चयनित रेलवे संरचनाओं में संबंधित अधिकारियों के साथ एक्ज़िट सम्मेलनों में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। 24 जनवरी 2018 को रेलवे बोर्ड स्तर पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों तथा सिफारिशों पर चर्चा की गई। रेलवे द्वारा अब तक दी गई प्रतिक्रिया तथा कार्रवाई को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उचित रूप से सम्मिलित किया गया है।

प्रतिवेदन में लेखा परीक्षा निष्कर्ष चयनित नौ रेलवे संरचनाओं में पर्यवेक्षणों के आधार पर है। इस प्रकार की कमियाँ दूसरे रेलवे संरचनाओं तथा इकाइयों मे भी

प्रचलित हो सकती हैं। इनकी रेलवे प्रशासन द्वारा सभी इकाइयों मे जांच कि जानी चाहिए और उचित कदम उठाने चाहिये।

1.6 आभार

लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान रेलवे प्रशासन द्वारा दिए गए सहयोग के लिए लेखापरीक्षा आभार प्रकट करता है।

अध्याय 2
संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970, संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) केंद्रीय नियम, 1971, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 तथा न्यूनतम मजदूरी नियम, 1950 का अनुपालन

संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 को कुछ प्रतिष्ठानों में संविदा श्रमिकों के नियोजन को विनियमित करने और कुछ परिस्थितियों में उन्हें एवं उनसे जुड़े मामलों के उन्मूलन के लिए अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम लागू होते हैं

(क) प्रत्येक प्रतिष्ठान जिसमें बीस या अधिक कामगार कार्यरत हैं या पूर्ववर्ती बारह महीनों के किसी भी दिन संविदा श्रमिक के रूप में कार्यरत थे;

(ख) हर ठेकेदार को जिसने पूर्ववर्ती बारह महीनों के किसी भी दिन 20 या अधिक कामगारों को नियोजित किया हो; बशर्ते कि यथोचित सरकार, ऐसा करने के इरादे से कम से कम दो महीने का नोटिस देने के बाद, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों को अधिसूचना में विनिर्दिष्ट बीस से कम कार्यकर्ताओं को रोजगार देने वाले किसी भी प्रतिष्ठान या ठेकेदार पर लागू करती है।

यह अधिनियम ऐसे प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होगा, जिसमें केवल एक आंतरायिक[4] या आकस्मिक प्रकृति का काम किया जाता है।

इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए सीएलआरए, 1970 की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केन्द्रीय सरकार द्वारा सीएलआरआर, 1971 बनाया गया था। ऐसे नियम विभिन्न मामलों के लिए दिए बनाए गए हैं, जिनमें से कुछ नीचे वर्णित हैं:

- धारा 7 के तहत जिस तरह से प्रतिष्ठानों को पंजीकृत किया जा सकता है, इसके लिए शुल्क की लेवी और पंजीकरण प्रमाण पत्र का प्रारूप;
- धारा 13 के तहत लाइसेंस के अनुदान या नवीकरण के आवेदन के प्रारूप और उसमें शामिल विवरण;

[4]एक प्रतिष्ठान में किए गए कार्य को एकआंतरायिक प्रकृति के रूप में समझा नहीं जाएगा (i) यदि यह पूर्ववर्ती बारह महीनों में एक सौ और बीस दिनों से अधिक के लिए किया गया था, या (ii) अगर यह सीजनल करैक्टर और एक वर्ष में साठ दिनों से अधिक के लिए किया जाता है

- लाइसेंस प्रदान करने या लाइसेंस देने से इनकार करने वाले मामलों में और लाइसेंस देने से इंकार किये जाने के मामले में आवेदन के संबंध में जांच किस तरीके से की जानी चाहिए;
- एक लाइसेंस का प्रारूप, जिसे धारा 12 के तहत दिया जा सकता है या नवीकरण किया जा सकता है और जिन शर्तों के अधीन लाइसेंस प्रदान किया जा सकता है या नवीकरण किया जा सकता है, लाइसेंस के अनुदान या नवीकरण के लिए शुल्क की वसूली और कोई राशि को सुरक्षा के रूप में जमा करना, ऐसी स्थितियों के निस्पदान के लिए:
- जिन परिस्थितियों में लाइसेंस की धारा 14 के तहत परिवर्तन या संशोधन किया जा सकता है;
- इस अधिनियम के अनुसार, समय के भीतर आवश्यक सुविधाएं, जो ठेकेदार की तरफ से मुहैया की जायेगी एवं बनाए रखी जाएगी, और ठेकेदार द्वारा न प्रदान करने पर ये सुविधाएँ, मूल नियोक्ता द्वारा प्रदान की जायेगी;
- कैंटीन की संख्या और प्रकार, विश्राम हेतु कमरे, शौचालय और मूत्रालय जिन्हें प्रदान और रखरखाव किया जाना चाहिए;
- उपकरण का प्रकार जिसे प्राथमिक चिकित्सा बक्से में प्रदान किया जाना चाहिए;
- अवधि जिसके अंतर्गत, संविदा श्रमिक को देय मजदूरी का ठेकेदार द्वारा धारा 21 के उप-धारा (1) के तहत भुगतान किया जाना चाहिए;
- मूल नियोक्ता और ठेकेदारों द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टरों और अभिलेखों का प्रारूप;
- रिटर्न, फॉर्म प्रस्तुत करना एवं प्राधिकार, जिसके अंतर्गत ऐसी रिटर्न प्रस्तुत किए जा सकते हैं;
- संविदा श्रमिकों के संबंध में किसी भी जानकारी या आंकड़ों का संग्रह; तथा
- इस अधिनियम के तहत निर्धारित कोई अन्य मामले, जो प्राधिकृत हो;

मुख्य श्रम आयुक्त और उसके अधीनस्थ संरचनाओं को सीएलआरए, 1970 और सीएलआरआर, 1971 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रेलवे बोर्ड ने समय-समय पर अपने क्षेत्रीय संरचनाओं के लिए निर्देश जारी किए हैं। रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र[5] में भारतीय रेलवे के सभी महाप्रबंधकों को ठेका देने की गतिविधियों से पूर्व अपने संबंधित कार्मिक विभाग से संपर्क करने के लिए निर्देश जारी किए ताकि सीएलआरए, 1970 और सीएलआरआर, 1971 का कोई उल्लंघन न हो। इस पत्र में रेलवे बोर्ड ने निर्देश दिए गए हैं कि अधिनियम और नियमों के तहत मूल नियोक्ता अपने प्रतिष्ठान को पंजीकृत कराना चाहिए,

[5]पत्र संख्या: ई (एलएल) 2005 एटी सीउ.रे. /16 दिनांक 29.8.2006

ठेकेदारों को श्रम आयुक्त से लाइसेंस प्राप्त करना चाहिए, मूल नियोक्ता को निर्धारित सुविधाओं के प्रावधान से संबंधित दायित्वों का अनुपालन, श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान, निर्धारित रजिस्टरों और अभिलेखों का रखरखाव और लाइसेंस देने वाले अधिकारी को रिटर्न जमा करना सुनिश्चित करना चाहिए।

ठेकेदारों द्वारा पंजीकरण और मूल नियोक्ता एवं ठेकेदारों के द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने के बारे में, निर्धारित[6] मूल नियोक्ता द्वारा अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों की प्रयोज्यता के बारे में आश्वासन प्राप्त करना, उनके द्वारा संबंधित श्रम आयुक्त के कार्यालयों को रिटर्न जमा करना, कार्य स्थल पर नोटिस का प्रदर्शन करना, संविदा श्रमिकों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ, संविदा श्रमिकों को भुगतान के तरीके और निर्धारित रजिस्टरों एवं रिपोर्टो का रखरखाव तथा अनुरक्षण आदि के संबंध में वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन की लेखा परीक्षा ने समीक्षा की। उपर्युक्त वर्णित प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में लेखा परीक्षा जाँच - परिणाम नीचे दिए गए हैं:

2.1 अधिनियम के तहत मूल नियोक्ता का पंजीकरण

सीएलआरए, 1970 के प्रावधानों[7] के अनुसार, एक प्रतिस्थान के प्रत्येक मूल नियोक्ता जिस पर ये अधिनियम लागू होते हैं (जहां पिछले 12 महीनों में किसी भी एक दिन में सभी ठेकेदारों के साथ प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत कार्यकर्ताओं की संख्या 20 से अधिक है), स्थापना के पंजीकरण के लिए निर्धारित तरीके से पंजीकरण अधिकारी (मुख्य श्रम आयुक्त का संगठन) को एक आवेदन करता है।

लेखा परीक्षा ने पाया कि समीक्षा की गई 463 संविदाओं में से, 140 संविदाओं में रेलवे प्रशासन पंजीकृत था और शेष 323 संविदाओं में रेलवे प्रशासन पंजीकृत नहीं था।

इस प्रकार, रेलवे में यह सुनिश्चित करने के लिए कि, संबन्धित नामित मूल नियोक्ता, जो स्वयं के परिसर में किए गए कार्य/गतिविधियां के लिए संविदा करते हैं, द्वारा स्वयं को श्रम आयुक्तों के कार्यालय में आवश्यक रूप से पंजीकरण कराएंगे, ऐसी कोई व्यवस्था मौजूद नहीं थी।

अनुबंध 2.1

[6]रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या: ई/एलएल/70 एटी/सीउ.रे./1-3 दिनांक 15.10.1971 में मंडल के डिवीजनल ऑफिसर, सीनियर मैकेनिकल इंजीनियर, कार्यशालाओं के संबंध में डिप्टी चीफ मैकेनिकल इंजीनियर या वर्क्स मैनेजर को मंडल के स्टोर डिपो के संबंध में स्टोर नियंत्रक, सीधे मुख्यालय द्वारा नियंत्रित अनुबंधों के संबंध में निर्माण और प्रमुख विभागों के संबंध में कार्यकारी अभियंता को मूल नियोक्ता वर्गीकृत किया।

[7]सीएलआरए, 1970 की धारा 7

2.1.1 मूल नियोक्ता द्वारा काम शुरू करने के बारे में श्रम आयुक्त को सूचना देना

प्रत्येक मूल नियोक्ता, प्रत्येक ठेकेदार के प्रत्येक संविदा के प्रारंभ या समाप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर, अधिनियम की धारा 28 के तहत नियुक्त निरीक्षक (संबंधित श्रम आयुक्त के अंतर्गत) को, संविदाके प्रारंभ या समाप्ति के वास्तविक तारीखों को सूचित करते हुए, रिटर्न प्रस्तुत करेगा **(परिशिष्ट III)**[8]।

लेखा परीक्षा में समीक्षा की गई 463 संविदाओं में से,

- 17 संविदाओ[9] के संबंध में, मूल नियोक्ता ने कार्य शुरू करने से संबन्धित रिटर्न प्रस्तुत की,
- 166 संविदाओ[10] के संबंध में, मूल नियोक्ता ने ठेके के प्रारंभ और/या पूरा होने पर रिटर्न जमा नहीं किया; तथा
- शेष 278 संविदाओ के संबंध में, संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गए।

इस प्रकार, मूल नियोक्ता ने संविदा के प्रारंभ के बारे में श्रम आयुक्त के संगठन को समीक्षा किये गए संविदाओं में से केवल चार प्रतिशत (463 में से 19) के बारे में सूचित किया।

2.1.2 मूल नियोक्ता द्वारा श्रम आयुक्त को वार्षिक रिटर्न का प्रस्तुतीकरण

नियमानुसार[11] एक पंजीकृत प्रतिष्ठान का प्रत्येक मूल नियोक्ता प्रति वर्ष दो प्रतियों में रिटर्न इस प्रकार भेजेगा ताकि संबंधित पंजीकरण अधिकारी तक उस वर्ष जिससे यह संबंधित है, के समाप्ति के बाद 15 फरवरी से पहले पहुंचे। वार्षिक रिटर्न, प्रपत्र XXV **(परिशिष्ट IV)** में मूल नियोक्ता द्वारा लगाये गए ठेकेदारों के विवरण के साथ ही साथ सीएलआरए के तहत मूल नियोक्ता के रूप में स्थिति का निर्धारण करने के उद्देश्य से सीधे लगाये गए या ठेकेदारों के माध्यम से लगाये गए ठेका श्रमिकों के सम्बन्ध में सूचना साथ ही श्रम आयुक्त के संगठन द्वारा विनियमित और निगरानी रखने वाले ठेकेदारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने से सम्बंधित होता है ।

लेखा परीक्षा में समीक्षा की गई 463 संविदाओं में से,

- उत्तर और मध्य रेलवे ने मूल नियोक्ता के रूप में 12 संविदाओं (प्रत्येक छः) के सम्बन्ध में इन रिटर्न्स को प्रस्तुत किया,

---

[8]सीएलआरआर, 1971 के नियम 81 (3) के अनुसार फार्म VI ख

[9]उ.म.रे. (2), म.रे. (6), पू.रे. (1), उ.रे. (6), द.प.रे. (1), आरपीयू / मेट्रो (1)

[10]म.रे. (97), पू.रे. (8), उ.रे. (1), उ.प.रे. (30), द.प.रे. (23), डीएलडब्ल्यू (3), सीएलडब्ल्यू (6)

[11]सीएलआरआर 1971 के नियम 81 (3) और 82 (2), फॉर्म XXV

- 380 संविदाओं में, मूल नियोक्ता के रूप में रेल प्रशासन ने रिटर्न जमा नहीं किया; तथा
- शेष 71 संविदाओं में, लेखा-परीक्षा को जानकारी/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गए।

इस तरह, लेखा परीक्षा में समीक्षा किए गए संविदाओं में से केवल तीन प्रतिशत (463 में से 12), मूल नियोक्ताओं द्वारा लगाये गए ठेकेदारों के विवरण के सम्बन्ध में सूचना देने वाली रिटर्न को श्रम आयुक्तों के कार्यालयों को प्रस्तुत किया गया।

अनुबंध 2.1

2.2 ठेकेदार द्वारा लाइसेंस प्राप्त करना

प्रावधानों के अनुसार[12], कोई ठेकेदार, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, संविदा श्रमिक के माध्यम से कोई भी कार्य तब तक शुरू या निष्पादित नहीं करेगा जब तक कि वह लाइसेंसिंग अधिकारी[13] द्वारा जारी किए गए लाइसेंस के अधीन एवं अनुरूप न हो।

लेखा परीक्षा में समीक्षा की गई 463 संविदाओं में से,

- 34 संविदाओं में, ठेकेदारों ने श्रम आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के संबंधित लाइसेंस अधिकारियों से काम शुरू करने से पहले अपेक्षित लाइसेंस प्राप्त किया,
- 50 संविदाओं में, कार्यों के प्रारंभ के बाद लाइसेंस प्राप्त किए गए थे। इन संविदाओं मे लाइसेंस प्राप्त करने मे 750 दिन तक की देरी हुई।
- 172 संविदाओं में, लाइसेंस प्राप्त नहीं हुए; तथा
- 207 संविदाओं में, लेखा परीक्षा को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।

इस प्रकार, केवल 18 प्रतिशत संविदा (अर्थात 463 संविदाओं में से 84[14]) निष्पादनाधीन रहे/निष्पादित किये गए, जहां सीएलआरए, 1970 के प्रावधान के अनुसार ठेकेदारों द्वारा लाइसेंस जारी करने वाले अधिकारी से लाइसेंस प्राप्त किए गए थे।

अनुबंध 2.2

[12]सीएलआरए, 1970 कीधारा 12 सीएलआरआर, 1971 केनियम 21 के साथ पढ़ी गई

[13]लाइसेंसिंग अधिकारी श्रम आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय का अधिकारी है

[14]उ.म.रे. (13), म.रे. (29), पू.रे. (9), उ.रे. (13), उ.प.रे. (12), द.प.रे. (5), आरपीयू / मेट्रो (1), सीएलडब्ल्यू (2)

2.2.1 कार्य स्थल पर लाइसेंस का प्रदर्शन

नियम[15] के अनुसार, लाइसेंस की एक प्रतिलिपि प्रमुख रूप से उस परिसर में प्रदर्शित की जाएगी जहां संविदा का काम किया जा रहा है। उन 84 संविदाओं, जिसके लिए लाइसेंस प्राप्त किए गए थे, में से

- केवल 37 संविदाओं में, लाइसेंस संबंधित कार्यस्थलों पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित किए गए।
- 47 संविदाओं[16] के संबंध में, लाइसेंस कार्य स्थल पर प्रदर्शित नहीं पाये गए।

इस प्रकार, केवल आठ प्रतिशत (463 में से 38) संविदाओ में लाइसेंस विवरण प्रदर्शित किए गए थे।

2.2.2 नियोजित संविदा श्रमिकों की संख्या

नियमानुसार[17] प्रतिष्ठान में संविदा श्रमिक के रूप में कार्यरत कामगारों की संख्या किसी भी दिन, लाइसेंस में निर्दिष्ट अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी।

संविदा लाइसेंस प्राप्त किये गए 84 अनुबंधों में से, 14 संविदाओ[18] में कामगारों की तैनाती श्रम विभाग से प्राप्त लाइसेंस में निर्दिष्ट संख्या से अधिक थी। इन संविदाओ में 200 तक ज्यादा कर्मचारी शामिल थे। कार्यरत कामगारों के निर्धारित संख्या के संदर्भ में, संविदा लाइसेंस की शर्तों और नियमों का अनुपालन केवल 15 प्रतिशत (463 में से 70) संविदाओ में पाया गया।

2.2.3 लाइसेंस का नवीकरण

नियम[19]मे यह भी वर्णित है कि नियम 25 के तहत दिए गए प्रत्येक लाइसेंस, या सीएलआरआर, 1971 के नियम 28 के तहत नवीनीकृत किए गए प्रत्येक लाइसेंस, उस तिथि से 12 महीने के लिए लागू रहेगा।

संविदा लाइसेंस प्राप्त हुए 84 संविदाओ में से, 70 संविदाओ में, नवीकरण की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि लाइसेंस की वैधता समाप्त नहीं हुई थी। तथापि, 14[20] संविदाओं में, वैधता समाप्त होने के बाद भी ठेकेदारों द्वारा लाइसेंस नवीनीकृत नहीं किए गए थे।

---

[15]सीएलआरआर, 1 9 71 केनियम 25 (2) (ix)

[16]उ.म.रे. (11), म.रे. (16), पू.रे. (2), उ.रे. (3), उ.प.रे. (11), द.प.रे. (3), आरपीयू / मेट्रो (1)

[17]सीएलआरआर, 1971 के नियम 25 (2) (ii)

[18]उ.म.रे. (7), म.रे. (4), उ.रे. (1), उ.प.रे. (1), सीएलडब्ल्यू (1)

[19]सीएलआरआर, 1971 के नियम 27

[20]उ.म.रे. (2), म.रे. (6), पू.रे. (2), उ.रे. (4)

2.2.4 ठेकेदार द्वारा श्रम आयुक्त को प्रस्तुत किए जाने वाले रिटर्न

नियम[21] के अनुसार प्रत्येक ठेकेदार को छमाही रिटर्न फॉर्म XXIV **(परिशिष्टV)** में श्रम आयुक्त के कार्यालय में दो प्रतियों में भेजना चाहिए ताकि छमाही समाप्त होने के करीब 30 दिनों के व्यतीत होने से पहले संबंधित लाइसेंस अधिकारी के पास पहुंच सकें। इस रिटर्न मे मुख्य रूप में संविदा की अवधि के साथ ठेकेदार, प्रतिष्ठान और मूल नियोक्ता का नाम और पता, छमाही के दौरान दिनों की संख्या, छमाही के दौरान किसी भी दिन नियोजित कार्यरत श्रमिकों की अधिकतम संख्या जिसमे पुरुष, महिलाएँ व बच्चों की संख्या अलग अलग शामिल होता है। इसके अलावा रिटर्न में साप्ताहिक अवकाश, काम के दैनिक घंटे, कार्य किये मानव दिवस की संख्या, मजदूरी की राशि, मजदूरी से कटौती की राशि के साथ कैंटीन की सुविधाएं, विश्रामकक्ष, पेयजल की सुविधा, क्रेच, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स आदि के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

लेखा परीक्षा में समीक्षा की गई 463 संविदाओं में से,

- केवल एक संविदा में ठेकेदार ने रिटर्न जमा किया,
- 285 संविदाओं में ठेकेदारों ने श्रम आयुक्तों के कार्यालय में कोई रिटर्न जमा नहीं किये; तथा
- शेष 177 संविदाओं में जानकारी/अभिलेख उपलब्ध नहीं किए गए।

इस प्रकार, समीक्षा के लिए लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड मे से, एक को छोडकर किसी भी मामले में ठेकेदारों ने श्रम आयुक्त के संबंधित कार्यालयों में रिटर्न जमा नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, ठेकेदार द्वारा नियोजित संविदा श्रमिकों की संख्या, नियोजित किये गये दिन और अन्य विवरण की सूचना श्रम आयुक्त के कार्यालय को नहीं भेजी जा रही है।

अनुबंध 2.1

2.3 श्रमिकों के लिए सुविधाएं

2.3.1 विश्राम कक्षों का प्रावधान

सीएलआरए, 1970 के प्रावधानों[22] के अनुसार, हर जगह, जहां संविदा श्रमिकों को उन प्रतिष्ठान के काम के संबंध में रात को रुकने की आवश्यकता होती है, जिस पर यह कानून लागू होता है, ठेकेदार द्वारा संविदा श्रमिकों के उपयोग के लिए निर्धारित समय के भीतर पर्याप्त संख्या में विश्राम कक्ष की या ऐसे अन्य उपयुक्त वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करेगा और उसका रख रखाव करेगा। विश्राम कक्ष या वैकल्पिक आवास पर्याप्त रूप से प्रकाश युक्त, हवादार और स्वच्छ तथा आरामदायक स्थिति में बनाए रखा जाएगा।

[21]सीएलआरआर, 1971 के नियम 82 (1), (इस रिटर्न को मार्च 2017 के बाद बंद कर दिया गया है)
[22]सीएलआरए, 1970 की धारा 17

लेखा परीक्षा में समीक्षा की गई 463 संविदाओं में से,

- मध्य रेलवे के 14 संविदाओं में विश्राम कक्ष प्रदान किए गए,
- मध्य रेलवे के 7 संविदाओं में विश्राम कक्ष प्रदान नहीं किए गए
- 371 संविदाओं में, विशेष रूप से संविदा श्रम की तैनाती के कारण आठ घंटे शिफ्ट के आधार पर विश्राम कक्ष की आवश्यकता नहीं देखी गई;
- शेष 71 संविदाओं में, लेखा परीक्षा के लिए रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं।

इस प्रकार, लेखा परीक्षा में सम्मिलित किये गए संविदाओं में से 15 प्रतिशत (463 में से 71) संविदाओं में विश्राम कक्ष के प्रावधान का आश्वासन प्राप्त नहीं किया जा सका।

अनुबंध 2.1

2.3.2 पीने के पानी और मूत्रालयों के प्रावधान

ठेकेदार या मूल नियोक्ता द्वारा सुविधाजनक स्थान पर पेयजल, मूत्रालय आदि की सुविधा के लिए भी प्रावधान होना चाहिए[23]। लेखा परीक्षा में समीक्षा की गई 463 संविदाओं में से,

- 31 संविदाओं में, पेयजल, मूत्रालय आदि की सुविधा ठेकेदारों द्वारा प्रदान की गई थी,
- 332 संविदाओं में, उपरोक्त आवश्यकतायें रेलवे द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं से पूरी की गयी, क्योंकि उनकी तैनाती रेलवे के परिसर में थी;
- शेष 100 संविदाओं में, लेखा-परीक्षा को सूचना/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए।

समीक्षा किए गए संविदाओं में 21 प्रतिशत (463 में से 100) में पीने के पानी और मूत्रालय के प्रावधान के बारे में लेखा परीक्षा को आश्वासन नहीं मिल सका।

2.3.3 प्राथमिक चिकित्सा पेटिका के प्रावधान

नियम[24] के अनुसार ठेकेदार या मूल नियोक्ता द्वारा प्रयाप्त संख्या में प्राथमिक चिकित्सा पेटिका और उसमें उल्लिखित वस्तुओं की सूची उपलब्ध रखना/उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

लेखा परीक्षा में समीक्षा की गई 463 संविदाओं में से,

- 143[25] संविदाओं के संबंध में, कार्य स्थल पर अच्छी तरह से सुसज्जित प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स पाये गए,

[23]सी.एल.आर.ए. 1970 की धारा 18 व 20

[24] सी.एल.आर.ए. 1970 की धारा 19 (सी.एल.आर.आर. 1971 के नियम 58 एवं 59 के साथ पढ़े)

[25] उ.म.रे. (9), म.रे. (65), पू.रे. (23), उ.रे. (34), उ.प.रे. (4), आर.पी.यू./मेट्रो (2), डी.एल.डब्लयू. (6)।

- 95[26] संविदाओं में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स उपलब्ध नहीं थे; तथा
- 225 संविदाओं में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की उपलब्धता का पता नहीं लगाया जा सका।

लेखा परीक्षा में दवाओं और अन्य संबंधित घटकों सहित प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की उपलब्धता के बारे में आश्वासन केवल 31 प्रतिशत (463 में से 143) संविदाओं में प्राप्त किया जा सका।

2.4 श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान

मजदूरी के भुगतान की जिम्मेदारी से संबंधित नियम[27] निम्नानुसार हैं:

1. कार्य स्थल पर ठेकेदार द्वारा मजदूरी की अवधि और मजदूरी के वितरण का स्थान और समय दिखाते हुए एक नोटिस लगाना होगा, जिसकी एक प्रतिलिपि मूल नियोक्ता या उसके नामांकित व्यक्ति को पावती के अधीन भेजना होगा।

2. ठेकेदार, संविदा श्रमिक के रूप में उनके द्वारा नियोजित प्रत्येक कामगार को मजदूरी के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा और ऐसी मजदूरी का भुगतान निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले किया जाएगा।

3. प्रत्येक मूल नियोक्ता, ठेकेदार द्वारा मजदूरी के वितरण के समय में उपस्थित होने के लिए अधिकृत रूप से प्रतिनिधि को नामित करेगा और इस तरह के प्रतिनिधि को, इस प्रकार से, जैसा कि निर्धारित किया जाय, मजदूरी के भुगतान की राशि को प्रमाणित करना होगा।

4. मूल नियोक्ता के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में मजदूरी का वितरण सुनिश्चित करना ठेकेदार का कर्तव्य होगा।

5. यदि ठेकेदार निर्धारित अवधि के भीतर मजदूरी का भुगतान करने में विफल रहता है या कम भुगतान करता है, तो मूल नियोक्ता पूरा भुगतान या बच गई शेष राशि जैसी भी स्थिति हो, के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा। मूल नियोक्ता को ठेकेदार द्वारा नियुक्त किए गए संविदा श्रमिक को और ऐसे भुगतान की गई राशि की वसूली या तो ठेकेदार को देय किसी भी राशि से कटौती करके या ठेकेदार द्वारा देय ऋण से करनी होगी।

463 संविदाओं में से,

- सभी 463 संविदाओं में, ठेकेदारों द्वारा मूल नियोक्ता/मूल नियोक्ता के नामांकित व्यक्ति को मजदूरी के भुगतान के संबंध में नोटिस नहीं भेजा गया या रिकॉर्ड में पाया नहीं गया,

[26] उ.म.रे. (20), म.रे. (19), उ.रे. (27), उ.प.रे. (29)।

[27] सी.एल.आर.ए. 1970 की धारा 21 और सी.एल.आर.आर. 1971 का नियम 71।

- लेखा परीक्षा में समीक्षा किए गए 463 संविदाओं में से किसी भी संविदा के संबंध में संविदा श्रमिक के लिए देय मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने सम्बन्धी प्रक्रिया और कम भुगतान के मामले में मूल नियोक्ता या अन्य प्राधिकारी को भुगतान के सम्बन्ध में सूचना देने तथा परिणाम स्वरुप ठेकेदार से वसूली करने की प्रक्रिया से संबन्धित निर्देश जारी नहीं किये गए ।
- रेलवे प्रशासन ने सभी 463 संविदाओं के संबंध में मजदूरी के वितरण के समय अपने अधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थित रहने हेतु नामांकित नहीं किया।
- 58 संविदाओं में, रेलवे के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में भुगतान किया गया था, हालांकि इन्हें रेलवे द्वारा नामित नहीं किया गया था,
- 111 संविदाओं में, रेलवे के किसी भी प्रतिनिधि की उपस्थिति में भुगतान नहीं किए गए थे,
- 82 संविदाओं में, रेलवे के आधिकारिक प्रतिनिधि की उपस्थिति, हालांकि, भुगतान के समय आवश्यक नहीं थी, क्योंकि ये भुगतान बैंक के माध्यम से किए गए थे, बाद में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इन्हें सत्यापित करना आवश्यक था, जो रेलवे द्वारा नहीं किया गया; तथा
- 212 संविदाओं में, संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए गए।

इस प्रकार, निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था और मूल नियोक्ता उन संविदाओं के लिए भी अपने प्रतिनिधि को नामांकित करने में असफल हुए, जहां उन्हें मूल नियोक्ता के रूप में पंजीकृत किया गया था।

अनुबंध 2.3

रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र[28] (अक्टूबर 2015) के माध्यम से सभी क्षेत्रीय रेलवे को बैंक/चेक के माध्यम से संविदा मजदूरों को मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया।

लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई 463 संविदाओं में से,

- 82 संविदाओं के संबंध में, मजदूरी का भुगतान बैंकों के माध्यम से किए गए,
- 169 संविदाओं के संबंध में, मजदूरी का भुगतान नकद में किया गया; तथा
- 212 संविदाओं के संबंध में, संबंधित रिकॉर्ड लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नहीं किए गए।

रेलवे बोर्ड के एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण निर्देश का अनुपालन केवल 18 प्रतिशत (463 में से 82) संविदाओं में पाया गया था।

अनुबंध 2.4

[28] रेलवे बोर्ड पत्र संख्या ई (एल.एल.) 2015/पी.एन.एम/ए.आइ.आर.एफ./1 दिनांक 20/10/2015

इसके अतिरिक्त, ठेकेदारों को सभी संविदा श्रमिकों के लाभ के लिए संविदा श्रमिकों को रोजगार की शर्तों को स्पष्ट रूप से बताने की आवश्यकता है। प्रावधानों[29] के अनुसार, मजदूरी की दर, काम के घंटे, मजदूरी की अवधि, भुगतान की तारीख, अधिकार क्षेत्र वाले निरीक्षकों के नाम और पते, और बकाया मजदूरी के भुगतान की तारीखों को प्रदर्शित करते हुए, अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषा में, जिसे अधिसंख्य श्रमिक द्वारा समझा जाता है, प्रदर्शित किया जाएगा, ठेकेदार या मूल नियोक्ता द्वारा ठेका प्रतिष्ठान/कार्य स्थल पर विशिष्ट स्थानों में नोटिस लगाया जाएगा। इसके अलावा, नोटिस एक साफ और सुपाठ्य स्थिति[30] में ठीक से बनाए रखा जाएगा। नोटिस की एक प्रति निरीक्षक को भेजी जाने की आवश्यकता है और जब भी कोई परिवर्तन होगा, उसे तुरंत सूचित किया जाएगा[31]।

लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई 463 संविदाओं में से,

- 45 संविदाओं के संबंध में, ठेकेदार ने उपरोक्त नियमों के अनुपालन में नोटिस प्रदर्शित किया,
- 225 संविदाओं के संबंध में, ठेकेदार ने उपरोक्त नियमों के अनुपालन में नोटिस प्रदर्शित नहीं किया,
- 94 संविदाओं के संबंध में, उपर्युक्त नियमों के अनुपालन के लिए नोटिस प्रदर्शित करने की प्रयोज्यता, काम की प्रकृति के कारण उत्पन्न नहीं हुई,
- 99 संविदाओं के संबंध में, रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं किए गए।

इस प्रकार, लेखा परीक्षा में समीक्षा किए गए केवल 10 प्रतिशत संविदाओं (463 में से 45) में संविदा श्रम को रोज़गार की शर्तों के बारे में सूचित किया गया।

अनुबंध 2.5

2.5 निर्धारित रजिस्टरों और अभिलेखों का रखरखाव और संरक्षण

(क) मूल नियोक्ता द्वारा अभिलेखों का रखरखाव

प्रत्येक पंजीकृत प्रतिष्ठान के संबंध में, मूल नियोक्ता प्रपत्र XII (**परिशिष्टVI**) में 'ठेकेदारों का रजिस्टर' का रखरखाव करना आवश्यक है जिसमें मूल नियोक्ता का नाम और पता, प्रतिष्ठान का नाम और पता, ठेकेदार का नाम और पता, संविदा की प्रकृति, संविदा कार्य के स्थान, संविदा की अवधि और ठेकेदार द्वारा नियोजित संविदा श्रम की अधिकतम संख्या, को प्रदर्शित करना है[32]।

लेखा परीक्षा में समीक्षा की गई 463 संविदाओं में से,

[29] सी.एल.आर.ए. 1970 की धारा 29(2), सी.एल.आर.आर. 1971 के नियम 81 (1)(i) के साथ पढ़े।
[30] सी.एल.आर.आर. 1971 का नियम 81(1)(i)।
[31] सी.एल.आर.ए. 1970 की धारा 29(2) और सी.एल.आर.आर. 1971 का नियम 81(2) के साथ पढ़े।
[32] सी.एल.आर.ए. 1970 की धारा 74 और सी.एल.आर.आर. 1971 का नियम 29(1) के साथ पढ़े।

- उपरोक्त अधिनियमों और नियमों के अनुपालन में, मध्य रेलवे के 30 संविदाओं के संबंध में, अभिलेख/पंजियों को रेलवे द्वारा अपेक्षित फार्म XII में रखरखाव किया गया,
- 313[33] संविदाओं के संबंध में, उपरोक्त अधिनियमों और नियमों के अनुपालन के लिए अपेक्षित प्रपत्र XII में रेलवे द्वारा कोई अभिलेख/पंजियों को नहीं बनाए रखा।
- 120 संविदाओं के संबंध में, उपरोक्त अधिनियमों और नियमों के अनुपालन के लिए जरूरी अभिलेख/पंजियों को रेलवे द्वारा लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

(ख) ठेकेदारों द्वारा अभिलेखों का रखरखाव

प्रत्येक, ठेकेदार को भी कई महत्वपूर्ण अभिलेख का रखरखाव अपेक्षित है। इसमें मस्टर रोल, वेतन रजिस्टर, कटौती के रजिस्टर, ओवर टाइम का रजिस्टर, जुर्माना रजिस्टर, अग्रिम रजिस्टर, मजदूरी स्लिप्स[34] इत्यादि शामिल है।

लेखापरीक्षा ने 463 संविदाओं के संबंध में ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970 और सी एल आर आर, 1971 के द्वारा अपेक्षित रिकॉर्ड और रजिस्टरों के रखरखाव की स्थिति की समीक्षा की और निम्नलिखित मामलो को देखा गया:

- उपस्थिति रजिस्टर
  - 164 संविदाओं के संबंध में, ठेकेदारों ने उपस्थिति रजिस्टरों को बनाया,
  - 112 संविदा के संबंध में, ठेकेदारों ने उपस्थिति रजिस्टर को नहीं बनाया,
  - शेष 187 संविदाओं के संबंध में, रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए गए।
- मजदूरी रजिस्टर
  - 122 संविदाओं के संबंध में, ठेकेदारों ने मजदूरी रजिस्टरों को बनाया ,
  - 156 संविदाओं के संबंध में, ठेकेदारों ने मजदूरी रजिस्टरों को नहीं बनाया,
  - शेष 185 संविदाओं के संबंध में, रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए गए थे।
- कटौती के रजिस्टर
  - केवल तीन संविदाओं के संबंध में, ठेकेदारों ने कटौती के रजिस्टर बनाए,
  - 262 संविदाओं के संबंध में, ठेकेदारों ने कटौती के रजिस्टर नहीं बनाए,
  - शेष 198 संविदाओं के संबंध में, रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए गए।

[33] उ.म.रे. (86), म.रे. (62), पू.रे. (11), उ.रे. (74), उ.प.रे. (34), द.प.रे. (29), आर.पी.यू./मेट्रो (11), डी.एल.डब्ल्यू . (4) सी.एल. डब्ल्यू. (2)।

[34]सी.एल.आर.ए. 1970 की धारा 29 के साथ सी.एल.आर.आर. 1971 के नियम 78 पढ़े।

- ओवरटाइम रजिस्टर
  - केवल चार संविदाओं के संबंध में, ठेकेदारों ने ओवरटाइम रजिस्टर बनाए,
  - 261 संविदाओं के संबंध में, ठेकेदारों ने ओवरटाइम रजिस्टर नहीं बनाए,
  - शेष 198 संविदाओं के संबंध में, रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए गए।
- जुर्माना के रजिस्टर
  - केवल दो संविदाओं के संबंध में, ठेकेदारों ने जुर्माना के रजिस्टर बनाए,
  - 263 संविदाओं के संबंध में, ठेकेदारों ने जुर्माना के रजिस्टर नहीं बनाए,
  - शेष 198 संविदाओं के संबंध में, रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए गए।
- अग्रिमों का रजिस्टर
  - केवल दो संविदाओं के संबंध में, ठेकेदारों ने अग्रिमों का रजिस्टर बनाए,
  - 263 संविदाओं के संबंध में, ठेकेदारों ने अग्रिमों की पंजिका नहीं बनाए,
  - शेष 198 संविदाओं के संबंध में, रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए गए।
- मजदूरी पर्ची
  - केवल 18 संविदाओं के संबंध में, ठेकेदारों ने वेतन पर्ची बनाए,
  - 246 संविदाओं के संबंध में, ठेकेदारों ने वेतन पर्ची नहीं बनाए,
  - शेष 199 संविदाओं के संबंध में, रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

अनुबंध 2.6

(ग) अभिलेखों का संरक्षण

जहां तक मूल नियोक्ता तथा ठेकेदारों द्वारा अभिलेखों के संरक्षण का संबंध है, नियमानुसार[35] सभी रजिस्टर तथा अभिलेख उनमे अंतिम प्रविष्टि की तारीख से तीन कलेंडर वर्ष तक संरक्षित रखे जाने चाहिए।

लेखा परीक्षा में समीक्षा की गई 463 संविदाओं में से, 108 संविदा 31 मार्च 2017 तक पूर्ण हो गई। इन 108 संविदाओं में,

- 2 संविदाओं के संबंध में, उक्त नियमों के अनुपालन मे अभिलेखों का संरक्षण किया गया,
- 93[36] संविदाओं के संबंध में, उक्त नियमों के अनुपालन मे अभिलेखों का संरक्षण नहीं किया गया,

[35]सी.एल.आर.आर. 1971 की धारा 80 (3)

[36]उ.म.रे.(47; केवल निविदा तथा संविदा मिसिल संरक्षित थे), म.रे.(7), पू.रे.(12), उ.रे.(7), उ.प.रे.(1), द.प.रे.(15), आर.पी.यू./मेट्रो(2), सी.एल.डब्ल्यु(2)

- शेष 13[37] संविदाओं के संबंध में, लेखा परीक्षा को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए।

संविदा श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बने कानूनों और नियमों के अनुपालन के लिए किसी भी संस्था को इन अभिलेखों का प्रबंधन महत्वपूर्ण है। तथापि, महत्वपूर्ण अभिलेखों जैसे मजदूरी तथा ओवरटाइम रजिस्टर का क्रमशः 122 (26 प्रतिशत) तथा 4 (1 प्रतिशत) संविदाओं के संबंध मे रख-रखाव का अनुपालन किया गया। मजदूरी पर्ची का लेखा परीक्षा किए गए संविदाओं मे से केवल 18 (4 प्रतिशत) संविदाओं मे रख-रखाव किया गया। आवश्यक अभिलेखों का रख-रखाव न होने से वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी करना न केवल रेलवे के लिए बल्कि किसी अन्य निगरानी संस्थाओ के लिए भी अव्यवहारिक है।

2.6 न्यूनतम मजदूरी अधिनयम, 1948 और न्यूनतम मजदूरी विनियम, 1950 का अनुपालन

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 कुछ नियोजनों में मजदूरी की न्यूनतम दर तय करने के लिए अधिनियमित किया गया था। न्यूनतम मजदूरी अधिनयम, 1948 की धारा 3 के अनुसार,

(क) सरकार अनुसूची के भाग I या भाग II में निर्दिष्ट नियोजनों और धारा 27 के तहत अधिसूचना द्वारा किसी भाग में जोड़े गए नियोजन, बशर्ते के उचित सरकार अनुसूची के भाग 2 में वर्णित नियोजन में नियोजित कर्मियों के संबंध में, इस अनुच्छेद के अंतर्गत पूरे राज्य के लिए न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के स्थान पर, राज्य के एक भाग या पूरे राज्य में वर्गीकृत श्रेणी या ऐसी नियोजन की श्रेणियों के लिए ऐसी दर निर्धारित करे;

(ख) जैसा कि उपयुक्त हो, ऐसे अंतराल जो पांच साल से अधिक न हों पर समीक्षा करें, निर्धारित वेतन की न्यूनतम दरों को संशोधित करें, यदि आवश्यक हो, बशर्ते कि किसी भी कारण से उचित सरकार ने पाँच वर्ष के किसी भी अंतराल में किसी भी अनुसूचित नियोजन के संबंध में निर्धारित मजदूरी की दर, की समीक्षा नहीं की है। यदि आवश्यक हो, उक्त पाच वर्ष की अवधि के उपरांत न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा और जब तक ये संशोधित नहीं होती हैं, उक्त अवधि की समाप्ती के पूर्व तुरंत प्रचलित न्यूनतम दरें लागू रहेंगी। इस अनुच्छेद में शामिल शर्तें इसे लागू करने में नहीं रोकेंगी।

उपयुक्त सरकार किसी भी अनुसूचित नियोजन के संबंध में मजदूरी की न्यूनतम दर तय करें, जिसमें पूरे राज्य में ऐसे नियोजन से जुड़े कर्मचारियों की संख्या एक हजार से कम है, लेकिन अगर किसी भी समय उपयुक्त सरकार ऐसा समझती है,

[37]म.रे.(2), उ.रे.(8), द.प.रे.(2), डी.एल.डब्ल्यू (1)

जांच के पश्चात जो उसने खुद कराया है या करवाया है, कि किसी भी अनुसूचित नियोजन में कर्मचारियों की संख्या, जिसकी न्यूनतम मजदूरी की न्यूनतम दर तय करने से बचा है, एक हजार या उससे अधिक हो गई है, वह न्यूनतम वेतन का न्यूनतम दर तय करेगी, जो ऐसे रोजगार में कर्मचारियों को देय होगा।

इस खंड के तहत मजदूरी की न्यूनतम दरों को निर्धारित या संशोधित करने में,

(क) मजूदरी के विभिन्न न्यूनतम दर तय किए जा सकते हैं

(i) विभिन्न अनुसूचित नियोजनों के लिए;

(ii) एक ही अनुसूचित नियोजन में कार्य के विभिन्न वर्गों के लिए;

(iii) वयस्क, किशोरावस्था, बच्चों और प्रशिक्षुओं के लिए;

(iv) विभिन्न इलाकों के लिए;

(ख) न्यूनतम मजदूरी की दर किसी एक या अधिक निम्न मजूदरी अवधि, अर्थात, घंटे, दिन माह के आधार पर या किसी अन्य बडी मजदूरी अवधि के अनुसार निर्धारित की जा सकती है; और जहां ऐसी दरों को दिन या महीने से तय किया जाता है, एक महीने के लिए या एक दिन के लिए मजदूरी की गणना करने का तरीके को तदनुसार, इंगित किया जा सकता है।

बशर्ते कि जहां मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 (1936 का 4) की धारा 4 के तहत किसी भी मजदूरी की अवधि तय की गई है, वहां न्यूनतम मजदूरी उसके अनुसार तय की जाएगी।

मुख्य श्रम आयुक्त (सीएलसी) और इसके अधीनस्थ कार्यालय एमडब्ल्यूए, 1948 और एमडब्ल्यूआर, 1950 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं। रेलवे बोर्ड ने दरों में संशोधन के संबंध में सीएलसी के आदेश समय-समय पर को सभी क्षेत्रीय इकाईयों को जारी किए हैं। जिसमें एमडब्ल्यूए, 1948 और एमडब्ल्यूआर, 1950 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने और संविदा मजदूरों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का प्रबंध करने के लिए उन्हें निर्देशित किया है।

लेखा परीक्षा ने चयनित 463 संविदा में संविदा **श्रमिक** के लिए न्यूनतम मजदूरी के भुगतान के संबंध में वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन की समीक्षा की। लेखा परीक्षा निष्कर्षों की नीचे चर्चा की गई है:

2.6.1 ठेकेदारों द्वारा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान

प्रावधानों के अनुसार[38], नियोक्ता (ठेकेदार) हर कर्मचारी को, बिना किसी कटौती के, समय-समय पर जारी अधिसूचना (श्रम आयुक्त के संबंधित क्षेत्राधिकार से)के अनुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम दर पर भुगतान नहीं करेगा।

लेखा परीक्षा में समीक्षा किए गए 463 संविदाओं में से,

- केवल 105 संविदाओं के संबंध में, न्यूनतम मजदूरी को एमडब्ल्यूए, 1948 के प्रावधान के अनुसार भुगतान किया गया।
- 129 संविदाओं के संबंध में, संविदा श्रमिक के लिए न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित नहीं किया गया। लेखापरीक्षा ने न्यूनतम वेतन के लिए संविदा अवधि के दौरान 3310 संविदा श्रमिकों को ₹ 9.23 करोड़ का कम भुगतान का आकलन किया; तथा
- 229 संविदाओं के संबंध में, मजदूरी के भुगतान से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं किए गए।

इस प्रकार, न्यूनतम मजदूरी के भुगतान के प्रावधानों का अनुपालन 23 प्रतिशत (463 में से 105) संविदाओं में मिला था।

अनुबंध 2.7

2.6.2 ठेकेदारों द्वारा कर्मचारियों को विश्राम दिन (सामान्य दर पर) के लिए मजदूरी का भुगतान

नियम[39] यह भी प्रदान करते हैं कि जिन कर्मचारियों ने एक नियोक्ता के तहत एक अनुसूचित रोजगार में कम से कम छह दिनों तक निरंतर अवधि के लिए काम किया हो, जिसके लिए उस अधिनियम के तहत न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया गया है, उन्हें सप्ताह के एक दिन विश्राम की अनुमति दी जाएगी जो आमतौर पर रविवार रहेगा, लेकिन नियोक्ता किसी भी कर्मचारी या उस नियोजित रोजगार के वर्ग के कर्मचारियों के लिए सप्ताह के किसी भी दूसरे दिन को साप्ताहिक अवकाश निर्धारित कर सकता है।

लेखा परीक्षा में समीक्षा की गई 463 संविदाओं में से,

- 120 संविदाओं के संबंध में, ठेकेदारों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुपालन में विश्राम के दिनों के लिए मजदूरी का भुगतान किया गया,
- 62 संविदाओं के संबंध में, निर्धारित प्रावधानों के अनुसार ठेकेदारों द्वारा मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया और विश्राम दिनों के लिए संविदा अवधि के दौरान

[38]न्यूनतम मजदूरी अधिनियम1948 के धारा 12

[39]नयूनतम मजदूरी नियम 1950 के नियम 23 (1)

2745 संविदा श्रमिकों के लिए लेखा परीक्षा ने ₹ 5.41 करोड़ के न्यूनतम मजदूरी के कम भुगतान का आकलन किया।

- 42 संविदाओं के संबंध में, विश्राम दिनों के लिए मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित नहीं किया जा सका; तथा
- 239 संविदाओं के संबंध में, प्रासंगिक अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं किए गए।

इस प्रकार, विश्राम दिनों के भुगतान के प्रावधान का अनुपालन 26 प्रतिशत (463 में से 120) संविदाओं में मिला।

अनुबंध 2.8

2.6.3 प्रतिस्थापित विश्राम दिनों के लिए मजदूरी का सामान्य मजदूरी की दर से दोगुना का भुगतान

नियम[40] के अनुसार किसी कर्मचारी को विश्राम दिन के लिए मजदूरी दी जाएगी और संविदाओं में यदि वह विश्राम के दिन पर काम करता है और उसे प्रतिस्थापित विश्राम दिन दिया गया है, उसे ओवरटाइम दर पर शेष दिन के लिए मजदूरी का भुगतान किया जाएगा, जो अगले पूर्ववर्ती दिन पर लागू दर पर प्रतिस्थापन विश्राम दिन के लिए होगा।

लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई 463 संविदाओं में से,

- 146 संविदाओं में, नियमानुसार मजदूरी की निर्धारित दर पर भुगतान किया गया।
- 49 संविदाओं के संबंध में, ठेकेदारों ने न तो मजदूरों को कोई विश्राम प्रदान किया है और न ही विश्राम दिन की मजदूरी और न्यूनतम मजदूरी की दोगुनी दर पर देय मजदूरी, का भुगतान किया।
- 268 संविदाओं में, प्रासंगिक अभिलेख लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गए।

49 संविदाओं में, ठेकेदारों ने श्रमिकों को कोई प्रतिस्थापित विश्राम प्रदान नहीं किया। यहां तक कि विश्राम दिनों पर काम करने के लिए मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी की दर से दोगुना देय थी, जैसा कि नियमों के अनुसार आवश्यक था, का भुगतान नहीं किया गया। लेखापरीक्षा ने आकलन किया कि ठेकेदार द्वारा संविदा अवधि में 1823 ठेका मजदूरों को ₹4.41 करोड़ का कम भुगतान किया गया।

अनुबंध 2.9

[40]न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1950 के नियम 23 (4)

2.6.4 निर्धारित कार्य के घंटे/दिनों और उसके अनुसार मजदूरी के भुगतान का अनुपालन

नियमों[41] के अनुसार संविदा श्रमिक की अधिकतम कार्य के घंटे, प्रति दिन 12 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए और अधिकतम दिन 10 लगातार कार्यदिवस से अधिक नहीं होना चाहिए।

लेखा परीक्षा में समीक्षा की गई 463 संविदाओं में से,

- 199[42] संविदाओं में, ठेकेदारों ने काम करने के 10 निरंतर दिनों के पूरा होने से पहले श्रमिकों को विश्राम दिन प्रदान किया।
- 49[43] संविदाओं में, ठेकेदारों ने 10 दिन से लगातार काम करने के बाद भी श्रमिकों को कोई विश्राम दिन नहीं दिया। दो संविदाओं के संबंध में, संविदा श्रमिक एक दिन में 12 घंटे से अधिक की अवधि के लिए कम पर लगे हुए थे जो वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन था[44]।
- 215 संविदाओं में, आवश्यक अभिलेख लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए।

लेखा परीक्षा श्रमिकों के लगातार दस दिनों से ज्यादा कार्य दिवसों के लिए कार्य न करने का अश्वासन, 44 प्रतिशत (463 में से 205) संविदाओं में प्राप्त कर सकी।

इसके अलावा, नियम[45] में वर्णित हैं कि जब कोई कामगार किसी भी दिन नौ घंटे से ज्यादा या किसी भी सप्ताह में 48 घंटों से अधिक समय के लिए काम करता है, तो वह ओवरटाइम के काम के संबंध में, मजदूरी की साधारण दर से दोगुनी मजदूरी का हकदार होगा।

लेखा परीक्षा में समीक्षा किए गए 463 संविदाओं में से,

- 30 संविदाओं में, ठेकेदारों ने 9 और 12 घंटों के बीच एक दिन में तैनात संविदा श्रमिक को किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया। लेखापरीक्षा ने संविदा अवधि के दौरान 830 संविदा श्रमिक को ₹1.74 करोड़ की राशि का कम भुगतान का आकलन किया;
- 193 संविदाओं में ठेकेदार ने नौ घंटे से अधिक समय तक संविदा श्रमिक को तैनात नहीं किया तथा
- 240 संविदा में, संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए।

अनुबंध 2.10

[41]नयूनतम मजदूरी अधिनियम 1950 के नियम 23 (1)
[42]द.म. रे. (37) म. रे. (67) पू.रे. (4) उ.रे. (65) उ.प.रे. (10) द.प.रे. (10) आर पी यू मेट्रो (6)
[43]द.म. रे. (21) म. रे. (4) उ.रे.(8) उ.प.रे. (12) द.प.रे. (4)
[44]न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1950 के नियम 23 (2) और 24(2)
[45]न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1950 के नियम 25 (1) (बी)

2.7 श्रम आयुक्त द्वारा जांच और निगरानी

वर्णित प्रावधानों[46] के अनुसार, श्रम आयुक्त के अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के संविदा श्रमिक के अभिलेख, न्यूनतम मजदूरी आदि का भुगतान की जांच के लिए प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर सकते है। एकीकृत श्रमसुविधा पोर्टल को भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा निरीक्षण की रिपोर्टिंग और रिटर्न जमा करने के लिए विकसित (अक्टूबर 2014) किया गया है। पोर्टल को नियोक्ता, कर्मचारी और प्रवर्तन एजेंसियों के बीच संपर्क के एक बिंदु के रूप में, दैनिक पारस्परिक क्रियाओं में पारदर्शिता लाने के लिए परिकल्पित किया गया है। विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के बीच डेटा के एकीकरण के लिए, किसी भी श्रम कानून के तहत प्रत्येक निरीक्षणीय इकाई को एक श्रम पहचान संख्या (एलआईएन) नियत किया गया है। वेब पोर्टल का उद्देश्य श्रम निरीक्षण और उसके प्रवर्तन की जानकारी को संकलित करना है। यह निरीक्षण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को स्थापित करेगा। अनुपालन एकल सामंजस्य पूर्ण रूप में रिपोर्ट करने योग्य होगा जो ऐसे फॉर्म दाखिल करने वालों के लिए इसे सरल और आसान बनायेगा। दक्षता की निगरानी महत्वपूर्ण संकेतकों का उपयोग करके की जाएगी ताकि मूल्यांकन प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाया जा सके।

रेलवे प्रशासन द्वारा लेखापरीक्षा में दिखाए गए अभिलेख / दस्तावेजों की समीक्षा में संबंधित श्रम आयुक्त कार्यालय से प्राप्त कोई संसूचना/पत्र नहीं पाया गया, जिससे यह प्रकट हो कि उपरोक्त लिखित जिम्मेदारियों और कार्यों को पूरा करने के लिए कार्रवाई की गयी थी। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, रेलवे प्रशासन के अभिलेख में कोई साक्ष्य नहीं दिखाया जा सका कि श्रम आयुक्त के अधिकारियों द्वारा उल्लिखित उपरोक्त शर्तों के तहत संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति के लिए निर्धारित नियमों और प्रावधानों की जांच के लिए निरीक्षण किए गए थे।

इस संबंध में, लेखा परीक्षा ने देखा कि एक नई निरीक्षण योजना[47] सितंबर 2015 में शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य, आई टी सिस्टम के उपयोग से अधिक पारदर्शिता और जबाबदेही लाना, निरीक्षणों को और अधिक प्रभावी और परिणाम उन्मुख बनाना और दुरुपयोग और मध्यस्थता के दायरे को खत्म करने के लिए व्यक्तिगत इंटरफ़ेस को कम करना है। योजना ने आपातकालीन और अनिवार्य निरीक्षण के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। इसके अलावा, श्रम कानूनों के समुचित प्रवर्तन की आवश्यकता के आधार पर जांच के लिए क्षेत्रीय आंकड़ों और शिकायतों को इकट्ठा और विश्लेषण करने के लिए मुख्य श्रम आयुक्त एक केंद्रीय विश्लेषण और खुफिया इकाई (सीएआईयू) स्थापित करेगा। सीआईएयू निरीक्षण सीएलसी संगठन और अन्य

[46]सी एल आर नियम 1970 के धारा 22 और 28

[47]संख्या 01 (119)/2015 आई टी सेल, भारत सरकार, मुख्य श्रम आयुक्त का कार्यालय (सी), नई दिल्ली, दिनांक 23 सितम्बर 2015

केन्द्रीय और राज्य प्राधिकरणों के क्षेत्र इकाइयों, प्रभावित पक्षों और अन्य हितधारकों से प्राप्त शिकायतों/शिकायतें और श्रमसुविधा पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न सूचनाओं के आधार पर डिफ़ॉल्ट और गैर-अनुपालन के मामलों के बारे में जानकारी के आधार पर शुरू की जाएगी। उपरोक्त तीन प्रकार के निरीक्षणों में से चुने गए इकाइयां वैकल्पिक निरीक्षणों की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, जिन्हें निर्धारित अनुपात में पूर्व-निर्धारित संख्या तालिकाओं का उपयोग करके कंप्यूटर के माध्यम से तैयार सूची के आधार पर निरीक्षण किया जाएगा।

रेलवे के मूल नियोक्ता के साथ-साथ ठेकेदारों को प्रभावी ढंग से सीएलसी द्वारा श्रम कानूनों के निरीक्षण / कार्यान्वयन के लिए प्रभावी रूप से तभी शामिल किया जा सकेगा, यदि वे श्रम आयुक्त के संगठन में पंजीकृत हैं या उनके बारे में शिकायत प्राप्त की गई है। अतः श्रम आयुक्त के संगठन द्वारा निगरानी सुनिश्चित करने के लिए मूल नियोक्ता के साथ-साथ ठेकेदार का पंजीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अध्याय 3
कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 तथा कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 का अनुपालन

कर्मचारी भविष्य निधि (**ईपीएफ**) और विविध प्रावधान अधिनियम (एमपीए), 1952 के द्वारा भविष्य निधि, पेंशन निधि और जमा-बद्ध बीमा निधि को कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को रक्षा प्रदान करने हेतु अधिनियमित किया गया था। कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 को केंद्रीय सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अनुभाग 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर अन्य प्रतिष्ठानों के साथ निम्नलिखित प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने हेतु तैयार किया गया था:

(अ) भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना में संदर्भित लाउन्ड्री और लाउन्ड्री सेवाओ में लगे प्रतिष्ठानों में,

(ब) भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सफाई और सफाई सेवाओं में लगे प्रतिष्ठानों के रूप में,

(स) रेलवे के निर्माण, रख-रखाव, संचालन और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए रेलवे में लगे प्रतिष्ठानों के रूप में (भारतीय रेलवे को छोड़कर जो विशेष रूप से भारत सरकार द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जिसके कर्मचारी, **केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए** नियमों के तहत, भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का उपयोग कर रहें है); जैसा भारत सरकार की श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबन्धित अधिसूचना में निर्दिष्ट है।

ईपीएफ और एमपीए, 1952 और ईपीएफएस, 1952 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी **कर्मचारी भविष्य निधि** संगठन के पास है। कर्मचारी, भविष्य निधि योगदान के लिए वेतन का 12 प्रतिशत योगदान देता है। नियोजक भी 12 प्रतिशत का योगदान देता है, जिसमें ईपीएफ में 3.67 प्रतिशत और कर्मचारी पेंशन योजना के लिए 8.33 प्रतिशत शामिल हैं।

ईपीएफ और एमपीए, 1952 और ईपीएफएस, 1952 के प्रावधानों के अनुपालन की जांच करने के लिए लेखापरीक्षा ने चयनित संविदाओं की समीक्षा की गई। निम्नलिखित अनुछेद में लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा की गई है।

3.1 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ ठेकेदार का पंजीकरण

3.1.1 संविदा करने से पहले ठेकेदार के पंजीकरण को सुनिश्चित करने के लिए मूल नियोक्ता की जिम्मेदारी

किसी भी संविदा को देने से पहले, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन[48] के निर्देशों के अनुसार, मूल नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि ठेकेदार **कर्मचारी भविष्य निधि संगठन** के साथ पंजीकृत है। संविदा मिलने के बाद **ईपीएफ** पोर्टल में मूल नियोक्ता द्वारा ठेकेदारों का विवरण भी दर्ज किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई 463 संविदाओं में से,

- 20 संविदाओं में, रेलवे प्रशासन ने पुष्टि की कि संविदा के देने से पहले **ईपीएफ संगठन** के साथ ठेकेदार का पंजीकरण अस्तित्व में था।
- 12 संविदाओं में, रेलवे प्रशासन ने ठेकेदारों के पंजीकरण से पहले या बाद में **ईपीएफ संगठन** के साथ ठेकेदार का पंजीकरण सुनिश्चित नहीं किया, और
- 431 संविदाओं में, लेखा परीक्षा को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए।

इस प्रकार, रेलवे प्रशासन, मूल नियोक्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाने में विफल रहा और संविदाओं के देने से पहले या बाद में ठेकेदारों के पंजीकरण को सुनिश्चित नहीं किया। नतीजन, ठेकेदारों द्वारा लगाये गए संविदा श्रमिकों के लिए संविदा मे श्रमिक अधिकारों के बारे में दिये गए आश्वासन से समझौता किया गया।

अनुबंध 3.1

3.1.2 ईपीएफ संगठन के साथ पंजीकरण के संबंध में नियोजक (ठेकेदार) की जिम्मेदारी

प्रावधानों[49] का पालन करने की आवश्यकता के अनुसार, इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले हर नियोजक को **ईपीएफ संगठन** के साथ पंजीकृत होना चाहिए। लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई 463 संविदाओं में से,

- केवल 46 संविदाओं में ठेकेदारों द्वारा **ईपीएफ** पंजीकरण प्राप्त किया गया था,
- 96 संविदाओं में ठेकेदारों द्वारा **ईपीएफ** पंजीकरण नहीं लिया गया था,
- शेष 321 संविदाओं में, ठेकेदार के **ईपीएफ** पंजीकरण की जानकारी अभिलेखों मे नहीं मिली।

अनुबंध 3.1

[48] क.भ.नि. व प्र.उ.अ. 1952 की धारा 1(3)(अ) तथा (ब)

[49] क.भ.नि. व प्र.उ.अ. 1952 की धारा 2 के साथ क.भ.नि. व प्र.उ.अ. 1952 की धारा 1(3)(अ) तथा (ब) तथा क.भ.नि.यो. 1952 का पारा 36

इस प्रकार, मूल नियोक्ता द्वारा अधिनियमो के प्रावधानों का पालन न करने के कारण, ठेकेदारों द्वारा प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में आश्वासन को मंदित पाया गया।

3.1.3 संविदा श्रमिक के लिए भविष्य निधि खाता का आबंटन

नियमानुसार[50] भविष्य निधि खाता संख्या के आबंटन के लिए नियोजक (ठेकेदार) प्रत्येक महीने के अंत के 15 दिनों के भीतर ईपीएफ कमीशनर के संगठन को, कर्मचारियों के रिटर्न फॉर्म 5 में, पिछले महीने के दौरान पहली बार फंड के सदस्य बनने के योग्यता के साथ, ऐसे योग्यता वाले कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत फॉर्म 2 में घोषणा, के साथ भेजेगा। आयुक्त तुरंत प्रत्येक कर्मचारी को एक भविष्य निधि खाता आवंटित करेगा, जो सदस्य बनने के लिए अर्हता रखता है और नियोजक[51] के माध्यम से सदस्य को खाता संख्या बताएगा ।

लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई 463 संविदाओं में से,

- केवल 61[52] संविदाओं के संबंध में संविदा श्रमिक के भविष्य निधि खाता संख्या उपलब्ध थे,
- 144[53] संविदाओं के संबंध में नियोजक (ठेकेदार) द्वारा संविदा श्रमिक के लिए भविष्य निधि खाता संख्या के आवेदन और आवंटन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई और
- 258 संविदाओं के संबंध में, प्रासंगिक अभिलेख, लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गए।

इस प्रकार, संविदा श्रमिक को भविष्य निधि खाता संख्या का आवंटन न कर उन्हें भविष्य निधि की सुविधा के लाभ से वंचित रखा गया। यह निर्धारित प्रावधानों के तहत अपने दायित्व को पूरा करने के लिए रेलवे प्रशासन की ओर से किए जाने वाली कार्रवाई की अनुपस्थिति के कारण था।

3.1.4 संविदा श्रमिक के मजदूरी से ईपीएफ कटौती और ठेकेदारों द्वारा योगदान के भुगतान के लिए मूल नियोक्ता की जिम्मेदारी

मूल नियोक्ता खुद के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियोजित कर्मचारियों और ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से नियोजित कर्मचारियों के संबंध में, स्वयं द्वारा देय योगदान तथा प्रशासनिक शुल्क[54], दोनों का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार हैं। ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से नियोजित कर्मचारियों के संबंध में, ठेकेदार ऐसे कर्मचारी

---

[50] क.भ.नि.यो. 1952 का पारा 36(2)(अ)

[51] क.भ.नि.यो. 1952 का पारा 37

[52] उ.म.रे.(8), म.रे.(25), उ.रे.(10), उ.प.रे.(14) तथा द.प.रे.(4)

[53] उ.म.रे.(63), म.रे.(30), उ.रे.(17), उ.प.रे.(10) तथा द.प.रे.(24)

[54] क.भ.नि.यो. 1952 का पारा 30(3)

द्वारा देय योगदान (सदस्य के योगदान) को वसूल करेगा और मूल नियोक्ता को उस सदस्य के योगदान की राशि तथा योगदान के समान राशि (नियोजक के योगदान में) का भुगतान प्रशासनिक शुल्क[55] के साथ करेगा।

लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई 463 संविदाओं में से,

- केवल 32 संविदाओं के संबंध में, कर्मचारियों की ईपीएफ कटौती उपरोक्त उपबंधों के अनुपालन में की गई।
- 22 संविदाओं के संबंध में, लेखापरीक्षा द्वारा मूल्यांकन में पाया गया कि 1290 संविदा श्रमिक के मामले में कर्मचारियों की ईपीएफ कटौती ₹ 0.15 करोड़ कम की गई।
- 103 संविदाओं के संबंध में, कर्मचारियों से ईपीएफ कटौती नहीं की गयी। 2388 संविदा श्रमिक के मामले में ₹1.92 करोड़ के कम कटौती/गैर-कटौती का आकलन लेखापरीक्षा द्वारा किया गया।
- 306 संविदाओं के संबंध में, उनके संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए। इस प्रकार, इन संविदाओं के संबंध में, लेखापरीक्षा द्वारा ईपीएफ योगदान की नहीं की गई कटौती या कम कटौती की मात्रा का मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

अनुबंध 3.2

- केवल 29 संविदाओं के संबंध में, ईपीएफ के प्रति नियोजक का योगदान उपर्युक्त प्रावधान के अनुपालन में बिना किसी कमी के किया गया।
- 24 संविदाओं के संबंध में, लेखापरीक्षा द्वारा किए गए मूल्यांकन में से 1525 संविदा श्रमिक के मामले में ईपीएफ के प्रति नियोजक के योगदान में ₹0.36 करोड़ की कमी थी।
- लेखापरीक्षा ने मूल्यांकन किया कि 104 संविदाओं के संबंध में, नियोजक द्वारा ईपीएफ मे योगदान नहीं किया गया और 2206 संविदा श्रमिक के मामले में ₹2.18 करोड़ का कम अंशदान किया गया।
- 306 संविदाओं के संबंध में, उसके संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे लेखापरीक्षा ठेकेदार द्वारा ईपीएफ योगदान की नहीं की गई कटौती या कम कटौती अंशदान का आकलन नहीं किया जा सका।

अनुबंध 3.3

इस प्रकार, ₹4.60 करोड़ की राशि या तो कम कटौती/कटौती नहीं की गई या योगदान पूरी तरह से/आंशिक रूप से नहीं किया गया। यह राशि न तो ईपीएफ संगठन को मूल नियोक्ता द्वारा जमा की गई और न ठेकेदारों से वसूल की गई। इस प्रकार,

[55] क.भ.नि.यो. 1952 का पारा 30(2)

रेलवे प्रशासन की निष्क्रियता का संविदा श्रमिक के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

3.2 प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के प्रावधान

औपचारिक क्षेत्र में नई नौकरियों के सृजन को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना[56] शुरू की है, जिसमे यूनिवर्सल अकाउंट संख्या (यूएएन) वाले नए कर्मचारियों के संबंध मे भारत सरकार नियोजक के 8.33 प्रतिशत योगदान को कर्मचारी पेंशन स्कीम (ईपीएस) को भुगतान करेगी। ये दिशानिर्देश 9 अगस्त 2016 से प्रभावी किए गए। यह योजना नियोजक को बेरोजगार व्यक्तियों की भर्ती के लिए प्रोत्साहित करने और अनौपचारिक कर्मचारियों को लेखा में लाने के उद्देश्य से पेश किया गया है।

रेलवे को, ठेकेदारों को ईपीएफ और एमपीए, 1952 और ईपीएफएस, 1952 के प्रावधानों का पालन करने, बेरोजगार लोगों की भर्ती को बढ़ावा देने और अनौपचारिक कर्मचारियों को अभिलेख में लाने के लिए शुरू की गई इस नई योजना के तहत प्रभावी रूप से लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने के जरूरत है।

3.3 ईपीएफ संगठन द्वारा चेक और निगरानी

निर्धारित प्रावधानों[57] के अनुसार, ईपीएफ कमिश्नर के अधिकारी, ईपीएफ व एमपीए, 1952 के प्रावधानों के अनुपालन के लिए ईपीएफ रकम की कटौती/योगदान के श्रमिकों के अभिलेख की जांच के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में प्रतिष्ठानों की जांच कर सकते हैं। अभिलेख/दस्तावेज़, जो लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराए गए की जांच से पता चला कि संविदा श्रमिक के अधिकारों के संरक्षण के लिए संबंधित ईपीएफ कमिश्नर के कर्मचारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान, रेलवे प्रशासन के अभिलेखों में कोई साक्ष्य नहीं पाया गया कि ईपीएफ के कर्मचारियों द्वारा उपर्युक्त प्रावधानों की जांच वैधानिक दायित्वों की पूर्ति के लिए अधिनियमों के तहत अनुपालन हेतु निरीक्षण किए गए।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि व्यवसाय विनियमन को सरल बनाने के विचार से पारदर्शी निरीक्षण नीति[58], नीतिगत नियमों के साथ प्रासंगिक मानक और मानदंडों सहित, जून 2014 मे तैयार किया गया है, जो कि पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने और लगातार निरीक्षण को कम करने के लिए तैयार किया गया है।

---

[56] रोजगार महानिदेशालय, श्रम व रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा दिनांक 23.02.2017 को जारी ओ.एम. संख्या डी.जी.ई.-यू-13015/1/2016-एम.पी.

[57] क.भ.नि. व प्र.उ.अ. 1952 की धारा 13 के साथ क.भ.नि.यो. 1952 का पारा 46

[58] क.भ.नि. संगठन, श्रम व रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा दिनांक 26.06.2014 को जारी परिपत्र संख्या एम.आइ.एस.-2(4)सी.ए.आइ.यू./वेब पोर्टल/2014-15।

इस योजना ने अनिवार्य निरीक्षण के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। इसके अलावा, ईपीएफ एक पारदर्शी और जवाबदेह श्रमिक निरीक्षण प्रणाली के लिए फील्ड स्तर के आंकड़ों को इकट्ठा और विश्लेषण करने के लिए एक केंद्रीय विश्लेषण और खुफिया इकाई (सीएआईयू) स्थापित करेगा। सीएआईयू के माध्यम से अग्रेषित किए गए मामले डेटा और सबूत पर आधारित होंगे और ईपीएफ संगठन ने सीएआईयू द्वारा अपनी प्राथमिकताओं और आईएलओ सी -81[59] के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए मामलों के चयन मानदंडों के लिए एक उपयुक्त पद्धति तैयार करेगी। कुछ विशिष्ट मामलों के संबंध में, निरीक्षण वैकल्पिक होगा और निर्धारित कंप्यूटरों के जरिए पूर्वनिर्धारित संख्या तालिकाओं का इस्तेमाल किया जाएगा जो अंतिम तिमाही के मुकाबले प्रेषण/सदस्यता में गिरावट आदि निर्धारित पैरामीटर के अनुसार होगा। निरीक्षण नीति के तहत निर्धारित पद्धति के अनुसार नियोजक को श्रमिक सुविधा पोर्टल पर मास्टर डेटा और सामयिक रिटर्न देना है। इस प्रकार, ठेकेदारों पर अधिनियमों और नियमों की प्रयोज्यता से स्वयं को आश्वस्त करना और ईपीएफ संगठन के साथ पंजीकरण सुनिश्चित करना मूलभूत आवश्यकता होगी, जिसे मूल नियोक्ता (रेलवे) को अधिनियम और नियम के प्रावधानों के अनुसार सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

[59] अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का श्रम निरीक्षण के संबंध मे संस्तुति

अध्याय 4
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 एवं कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 का अनुपालन

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (ईएसआईए), 1948 कर्मचारियों को बीमारी, मातृत्व और रोजगार की चोट के मामले में कुछ लाभ प्रदान करने और उनके संबंध में कुछ अन्य मामलों में प्रावधान करने के लिए बनाया गया था। अधिनियम और नियम उन प्रतिष्ठानों पर लागू होते हैं जहां 10 (20 कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में) या अधिक व्यक्ति, पिछले 12 महीनों में, किसी एक दिन भी कार्यरत रहे हैं। मूल नियोक्ता/ठेकेदार द्वारा अधिनियम और नियमों की प्रयोज्यता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, जिन पर यह अधिनियम लागू होगा, उन कारखानों और प्रतिष्ठानों में सभी कर्मचारियों को इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त तरीके से बीमाकृत किया जाएगा।

4.1 कर्मचारी राज्य बीमा निगम के साथ नियोक्ता (ठेकेदार) का पंजीकरण

4.1.1 पहली बार नियोक्ता संहिता के लिए नियोक्ता (ठेकेदार) द्वारा आवेदन

नियम[60] यह बताता हैं कि एक ऐसे प्रतिष्ठान के संबंध में नियोक्ता, जिस पर वह अधिनियम पहली बार लागू होता है और जिसके लिए नियोक्ता का कोड संख्या अभी तक आवंटित नहीं हुई है और उस संस्थान के संबंध में नियोक्ता जिस पर पहले अधिनियम लागू किया गया था लेकिन समाप्त हो गया है, लिखित रूप में पंजीकरण की घोषणा, तदनुसार उपयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करेगा, जो अधिनियम लागू होने के 15 दिनों के बाद नहीं किया गया हो।

लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई 463 संविदाओं में से,

- 112[61] ठेके के संबंध में ठेकेदारों को क.रा.बि. निगम के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ पंजीकृत किया गया और उन्हें नियोक्ता के कोड नंबर आबंटित किया गया,
- 116[62] संविदाओं के संबंध में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ ठेकेदारों को पंजीकृत नहीं किया गया और उन्हें नियोक्ता का कोड नंबर आबंटित नहीं किया गया,
- 235 संविदाओं के संबंध में, संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं किए गए।

[60] 17 अक्टूबर 1 9 50 को ईएसआईसी द्वारा जारी अधिसूचना के नियम 10 बी

[61] एनसीआर (13), सीआर (20), ईआर (10), एनआर (33), एनडब्ल्यूआर (1 9), एसडब्ल्यूआर (11), आरपीयू / मेट्रो (6)

[62] एनसीआर (51), सीआर (14), एनआर (32), एनडब्ल्यूआर (11), आरपीयू / मेट्रो (2), डीएलडब्ल्यू (4), सीएलडब्ल्यू (2)

4.1.2 संविदा श्रमिकों के लिए ईएसआई खाता संख्या का आबंटन

विनियमन[63] यह बताता है कि नियोक्ता से कर्मचारियों की घोषणा के साथ रिटर्न की प्राप्ति पर, उपयुक्त कार्यालय तुरंत प्रत्येक व्यक्ति को बीमा संख्या (ईएसआई खाता संख्या) आवंटित करेगा जिनके बारे में घोषणा फार्म प्राप्त हुआ है।

लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई 463 संविदाओं में से,

- 49[64] संविदाओं के संबंध में, ईएसआई खाता संख्या ठेकेदारों द्वारा प्राप्त की गई;
- 148[65] संविदाओं के संबंध में, ईएसआई खाता संख्या प्राप्त नहीं हुई; तथा
- 266 संविदाओं के संबंध में, संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए।

4.2 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत नियोक्ता द्वारा कर्मचारी से कटौती और नियोक्ता से योगदान का भुगतान

निर्धारित प्रावधानों[66] के अनुसार, किसी कर्मचारी के संबंध में इस अधिनियम के तहत देय अंशदान, नियोक्ता के अंशदान मे मजदूरी का 4.75 प्रतिशत और कर्मचारियों के अंशदान में मजदूरी का 1.75 प्रतिशत होगा और यह अंशदान ईएसआईसी को देय होगा।

लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई 463 संविदाओं में से,

- 81 संविदाओं के संबंध में, 4423 संविदा श्रमिकों से ईएसआई कटौती और ईएसआईसी के साथ इसकी जमा नियोक्ता द्वारा की गई थी जिसमें 12 अनुबंध शामिल थे, जहां लेखापरीक्षा के अनुसार 503 संविदा श्रमिकों से ₹0.02 करोड़ की कम कटौती की गई।
- 80 संविदाओं मे, 1385 संविदा श्रमिकों से ₹0.22 करोड़ की आकलित ईएसआई की कटौती बिल्कुल नहीं हुई थी; तथा
- 302 संविदाओं के संबंध में अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए।

अनुबंध 4.1

---

[63] कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1 9 50 के विनियमन 15

[64]एनसीआर (2), सीआर (5), ईआर (7), एनआर (17), एनडब्ल्यूआर (11), एसडब्ल्यूआर (4), आरपीयू / मेट्रो (3)

[65]एनसीआर (54), सीआर (22), ईआर (2), एनआर (41), एनडब्ल्यूआर (1 9), आरपीयू / मेट्रो (2), डीएलडब्ल्यू (4), सीएलडब्ल्यू (4)

[66]ईएसआईए, 1 9 48 की धारा 39 (1)

- 40 संविदाओं में, 2797 संविदा श्रमिकों के संबंध में नियोक्ता के ईएसआई योगदान और ईएसआईसी के साथ इसकी जमा नियोक्ता (ठेकेदार) द्वारा की गई थी जिसमें 10 अनुबंध शामिल थे जहां 367 संविदा श्रमिकों के लिए नियोक्ता द्वारा किए गए ईएसआई योगदान ₹0.01 करोड़ से कम था, जैसा लेखा परीक्षा द्वारा आकलन किया गया।
- 88 संविदाओं के संबंध में, 1911 संविदा श्रमिकों के लिए ₹0.71 करोड़ की नियोक्ता द्वारा ईएसआई योगदान बिल्कुल नहीं किया गया, और
- 335 संविदाओं के संबंध में अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं किए गए।

अनुबंध 4.2

- यह भी देखा गया कि एक संविदा में तैनात 257 संविदा श्रमिकों में से, 157 संविदा श्रमिकों का नाम ईएसआई निगम के पोर्टल के नाम से मेल नहीं था। रेलवे प्रशासन द्वारा इसे ठीक करने के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की गई।

4.3 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत योगदान का भुगतान करने के लिए मूल नियोक्ता की देयता

प्रावधानों[67] के अनुसार, एक ठेकेदार के माध्यम से लगे संविदा श्रमिकों सहित अपने सभी कर्मचारियों के संबंध में मूल नियोक्ता योगदान का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा, यदि कोई कम अंशदान/बिना अंशदान का मामला पाया गया है तो मूल नियोक्ता ठेकेदार के बिल से ईएसआई के बकाया राशि की कटौती करने के लिए भी जिम्मेदार हैं। नियम[68] में यह भी कहा गया है कि किसी नियोक्ता के द्वारा या उसके द्वारा नियोजित किसी कर्मचारी के संबंध में अंशदान का भुगतान करने वाला एक मूल नियोक्ता उस भुगतान के योगदान की राशि (जो कि नियोक्ता का अंशदान अथवा कर्मचारी के अंशदान, यदि कोई हो) तत्काल नियोक्ता से या तो किसी भी संविदा के तहत मूल नियोक्ता द्वारा देय किसी भी राशि से या तत्काल नियोक्ता द्वारा ऋण के रूप में देय राशि से कटौती करेगा ।

लेखापरीक्षा में समीक्षा किए गए 463 संविदाओं में यह देखा गया कि ठेकेदार द्वारा ₹0.96 करोड़ की राशि नहीं काटा/कम काटा गया था और ईएसआईसी को जमा नहीं किया गया था। रेलवे प्रशासन ने ठेकेदार के बिल से वसूली की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की थी और इसे ईएसआईसी मे जमा नहीं किया गया था। किसी भी संविदा में

[67] ईएसआईए, 1948 की धारा 40

[68] ईएसआईए., 1948 की धारा 41

नहीं कटौती/कम कटौती के ऐसे मामलों में पहचान के लिए कोई आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मौजूद नहीं है।

4.4 ईएसआईसी द्वारा जांच और निगरानी

निर्धारित प्रावधानों[69] के अनुसार, ईएसआईसी को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रतिष्ठानों से ईएसआई राशि की कटौती/योगदान की तथा काटी गई योगदान की राशि को ईएसआईसी में जमा करने की सत्यता की जांच करनी चाहिए। लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान, रेलवे प्रशासन के अभिलेखों में कोई साक्ष्य नहीं पाया गया, जिससे यह जाना जा सके कि उपरोक्त अधिनियमों के तहत सांविधिक दायित्वों की पूर्ति के लिए निर्धारित नियमों और प्रावधानों की अनुपालन की जांच के लिए ईएसआईसी के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया था।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने देखा कि व्यापार विनियमन को सरल बनाने के लिए, श्रमिक निरीक्षण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व लाने के लिए अगस्त 2014 में एक पारदर्शी निरीक्षण नीति[70] तैयार की गई है। नीति में निरीक्षण के लिए इकाइयों के चयन के लिए वास्तविक मानदंडों की परिकल्पना की गई है। पॉलिसी में नई इकाइयां, छह महीनों के लिए डिफॉल्टर इकाइयां, ऐसी इकाइयां जिसे बंद करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है तथा ऐसी इकाइयां जहां पिछले तीन सालों में कोई निरीक्षण नहीं किया गया है, के लिए अनिवार्य निरीक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, ईएसआईसी एक पारदर्शी और उत्तरदायी श्रमिक निरीक्षण प्रणाली के लिए फील्ड स्तर के आंकड़ों को इकट्ठा और विश्लेषण करने के लिए एक केंद्रीय विश्लेषण और खुफिया इकाई (सीएआईयू) स्थापित करेगा। सीएआईयू के माध्यम से अग्रेषित किए गए मामले डेटा और सबूत पर आधारित होंगे और ईएसआईसी, सीएआईयू द्वारा अपनी प्राथमिकताओं और आईएलओ सी -81[71] के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, मामलों के चयन मानदंडों के लिए एक उपयुक्त पद्धति तैयार करेगा। कुछ विशिष्ट मामलों के संबंध में, निरीक्षण वैकल्पिक होगा और निरीक्षण जिस खाते में योगदान बंद हो गया है, जिस श्रमिक का योगदान नहीं हो रहा है आदि को ध्यान में रखते हुए कम्प्यूटर द्वारा पूर्व निर्धारित संख्या तालिकाओं का प्रयोग करके किया जाएगा। निरीक्षण पॉलिसी के तहत निर्धारित पद्धति में नियोक्ता को श्रम सुविधा पोर्टल पर मास्टर डेटा और आवधिक रिटर्न को फीड करना है। इस प्रकार ठेकेदारों पर अधिनियमों और नियमों के प्रयोज्यता की स्वयं को आश्वस्त करना और

[69]ईएसआईए, 1948 की धारा 44 और 45

[70]सं एस -11 / 12/2/2008 - संशोधित- II, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली दिनांक 01 अगस्त 2014

[71] अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के श्रम निरीक्षण के संबंध में सिफारिश

ईएसआईसी के साथ अपने पंजीकरण को सुनिश्चित करना मूल आवश्यकता होगी, जिसे मूल नियोक्ता (रेलवे) को सुनिश्चित करना है ताकि अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया जा सके। यह और भी ज़रूरी है, क्योंकि मूल नियोक्ता ठेकेदार के माध्यम से कार्यरत अनुबंधित श्रमिकों सहित अपने सभी कर्मचारियों के संबंध में योगदान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

अध्याय 5
सांविधिक प्रावधानों का पालन न करने का प्रभाव

5.1 लेखापरीक्षा में समीक्षा किए गए संविदाओं में संविदा श्रमिक के लिए कम भुगतान/भुगतान न करने/कम अंशदान/अंशदान न करने का प्रभाव

संविदा श्रमिक के हितों की रक्षा से संबंधित विभिन्न सांविधिक कानूनों के प्रावधान के माध्यम से मूल नियोक्ता को सौंपे गई जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए, सभी संविदाओं के अनुमानों में अन्य सभी मदों के साथ श्रम घटक का मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। सांविधिक कानूनों के पालन में शामिल लागत को ध्यान में रखते हुए अनुमान के श्रम घटक का आकलन किया जाना चाहिए। इनमें संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 इत्यादि शामिल हैं।

संविदा के अनुमानों की समीक्षा से पता चला कि रेलवे प्रशासन ने विभिन्न संविदाऑ में आवश्यक श्रम का आंकलन नहीं किया। जहाँ संविदाओं में श्रम घटक की लागत का आंकलन किया गया, वहाँ संविदा श्रमिक की लागत का आकलन विभिन्न अधिनियमों और नियमों के तहत प्रदान की गई वैधानिक दायित्वों को पूरा करने में शामिल लागतों को ध्यान में रखते हुए नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 463 संविदाओं में से 190 संविदाओं के मामले में, संविदा के क्रियान्वन के लिए श्रमिकों की संख्या को शामिल किया गया। इनमें से 108 संविदाओं के, अनुमान में श्रम घटक का अलग से आंकलन किया गया था और 82 संविदाओं में अनुमानों में श्रम घटक का अलग से आंकलन नहीं किया गया था। 108 संविदाओं में से, जहां अनुमान में श्रम घटक को अलग से शामिल किया गया था, 71 संविदाओं में श्रम घटक का आकलन में ₹12 करोड[72] कम पाया गया। लेखापरीक्षा द्वारा श्रम घटक का आंकलन संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार श्रम की लागत के आधार पर किया गया।

अनुबंध 5.1 और 5.2

इस प्रकार, जहाँ श्रम घटक का अलग से आकलन किया गया, रेलवे ने संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948,

[72]लेखापरीक्षा द्वारा रूपये 66.36 करोड आंकलन किया गया जबकि रेलवे प्रशासन द्वारा रूपये 54.36 करोड आंकलन किया गया।

कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत 108 संविदाओं में से 71 में वैधानिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनुमानों को तैयार नहीं किए। न्यूनतम मजदूरी और अन्य सांविधिक श्रम लाभों का भुगतान/ भुगतान न होने के परिणाम स्वरूप संविदा श्रमिकों के शोषण का ज़ोखिम काफी अधिक था।

वैधानिक कानूनों के अनुपालन में शामिल लागतों और भुगतानों को ध्यान में रखते हुए लागत अनुमान तैयार करने के मुद्धे पर चर्चा करते हुए, एक्ज़िट सम्मेलन के दौरान (जनवरी 2018) रेलवे बोर्ड ने कहा कि कभी-कभी लागत अनुमानों के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करने में बाधाएं होती हैं, क्योंकि भुगतान, किये गये काम की वास्तविक मात्रा के आधार पर किया जाता है न कि श्रम की संख्या के आधार पर। लेखापरीक्षा ने जोर दिया कि मजदूरी के संबंध में सभी वैधानिक दायित्वों को ध्यान में रखते हुए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पहला कदम लागत अनुमानों सही ढंग से बनाना है।

5.2 मूल नियोक्ता और ठेकेदारों द्वारा सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने का प्रभाव

5.2.1 रेलवे संरचनाओं में चयनित ₹873.40 करोड़ मूल्य के 463 संविदाओं में से, ₹224.30 करोड़ की 151 संविदाओं के मामलों में लेखापरीक्षा क्षेत्र में सीमाएं रही, क्योंकि लेखापरीक्षा को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। ₹649.10 करोड़ मूल्य के शेष 312 संविदाओं में 8998 संविदा श्रमिक शामिल थे, जिनमें से ₹408.20 करोड़ मूल्य के 210 संविदाओं में शामिल 6366 संविदा श्रमिकों पर विपरीत वित्तीय प्रभाव पड़ा। जबकि ₹240.88 करोड़ मूल्य के 102 संविदाओं में शामिल 2632 श्रमिकों पर श्रम कानूनों के अनुपालन के संबंध में लेखापरीक्षा को श्रमिकों पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पाया गया।

प्रतिकूल प्रभाव की मात्रा के संबंध में, लेखापरीक्षा ने 210 समीक्षा किये गये संविदाओं में 6366 संविदा श्रमिकों पर ₹26.14 करोड़ के प्रतिकूल प्रभाव का आकलन किया। इसमें क्रमशः संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अनुपालन न करने के कारण क्रमशः ₹20.78 करोड़, ₹4.41 करोड़ और ₹0.95 करोड़ की राशि शामिल थे। यह 312 संविदाओं में मूल्य का 4.02 प्रतिशत था।

5.2.2 प्राथमिक इकाई 32 संविदात्मक भुगतान के आंकड़े को दर्शाता हैं और प्राथमिक इकाई 32 के तहत दर्ज किए गए व्यय विभिन्न राजस्व अनुदानों के तहत संविदात्मक भुगतान का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह देखा गया था कि 2016-17 के दौरान, राजस्व अनुदान के तहत कुल भुगतान ₹5806.63 करोड़ रूपये था।

इसी तरह, पूंजी अनुदानों के तहत संविदात्मक भुगतानों के लिए आंकड़ा प्राथमिक इकाई 03 को दर्शाता है। तथापि, ये आंकड़े रेलवे बोर्ड स्तर पर तैयार नही किए जाते हैं। 2016-17 के दौरान उत्तर मध्य रेलवे में कुल व्यय (अतिरिक्त-बजटीय संसाधनों को छोड़कर) में संविदात्मक भुगतान 28.54 प्रतिशत था। मानदंड के रूप में 28.54 प्रतिशत लेते हुए, पूंजीगत व्यय (2016-17 के दौरान ₹102632.65 करोड़) में संविदात्मक भुगतान का हिस्सा ₹29291.35 करोड़[73] निकाला गया।

तालिका 5.1 - 2016-17 के दौरान भारतीय रेलवे पर राजस्व और पूंजी अनुदान के तहत संविदात्मक भुगतान

अनुदान का प्रकार	अनुदान संख्या	2016-17 के दौरान प्राथमिक इकाई 32 के तहत व्यय (करोड़ रूपये में)
राजस्व	3	53.55
राजस्व	4	2160.88
राजस्व	5	165.10
राजस्व	6	416.00
राजस्व	7	490.73
राजस्व	8	816.54
राजस्व	9	395.73
राजस्व	10	0
राजस्व	11	838.40
राजस्व	12	469.70
पूंजी	16	29291.35

स्रोत-रेलवे मंत्रालय के अनुदान की मांग

तालिका 5.2 – भारतीय रेलवे में संविदा श्रमिक पर प्रतिकूल प्रभाव की गणना

कुल राजस्व अनुदान	₹ 5806.63 करोड़
कुल पूंजी अनुदान संख्या 16 (अतिरिक्त बजटीय संसाधनों को छोडकर) का 28.54 प्रतिशत	₹ 29291.35 करोड़
कुल	₹ 35098 करोड़
₹35098 करोड़ के 4.02 प्रतिशत यानी ₹1410.94 करोड़	

[73]रूपये 102632.65 करोड का 28.54 प्रतिशत।

इस प्रकार, 2016-17 के दौरान, भारतीय रेलवे ने लगभग ₹35,098 करोड़ रूपये का संविदात्मक भुगतान किया। 312 संविदाओं में लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित संविदा श्रम पर प्रतिकूल प्रभाव का कुल संविदात्मक भुगतान का 4.02 प्रतिशत निकाला गया। भारतीय रेलवे में संविदात्मक भुगतानों पर अनुमानित प्रतिकूल प्रभाव इस प्रकार ₹35,098 करोड़ रूपये का 4.02 प्रतिशत अर्थात रूपये 1410.94 करोड़ होगा। चूंकि, भारतीय रेलवे ने 2016-17 के दौरान ₹35,000 करोड़ से अधिक का संविदात्मक भुगतान किया, इस प्रकार से प्रभावित संविदा श्रमिकों की संख्या काफी अधिक होगी।

अध्याय 6
श्रम कानूनों के अनुपालन के संबंध में उत्तम प्रथाओं का वृत अध्ययन

नौ रेल स्थापनाओं में 463 ठेकों की लेखापरीक्षा ने दर्शाया कि भारतीय रेल में संविदा श्रमिक के संबंध में सांविधिक कानूनों के प्रावधानों की बड़े स्तर पर अननुपालना हुई है। विगत कुछ वर्षों में श्रम कानूनों को सरल और स्पष्ट करने के लिए श्रम एवं नियोजन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विभिन्न परिवर्तन किये जाने के बावजूद भी अननुपालना जारी है।

श्रम एवं नियोजन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकसित (अक्टूबर 2014) एकीकृत श्रम सुविधा पोर्टल[74] निरीक्षणों की रिपोर्टिंग, रिटर्न के प्रस्तुतीकरण को सुगम बनाता है और दैनिक क्रिया और जांच में उत्तरदायित्वों में पारदर्शिता लाने के लिए कर्मचारी, नियोक्ता और प्रवर्तन एजेंसियों के बीच संपर्क बिंदु है। 2016 और 2017 के दौरान, श्रम कानून के अनुपालन को आसान बनाने के लिए मंत्रालय ने बिना किसी लागत के पंजीकरण और बिना किसी मैन्युल हस्तक्षेप के रियल टाईम आधारित ऑनलाईन पंजीकरण आरंभ किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने नौ[75] केन्द्रीय श्रम कानूनी नियम के अंतर्गत अनुरक्षित किये जाने वाले 56 रजिस्टरों की संख्या को घटाकर पाँच कर दिया गया है। उपर्युक्त निर्दिष्ट नौ अधिनियमों के अंतर्गत केवल एक ऑनलाइन रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। ईपीएफओ और ईएसआईसी हेतु सामान्य इलैक्ट्रॉनिक रिटर्न एवं चालान होगा। इस प्रकार, श्रम विभाग द्वारा श्रम निरीक्षणों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्वता के अतिरिक्त ठेकेदारों और मूल नियोक्ता द्वारा संविदा श्रमिक से संबंधित आवश्यक अभिलेख तैयार कर रिटर्न को प्रस्तुत करना आसान हो जाएगा। तथापि, रेलवे द्वारा श्रम कानूनों के अनुपालन में सुधार करने के लिए उपयुक्त रूप से इस अवसर का पर्याप्त उपयोग नहीं किया जा रहा है। लेखापरीक्षा ने विभिन्न श्रम कानूनों के प्रावधानों की अनुपालना के लिए आवश्यक प्रयासों का विश्लेषण किया, ऐसी गतिविधियों की सूची तैयार की और

---

[74]वैब पोर्टल का उद्देश्य श्रम जांच और इसके प्रर्वतन की सूचना को समेकित करना है जो कि जांच में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व लाएगी। अनुपालन एकल सुसंगत फार्म में रिपोर्ट की जाएगी जो फार्म भरने वालों के लिए स्पष्ट और सरल बनाएगी। निष्पादन की निगरानी मुख्य संकेतकों का प्रयोग करके की जाएगी जिससे मूल्यांकन प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण होगा। यह सभी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा एक समान श्रम पहचान संख्या (एलआईएन) के प्रयोग को बढ़ावा देता है।

[75]मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970, मातृत्व लाभ अधिनियम-1961, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (नियोजन का विनियमन एवं सेवाशर्त) अधिनियम 1996, बोनस भुगतान अधिनियम 1965, अन्तर राज्य प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवाशर्त) अधिनियम 1979, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, और खदान अधिनियम 1952।

समायावधि के आकलन के साथ-साथ यह जांच की कि क्या उक्त कार्य को श्रम सुविधा पोर्टल द्वारा ऑनलाईन किया जा सकता है। लेखापरीक्षा ने, यह प्रकाश डालने के लिए कि किस तरह मूल नियोक्ता द्वारा अनुपालन को सुगम बनाने के लिए एक नियंत्रण प्रणाली और पर्यवेक्षेण जांच की स्थापना की जा सकती है, के लिए एक गैर-रेलवे संगठन अर्थात दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड (डीएमआरसी) द्वारा अनुपालन की जाने वाली अच्छी प्रथाओं के बारे में एक वृत अध्ययन (केस स्टडी) भी तैयार की।

6.1 लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन के लिए ध्यान रखी जाने वाली कार्यकलापों की सूची

लेखापरीक्षा ने विभिन्न सोपानों/कार्यकलापों की सूची बनाई जिन्हें चार श्रम कानूनो के अंतर्गत सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन के लिए मुख्य नियोक्ता और ठेकेदारों द्वारा अपनाया जाना अपेक्षित है और उनको अपनाये जाने में अपेक्षित समय और प्रयास की जांच की। इनका विवरण नीचे दर्शाया गया है:

क्रम सं.	*कार्यकलापों की सूची*	*क्या उक्त को श्रम सुविधा पोर्टल द्वारा किया जा सकता है*	*कार्यकलाप की आवधिकता*
मूल नियोक्ता के प्राथमिक उत्तरदायित्व			
1	सीएलआरए 1970 की धारा 7 के अन्तर्गत श्रम कार्यालय के साथ पंजीकरण	हाँ	एक बार
2	सीएलआरआर 1971 के पैरा 81(3) के अन्तर्गत फार्म VIख (मार्च 2017 से लागू फार्म VIII) में श्रम आयुक्त को कार्य के आरंभ करने /समाप्ति के बारे में सूचना देना	हाँ	प्रत्येक अवसर पर प्रत्येक कार्य हेतु एक बार
3	सीएलआरआर 1971 के नियम 82(2) के अनुसार श्रम आयुक्त को ठेकेदार और संविदा श्रमिक से संबंधित विवरण फार्म XXV में वार्षिक रिटर्न का प्रस्तुतीकरण	हाँ	एक बार वार्षिक प्रत्येक कार्य हेतु
4	सीएलआरए, 1970 की धारा 21(2) और सीएलआरआर 1971 के नियम 72 के अनुसार भुगतान के साक्ष्य हेतु प्रतिनिधि का नामांकन	लागू नहीं	प्रत्येक कार्य हेतु एक बार
5	सीएलआरआर 1971 के नियम 74 के साथ पठित सीएलआरए 1970 की धारा 29(1) के अनुसार रिकॉर्ड (फार्म XII में ठेकेदार का पंजीकरण) का अनुरक्षण	लागू नहीं	लागू नहीं
6	सीएआईयू/011(332015/मुख्यालय/संस्क.।।/28445 दिनांक 2 फरवरी 2017 के अनुसार ठेका देने से पहले ईपीएफओ के साथ ठेकेदार का पंजीकरण सुनिश्चित करना	लागू नहीं	प्रत्येक कार्य हेतु एक बार

क्रम सं.	*कार्यकलापों की सूची*	*क्या उक्त को श्रम सुविधा पोर्टल द्वारा किया जा सकता है*	*कार्यकलाप की आवधिकता*
7	ईएसआईए, 1948 की धारा 40 के अन्तर्गत अंशदान अदा करने की देयता	लागू नहीं	प्रत्येक कार्य हेतु एक बार
ठेकेदार के प्राथमिक उत्तरदायित्व (परन्तु मूल नियोक्ता द्वारा सुनिश्चित की जाएंगी)			
8	सीएलआरए, 1970 की धारा 12 और सीएलआरआर 1971 की धारा 21 के अन्तर्गत श्रम कार्यालय से कार्य आरंभ करने से पूर्व लाइसेंस प्राप्त करना	हाँ	प्रत्येक कार्य हेतु एक बार
9	यह सुनिश्चित करना कि कार्यरत संविदा श्रमिक की संख्या सीएलआरआर, 1971 के नियम 25(2)(ii) में निर्दिष्ट अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए।	लागू नहीं	प्रत्येक कार्य हेतु एक बार
10	सीएलआरए, 1970 की धारा 21 और सीएलआरआर 1971 के नियम 71 के अनुसार संविदा मजदूर के मजदूरी भुगतान के लिए मजदूरी अवधि तथा मजदूरी वितरण का स्थान और समय को दर्शाने हेतु नोटिस कार्यस्थल पर दर्शाया जानी चाहिए और एक प्रति ठेकेदार द्वारा पावती के अन्तर्गत मूल नियोक्ता को भेजी जानी चाहिए।	हां, विवरण अपलोड करना अपेक्षित है	मासिक
11	रेलवे बोर्ड पत्र सं. (एलएल)2015/ पीएनएम/ एआईआरएफ/1 दिनांक 20.10.2015 के अनुसार बैंक/चैक द्वारा संविदा मजदूर को मजदूरी का भुगतान।	लागू नहीं	मासिक
12	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 12 के अन्तर्गत न्यूनतम वेतन (समय-समय पर अधिसूचना द्वारा निर्धारित) का भुगतान	लागू नहीं	मासिक
13	न्यूनतम मजदूरी नियम 1950 के नियम 23(1) के अनुसार कर्मचारियों को विश्राम दिवस (सामान्य दरों पर) के लिए मजदूरी का भुगतान	लागू नहीं	मासिक
14	न्यूनतम मजदूरी नियम, 1950 की धारा 23(4) के अनुसार विकल्प विश्राम दिवस के लिए सामान्य मजदूरी की दोगनी दर पर मजदूरी का भुगतान	लागू नहीं	मासिक
15	न्यूनतम मजदूरी नियम, 1950 की धारा 24(2) के अनुसार, कार्यों के निर्धारित अधिकतम घंटो (दिन में 12 घंटे)/दिनों (लगातार 10 कार्य दिवस) का पालन और उस पर मजदूरी का भुगतान	लागू नहीं	मासिक
16	न्यूनतम मजदूरी नियम, 1950 के नियम 25(1)(ख) के अनुसार निर्धारित घंटों (किसी दिन नौ घंटे से अधिक अथवा किसी सप्ताह में 48 घंटे से अधिक के लिए) से अधिक कार्य के लिए ओवरटाईम का भुगतान	लागू नहीं	मासिक

क्रम सं.	*कार्यकलापों की सूची*	*क्या उक्त को श्रम सुविधा पोर्टल द्वारा किया जा सकता है*	*कार्यकलाप की आवधिकता*
17	ईपीएफएस, 1952 का पैरा 30(3) के अनुसार संविदा श्रमिकों की मजदूरी से ईपीएफ कटौती (12 प्रतिशत) के भुगतान के प्रति प्रमुख नियोक्ता के उत्तरदायित्व और ठेकेदारों द्वारा अंशदान (12 प्रतिशत - 8.33 प्रतिशत कर्मचारी की पैंशन योजना के प्रति एवं ईपीएफ के लिए 3.67 प्रतिशत शामिल है)	हाँ	ठेकेदार द्वारा चूक के मामले में
ठेकेदार अथवा मूल नियोक्ता के उत्तरदायित्व			
18	सीएलआरए 1970 की धारा 18 और 20 के अनुसार पीने का पानी और मूत्रालयों का प्रावधान	हाँ, विवरण को अपलोड करना अपेक्षित है	लागू नहीं
19	सीएलआरए, 1970 की धारा 19 और सीएलआरए, 1971 के नियम 58 एवं 59 के अनुसार प्राथमिक उपचार बॉक्स का प्रावधान	हाँ, विवरण अपलोड करना अपेक्षित है	लागू नहीं
ठेकेदार के उत्तरदायित्व			
20	कार्य स्थल पर लाईसेंस का प्रदर्शन	लागू नहीं	प्रत्येक कार्य के लिए एक बार
21	सीएलआरआर 1971 के नियम 27 के अन्तर्गत लाईसेंस का नवीकरण	हाँ	जब भी देय हो
22	ठेकेदार के पते, ठेके की अवधि के साथ स्थापना और मूल नियोक्ता, किसी भी दिन नियोजित संविदा श्रमिकों की अधिकतम संख्या, कार्यों के दैनिक घंटे, साप्ताहिक छुट्टी, मजदूरी भुगतान की राशि आदि, के संबंध में प्रपत्र XXIV में विवरण (अर्द्ध वार्षिक), को सीएलआरआर, 1971 के नियम 82 (1) के अनुसार श्रम मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाना	मार्च 2017 से बन्द	मार्च 2017 से बन्द
23	सीएलआरए, 1970 की धारा 17 के अनुसार रात को ठहरने के लिए आवश्यक विश्राम कमरों की व्यवस्था	हां, विवरण अपलोड करना अपेक्षित है	लागू नहीं
24	सीएलआरआर, 1971 के नियम 78 के साथ पठित सीएलआरए की धारा 29 के अनुसार रिकार्डों (हाजिरी रजिस्टर, मजदूरी रजिस्टर, कटौती रजिस्टर, जुर्माना रजिस्टर, अग्रिम रजिस्टर, मजदूरी स्लिप आदि) का अनुरक्षण	लागू नहीं	प्रत्येक संविदा के लिए रजिस्टर को बनाया जाना
25	सीएलआरआर, 1971 के नियम 80(3) के अनुसार तीन वर्षों के लिए रिकार्डों का संरक्षण	लागू नहीं	लागू नहीं

क्रम सं.	*कार्यकलापों की सूची*	*क्या उक्त को श्रम सुविधा पोर्टल द्वारा किया जा सकता है*	*कार्यकलाप की आवधिकता*
26	ईपीएफ एवं एमपीए, 1952 धारा 2 (ई) ईपीएफ और एमपीए, 1952 और ईपीएफएस, 1952, धारा 1(3) (ए) एवं 1 (3)(बी), के अन्तर्गत ईपीएफओ के साथ पंजीकरण, जिस पर यह अधिनियम के पैरा 36 के माध्यम से लागू होता है	हाँ	एक बार
27	ईपीएफएस, 1952 के पैरा 36(2)(ए) के अनुसार संविदा श्रमिकों को प्रपत्र 5 (रिटर्न) तथा प्रपत्र 2 (घोषणा) में भविष्य निधि खाता संख्या के आवंटन की प्रक्रिया	हाँ	प्रति संविदा श्रमिक एक बार
28	भारत सरकार के का.ज्ञा.सं. डीजीई यू- 13015/1/2016-एमपी(जी) दिनांक 23.02.2017 श्रम एवं नियोजन मंत्रालय, महानिदेशक नियोजन प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के प्रावधान	हाँ	लागू नहीं
29	17 अक्तूबर 1950 को ईसीआईसी द्वारा जारी अधिसूचना के नियम 10 ख के अनुसार प्रथम बार के लिए नियोक्ता कोड हेतु नियोक्ता (ठेकेदार) द्वारा आवेदन	हाँ	एक बार
30	कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियमन 1950 के विनियमन 15 के अनुसार श्रमिकों को ईएसआई खाता संख्या का आवेदन,	हाँ	प्रति संविदा श्रमिक एक बार
31	ईएसआईए, 1948 धारा 39(1), के अन्तर्गत कर्मचारी से कटौती (1.75 प्रतिशत) का भुगतान और कर्मचारी द्वारा मजदूरी का अंशदान (4.75 प्रतिशत)	हाँ, विवरण अपलोड करना अपेक्षित है	मासिक

उपर्युक्त में से अधिकांश गतिविधियां जैसे कि लाईसेंस प्राप्त करना और नवीनीकरण करना, रिटर्न दाखिल करना, कार्य शुरू करने और कार्यों को पूरा करने और ईपीएफ और ईएसआई खाता संख्या आवंटन के बारे में सूचना भेजना, श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से आनलाईन किया जा सकता है और इसमें प्रमुख नियोक्ता का बहुत कम समय लगता है।

श्रम आयुक्त को कार्य शुरू करने और पूरा करने के बारे में सूचना, ठेकेदार द्वारा भुगतानों के समय साक्ष्य के लिए प्रतिनिधित्व को नामित करना, ईपीएफ और ईएसआईसी आदि के साथ ठेकेदार के पंजीकरण को सुनिश्चित करना जैसी गतिविधियों को मूल नियोक्ता द्वारा प्रत्येक कार्य के लिए एक बार सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिसमें ज्यादा समय नहीं लगता है और इसे मानक निर्देशों के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है। प्रत्येक संविदा श्रमिक को ईपीएफ और ईएसआईसी

संख्या के आवंटन का सत्यापन भी एक गतिविधि है, जिसे मूल नियोक्ता श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक संविदा श्रमिक के लिए एक बार कर सकता है। ठेकेदारों के बिल भुगतान को संसाधित किये जाने से पहले, ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत विवरण के आधार पर यह सत्यापन किया जा सकता है।

ठेकेदार के उत्तरदायित्वों में प्रासंगिक लाईसेंस प्राप्त करना, जब भी देय हो उनका नवीकरण करवाना, कार्य कर रहे संविदा श्रमिक के लिए ईपीएफ और ईएसआई संख्या प्राप्त करना, कार्यस्थल पर लाईसेंस का प्रदर्शन सुनिश्चित करना, निर्धारित प्रावधानों के अनुसार कटौती और अंशदान, संविदा श्रमिक के लिए सुविधाओं के प्रावधान तथा अभिलेखों के रखरखाव और संरक्षण शामिल है। जबकि संविदा श्रमिक के लिए लाईसेंस तथा ईपीएफ और ईएसआई संख्या का आवंटन आनलाईन प्राप्त किया जा सकता है, निर्धारित प्रावधानों के अनुसार भुगतान, कटौती और योगदान को श्रम लागत के अनुमान में शामिल करके और तदनुसार भुगतान करके सुनिश्चित किया जा सकता है।

संविदा श्रमिक के लिए सुविधाओं के प्रावधान के सबंध में, जहां भी मूल नियोक्ता (रेलवे) के पास अपने कर्मचारियों के लिए सुविधाएं हैं इनका उपयोग संविदा श्रमिक द्वारा भी किया जा सकता है। जहां ऐसी सुविधाएं मूल नियोक्ता के अपने कर्मचारियों के लिए उपलब्ध नहीं है, वहां ठेकेदार को ये सुविधाएं प्रदान करनी होती हैं जिसके लिए ठेकेदार द्वारा तैयार किये गये अनुमानों में लागत को शामिल किया जा सकता है।

मूल नियोक्ता को ठेकेदारों का केवल एक रजिस्टर रखने की आवश्यकता है, जिसके लिए न्यूनतम प्रयास अपेक्षित है। यह सुनिश्चित करते हुए कि ठेकेदार को भुगतान संसाधित करने के दौरान इन्हें समय-समय पर जांचा और सत्यापित किया जाता है, ठेकेदार द्वारा रिकॉर्ड के अनुरक्षण के लिए मूल नियोक्ता द्वारा जोर दिया जा सकता है।

क्योंकि रेलवे के पास निरंतर इन प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं है, लेखापरीक्षा ने अच्छी प्रथाओं के मामले के अध्ययन के लिए गैर-रेलवे संगठन को चुना, जो कि व्यावहारिक और व्यवहार्य तंत्र स्थापित करके श्रम कानूनों के बेहतर अनुपालन को सुगम बनाता है जिसकी नीचे चर्चा की गई है।

6.2 दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड (डीएमआरसी) में श्रम कानूनों के अनुपालन के संबंध में अच्छी प्रथाओं का वृत अध्ययन

लेखापरीक्षा ने डीएमआरसी में तंत्र और नियंत्रण की समीक्षा की, जिसे संविदा श्रम कानूनों/अधिनियमों के अनुपालन और निगरानी के लिए रखा गया है। तंत्र में निम्नलिखित विशेषताएं है:

1. आकलनों की तैयारी

निविदा के लिए श्रम संघटक (मुख्यत: परिचालन एवं अनुरक्षण संविदाओं के लिए) हेतु आकलन को, समय-समय पर केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी, ईपीएफ, ईएसआईसी के प्रति ठेकेदारों द्वारा आवश्यक योगदान की अतिरिक्त राशि के साथ, वर्दी, विश्राम कक्ष, पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं इत्यादि ठेकेदार द्वारा प्रदान करने के कारण, विविध व्यय के लिए अतिरिक्त पांच *प्रतिशत* को शामिल करके तैयार किया जाता है। निविदा दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से वर्णित होता है कि ठेकेदार जिन्होंने शून्य अथवा ऋणात्मक लाभ प्रतिशतता उद्धरत की है वे चयनित नहीं होंगे।

2. निविदा दस्तावेजों की तैयारी

निविदा दस्तावेजों में 'संविदा की सामान्य शर्तें, (जीसीसी), 'संविदा की विशेष शर्तें' (एससीसी) और 'नियोक्ता की आवश्यकताएं' शामिल हैं। सभी तीनों दस्तावेजों में सांविधिक कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में उपनियमों को शामिल किया गया हैं।

जीसीसी में निम्नलिखित शामिल है:

क. ***विधियों, विनियमों और कानूनों का अनुपालन*** - ठेकेदार ऐसे अधिनियम, कानून विनियम इत्यादि के किसी भी प्रकार के उल्लंघन के सभी दंडों और देनदारियों का पालन करेगा और मूल नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा।

ख. ***निर्माणकार्य की सुरक्षा*** - ठेकेदार सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण नियमावली के संबंध में सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा और निर्धारित सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक लागत ठेका के मूल्य में शामिल होंगी। यदि ठेकेदार उपरोक्त में विफल रहता है तो मूल नियोक्ता आवश्यक व्यवस्थायें प्रदान कर ठेकेदारों से लागत वसूल सकता है।

ग. ***मजदूरी की दर और श्रम की शर्तें*** - ठेकेदार को सभी श्रम विनियमनों और लागत पर उसके प्रभाव से अवगत होना होगा और संविदा मूल्य में इसे शामिल करेगा। वह पूरी तरह से वैधानिक आवश्यकताओं का पालन, मजदूरी की दर का भुगतान और श्रम की स्थितियों जो काम करने की जगह पर व्यापार या उद्योग के लिए स्थापित स्थितियों की तुलना में कम अनुकूल नहीं हो, का पालन करेगा। चूक के मामले में, मूल नियोक्ता ठेकेदार की ओर से इस तरह के दावे का भुगतान कर, इसे ठेकेदार से वसूल कर सकता है।

घ. ***श्रम कानून***- ठेकेदार श्रम के संविदा, भुगतान और रखरखाव से संबंधित सभी कानूनों और सांविधिक नियमों का पूर्ण अनुपालन करेगा। ठेकेदार के पास एक श्रम कल्याण संगठन होगा जो श्रम कल्याण और प्रचलित श्रम कानूनों विधियों

और दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा। ठेकेदार और उसके उप-ठेकेदार द्वारा नियोजित प्रत्येक श्रमिकों के लिए बैंक खाता खोलने और बैंक खातों के माध्यम से श्रमिकों को भुगतान सुनिश्चित करना होगा।

ङ. ***कर्मचारियों और श्रमिको के लिए सुविधाएं-*** ठेकेदार अपने और उप-ठेकेदार के कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए प्रचलित श्रम और कल्याण कानूनों के अनुसार सभी आवश्यक आवास और कल्याण सुविधाओं को अपने खर्च पर उपलब्ध और अनुरक्षित रखेगा।

च. ***स्वास्थ्य और सुरक्षा-*** ठेकेदार को अपने कर्मचारियों और श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी होगी।

छ. ***श्रम कानूनों के उल्लंघन के कारण दावा-*** ठेकेदार अपने और उप-ठेकेदार द्वारा किसी भी श्रम कानून के उल्लंघन के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा और संबंधित अधिकारियों को ऐसे किसी दावे/क्षति का भुगतान करेगा। यदि वह ऐसा करने में विफल होता है तो, नियोक्ता इसे ठेकेदार से वसूलने का हकदार होगा।

एससीसी में निम्नलिखित शामिल हैं:

क. ***श्रम कानून और डीएमआरसी श्रम कल्याण निधि -*** ठेकेदार श्रम लाईसेंस प्राप्त करने के साथ-साथ सभी श्रम कानूनों का अनुपालन और बीओसीडब्ल्यू बोर्ड में श्रमिकों का पंजीकरण सुनिश्चित करेगा। ठेकेदार संपूर्ण कार्य में उसके द्वारा विभिन्न श्रेणियों में नियुक्त श्रमिकों की संख्या दर्शाने वाली विवरणी अभियंता या उसके कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।

ख. ***निर्माण कार्यों की ठेकेदार द्वारा देखरेख*** - सभी सुरक्षा उपाय अपनाने तथा सुरक्षा में समुचित रूप से प्रशिक्षित श्रमबल को नियुक्त करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

ग. ***बीमा*** - ठेकेदार के, ₹ 21,000 तक का मासिक वेतन आहरित करने वाले, सभी कर्मचारी, ईएसआई के अंतर्गत शामिल होंगे। ईएसआई के अंतर्गत शामिल न होने वाले कर्मचारियो के लिए ठेकेदार बीमा पॉलिसी लेगा।

घ. ***संविदा की समाप्ति*** - संविदा की अवधि के दौरान यदि कार्य के कार्यक्षेत्र में यथा वर्णित निर्माण कार्य/सेवाओं का निष्पादन डीएमआरसी की संपूर्ण संतुष्टि के अनुरूप वैधानिक आवश्यकताओं का विधिवत अनुपालन करने में असफल रहता है, डीएमआरसी ठेकेदार को लिखित में सात दिनों का नोटिस जारी करके संविदा को समाप्त करने/संविदा के कार्यक्षेत्र को सीमित करने का हकदार है।

ङ. ***शास्तियां*** - किसी श्रमिक के देय के भुगतान में देरी पर प्रति श्रमिक ₹100 की दर से, मूल नियोक्ता के प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में भुगतान करने पर ₹10,000 की दर से (प्रत्येक उल्लंघित तिथि के लिये), और नियोक्ता या उसके

प्रतिनिधि द्वारा इंगित किये गये श्रम कानूनों के अन्य प्रावधानों के अननुपालन पर शास्तियां निर्धारित की गई हैं।

नियोक्ता की आवश्यकताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

a. ***भुगतान के समय आवश्यक दस्तावेज*** - परिचालन तथा अनुरक्षण संविदाओं के लिए शामिल है- भुगतान की पुष्टि के लिए बैंक स्टेटमेंट/ बैंक ट्रांसफर विवरण के साथ बिल अवधि के लिए वेतन पत्रक, बिल अवधि माह के संविदा संबंधी ईपीएफ चालान, इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न (ईसीआर) तथा ईएसआई चालान। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके सभी श्रमिकों को देय और समयानुसार वेतन प्रदान किया गया है। निर्माण कार्य संविदाओं के लिए, ठेकेदार अनुपालन को प्रमाणित करता है, जो भुगतान से पूर्व मूल नियोक्ता के प्रतिनिधि द्वारा भी हस्ताक्षरित किया जाता है।

b. ***अनुपालन*** - परिचालन और अनुरक्षण संविदाओं के लिए निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

   i. ठेकेदार द्वारा भुगतान न करने की स्थिति में दोषी होने पर, श्रमिक प्राधिकारियों को ऐसे भुगतान नियोक्ता द्वारा किऐ जाऐंगे तथा ऐसे किये गये भुगतान की राशि ठेकेदार से वसूली योग्य होगी।

   ii. ठेकेदार द्वारा संविदा श्रमिकों को वेतन/भुगतान प्रत्येक माह की 7 तारीख को किया जाएगा।

   iii. ठेकेदार मज़दूरी की दर, काम के घंटे, मज़दूरी अवधि, भुगतान की तारीख से संबंधित निरीक्षकों के नाम और पता, तथा अदत्त मज़दूरी के भुगतान की तारीख प्रदर्शित करते हुये नोटिस, अंग्रेजी तथा हिन्दी में प्रदर्शित करेगा।

   iv. ठेकेदार वैधानिक रजिस्टर नामत: नियुक्त व्यक्तियों के रजिस्टर, मज़दूरी रजिस्टर तथा ओवरटाईम का रजिस्टर, नुकसान या हानि के लिए कटौती रजिस्टर, मस्टर रोल रजिस्टर का रखरखाव करेगा।

   v. ठेकेदार वैधानिक श्रम कानूनों का सख्ती से पालन करेगा तथा यह निम्नलिखित को सुनिश्चित करेगा:

      - प्रत्येक संविदा कार्य के आरंभ होने या समाप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर निरीक्षक को रिटर्न प्रस्तुत करना।
      - प्रत्येक सप्ताह में एक दिन का आराम की अनुमति देना।
      - बैंक ट्रांसफर के द्वारा अपने श्रमिकों को न्यूनतम मज़दूरी का भुगतान करना।

- ₹ 15,000 की अधिकतम वेतन सीमा तक के सभी कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि अंशदान जमा करना। भविष्य निधि न्यूनतम मज़दूरी पर परिकलित की जाएगी तथा मज़दूरी का विखंडन अनुमत नहीं होगा।
- ईएसआई अधिनियम 1948 के प्रावधानों का अनुपालन करना तथा अपने कामगारों को इस अधिनियम के अंतर्गत लाभांवित करना।
- यदि कोई कामगार किसी दिन नौ घंटों से अधिक या किसी सप्ताह में अड़तालिस घंटों से अधिक काम करता है, तो उसे सामान्य मज़दूरी दर के दुगनी दर से ओवरटाईम का भुगतान करना।
- मज़दूरी का भुगतान मूल नियोक्ता के प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में करना।
- श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान से कम से कम एक दिन पूर्व मज़दूरी स्लिप जारी करना।
- मज़दूरी का भुगतान कार्य परिसर में तथा कार्य के दौरान तथा पूर्व अधिसूचित तिथि पर कार्य दिवस में करना है और यदि कार्य, मज़दूरी अवधि के खत्म होने के पहले समाप्त हो जाता है, तो आखिरी कार्य दिवस के 48 घंटों के भीतर अंतिम भुगतान किया जाएगा।

3. संविदा प्रदान किया जाना

संविदा केवल उन्हीं एजेंसियों/ठेकेदारों को प्रदान किये जाते हैं, जो श्रम आयुक्त के संगठन, ईपीएफ तथा ईएसआईसी में पंजीकृत हैं।

4. मूल नियोक्ता द्वारा निगरानी

सभी मूल नियोक्ता सभी परियोजना स्थलों तथा परिचालन और अनुरक्षण विंग में श्रम कानूनों के अनुपालन/प्रवर्तन की निगरानी के लिए एक प्रतिबद्ध स्टाफ (कार्यकारी/अधिकारी) को नामांकित करते हैं। ये नामांकित कार्यकारी/अधिकारी मज़दूरी की अदायगी, ईपीएफ और ईएसआई के प्रावधानों का अनुपालन, तथा सीएलआरए, 1970 तथा भवन एवं अन्य विनिर्माण श्रमिक अधिनियम,1996 के अंतर्गत भौतिक अनुपालन की निगरानी करते हैं।

क) प्रतिबद्ध श्रमिक कल्याण दल - एक श्रमिक कल्याण दल, जिसमें उप-विभागाध्यक्ष, एक सहायक प्रबंधक, एक अनुभाग अधिकारी तथा तीन निरीक्षक मुख्य महा-प्रबंधक(मानव संसाधन) के अंतर्गत कार्य करते हैं। इस दल की ज़िम्मेदारी संस्था में श्रम कानूनों के अनुपालन का सैद्धांतिक प्रवर्तन करना है। यद्यपि निरीक्षण के लिए कोई विनिर्दिष्ट अवधि निश्चित नहीं की गई है, प्रत्येक निरीक्षक के लिए निरीक्षण क्षेत्र विनिर्दिष्ट किया गया है, जो अपने क्षेत्रों में ठेकेदार द्वारा श्रम कानूनों के अनुपालन की निगरानी करेंगे। डीएमआरसी के श्रम कल्याण निरीक्षक, मूल

नियोक्ता के प्रतिनिधि तथा ठेकेदार के श्रम अधिकारी कार्यस्थलों का सामूहिक निरीक्षण करते हैं। श्रम कल्याण निरीक्षक, कमियों तथा शास्ति जो नियमों के अननुपालन के लिए ठेकेदार के प्रति लगाई जानी हैं, यदि कोई हो, को वर्णित करते हुऐ अपनी रिपोर्ट मूल नियोक्ता को प्रस्तुत करते हैं। साथ ही ठेकेदार को अंतिम बिलों के भुगतान करने से पूर्व, इस सेल से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' भी प्राप्त किया जाता है।

ख) जांच सूची - ठेकेदारों को भुगतान करते समय संविदा श्रमिक अधिनियमों/कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए श्रमिक कल्याण निरीक्षकों तथा मूल नियोक्ता के कर्मचारियों के लिये सूची उपलबध कराई गई है।

श्रमिक कल्याण निरीक्षकों के लिए जांचसूची में निम्नलिखित शामिल हैं:

- लिया गया श्रमिक लाईसेंस
- बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण किया गया
- बीमा पॉलिसी के अंतर्गत कुल कामगारों की संख्या
- उन कामगारों की संख्या जिनके ईपीएफ की कटौती की जा रही हैं
- उन कामगारों की संख्या जिनके ईएसआई की कटौती की जा रही हैं
- न्यूनतम मज़दूरी का अनुपालन
- नकद/बैंक ट्रांसफर के माध्यम से मज़दूरी का भुगतान
- मज़दूरी दर, निरीक्षकों आदि से संबंधित नोटिस बोर्ड प्रदर्शित किए गए तथा सूचना श्रम विभाग को भेजी गयी हैं
- कार्य स्थल पर व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं
- कार्यस्थल पर प्राथमिक उपचार, डॉक्टर/प्राथमिक उपचारदाता आदि उपलब्ध हैं
- दो सुपर स्पेशल्टी अस्पतालों से संबंद्ध हैं
- कैंटीन, यदि कैंटीन कार्य स्थल से 200 मी. दूर है तो क्या कार्य स्थल पर चाय और अल्पाहार उपलब्ध है?
- पेयजल, शौचालय तथा मूत्रालय, स्नान और धुलाई की सुविधा, विश्राम कक्ष उपलब्ध है
- श्रमिक आवास, आवास की स्थिति
- काम करने के घंटे, साप्ताहिक अवकाश, ओवरटाइम भुगतान, सीएलआरए के फॉर्म XIX में मज़दूरी स्लिप
- सीएलआरए के अंतर्गत दंड का रजिस्टर, अग्रिम का रजिस्टर
- पिछले महीने में किऐ गऐ भुगतान, आदि

ठेकेदार के बिल पास करने से पूर्व निम्नलिखित की जांच की जाती है:

- स्वीकृति पत्र/निविदा आमंत्रण सूचना/संविदा की सामान्य शर्तों के अनुसार प्रीमियम प्राप्ति के साथ बीमा पॉलिसी
- यदि बीमा पॉलिसी अनुपलब्ध है या व्यपगत हो गयी है, तो क्या वसूली प्रस्तावित की गयी या नहीं
- न्यूनतम मज़दूरी के अनुपालन के लिए मानक प्रामाणपत्र
- ईपीएफ/ईएसआईसी या ईपीएफ/छूट प्रमाणपत्र के अनुपालन के लिए मानक प्रमाणपत्र
- ईपीएफ/ईएसआईसी चालान
- उप-विभागाध्यक्ष या उच्चाधिकारी आदि द्वारा विधिवत सत्यापित अन्य श्रमिक अनुपालन प्रमाणपत्र।

इस प्रकार, उचित अनुमान तैयार कर, केवल अर्हक ठेकेदारों को संविदा प्रदान कर, संविदा के व्यापक नियम और शर्तों, भुगतान करते समय जांच सुनिश्चित करके तथा प्रतिबद्ध श्रम कल्याण दलों द्वारा अनुपालनों की निगरानी के माध्यम से, वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी के लिए एक तंत्र स्थापित किया जा सकता है। 2017-18 के दौरान, डीएमआरसी में किऐ गऐ कुल कार्य की लागत ₹ 8940 करोड़ थी तथा श्रम कानूनों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तैनात किऐ गऐ श्रमबल पर ₹ 3.22 करोड़ की राशि खर्च की गई, जो वर्ष के दौरान ठेकेदारों द्वारा किए गऐ कार्य की कुल लागत का केवल 0.036 प्रतिशत था।

6.3 रेलवे द्वारा श्रम कानूनों के संबंध में वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना

इसके अतिरिक्त, रेलवे के वर्तमान तंत्र में निम्नलिखित मुद्दों का समाधान समुचित रूप से नहीं किया गया:

- केवल उन्हीं ठेकेदारों को ठेका प्रदान किया जाना चाहिए जो श्रम आयुक्त के संगठन, ईपीएफओ और ईएसआईसी में पंजीकृत हैं। रेलवे में ठेकेदारों की वर्तमान अर्हता शर्तें इस बात को सुनिश्चित नहीं करती है।
- मूल नियोक्ता द्वारा बड़ी संख्या में जांच, जैसे कि देय और निर्धारित समय में मज़दूरी का भुगतान सुनिश्चित, एमडब्ल्यूए में निर्धारित विभिन्न शर्तों के मद्देनज़र श्रम का सही लागत आकलन तैयार करके और ठेकेदार के भुगतान को प्रसंस्कृत करते समय इनकी जांच के माध्यम से, की जा सकती है। इसी प्रकार की जांच ईपीएफ और ईएसआईसी के अंशदान और कटौती के लिए भी की जा सकती है। रेलवे में, वैधानिक प्रावधानों के अनुसार आवश्यकता को ध्यान में रखते हुऐ आकलन तैयार नहीं किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, भुगतान के दौरान

वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन की जांच करने के लिए कोई तंत्र विध्यमान नहीं है।

- मूल नियोक्ता की प्राथमिक और पर्यवेक्षणीय जिम्मेदारियां एक जांच सूची के रूप में स्पष्ट रूप से निरूपित की जा सकती हैं और उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकता है। यद्यपि रेलवे ने काफी समयपूर्व सभी विभागों के लिए मूल नियोक्ता के नामांकन के लिए निर्देश जारी किऐ हैं, उनका पालन नहीं किया जा रहा है। मूल नियोक्ता की जिम्मेदारियां अभी तक निरूपित नहीं की गई हैं। रेलवे में संविदा की सामान्य शर्तें केवल यह बताती है कि ठेकेदार को वैधानिक कानून जैसे कि सीएलआरए, 1970 तथा एमडब्ल्यूए, 1950 का पालन करना चाहिए, लेकिन ठेकेदारों द्वारा इन प्रावधानों की अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण और नियंत्रण करने के लिए मूल नियोक्ता की भूमिका स्पष्ट नहीं की गई है। मूल नियोक्ता को उसके नामित प्रतिनिधि तथा भुगतान प्राधिकारियों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के सम्बंध में स्पष्ट निर्देश नहीं दिऐ गऐ हैं।

इस प्रकार, संविदा की शर्तें तैयार करने से लेकर आकलन तैयार करने और ठेकेदार के भुगतान प्रसंस्कृत करने तक, श्रम कानूनों के अनुपालन तथा संविदा श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मूल नियोक्ता एक तंत्र स्थापित कर सकते हैं।

अध्याय 7 निष्कर्ष एवं सिफ़ारिशें

7.1 निष्कर्ष

मूल नियोक्ता के रूप में, रेलवे प्रशासन को सीएलआरए, 1970, एमडब्ल्यूए 1948, ईपीएफ व एमपीए, 1952 तथा ईएसआईए 1948 में निहित वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कुछ दायित्वों का निर्वहन करना था। लेखापरीक्षा में ऐसे वैधानिक प्रावधानों के अपर्याप्त अनुपालन के साथ-साथ अननुपालन के उदाहरणों को देखा गया, जिसके कारण न्यूनतम मजदूरी की कम भुगतान/गैर-भुगतान, साप्ताहिक विश्राम के दिन के मजदूरी का गैर-भुगतान, ईपीएफ एवं ईएसआई की गैर-कटौती/अंशदान किया गया।

श्रम आयुक्त में मूल नियोक्ता के पंजीकरण, मूल नियोक्ता के तौर पर भारतीय रेलवे के द्वारा संबंधित श्रम आयुक्त को कार्य के प्रारंभ होने की सूचना एवं वार्षिक रिटर्न के प्रस्तुत करने से संबंधित प्रावधानों का अनुसरण नहीं किया गया। काफी मामलों में ठेकेदारों ने संविदाओं में संविदा श्रमिक लगाने के लिए श्रम आयुक्त के संगठन से लाइसेंस भी प्राप्त नहीं किए। चयनित ठेकों में सभी अनुबंधित मजदूरों को निर्धारित सुविधाएं (विश्राम कक्ष, पेयजल, शौचालय, प्राथमिक उपचार बॉक्स आदि) भी प्रदान नहीं किए गए, जो निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन एवं अनुबंधित मजदूर को उनके अधिकारों से वंचित करना था। लेखापरीक्षा में नमूना जांच किए गए संविदाओं में सभी मामलों में संविदा मजदूर का भुगतान बैंक के माध्यम से नहीं किया गया। रेलवे प्रशासन ने कई चयनित मामलों में अपेक्षित रिकॉर्ड/सूचना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये। इस परिदृश्य में, यह आशंका है कि रिकॉर्डों का अनुरक्षण नहीं किया गया, जो इंगित करता है कि संविदा मजदूर से संबंधित प्रावधानों के अनुसरण के संबंध में रेलवे अपने दायित्व से पूरी तरह सचेत नहीं है।

कई मामलों में अपेक्षित एवं निर्धारित रिकार्ड के अनुरक्षण में कमियाँ पाई गई। लेखापरीक्षा ने केवल 121 (26 *प्रतिशत*) संविदाओं तथा चार (एक *प्रतिशत*) संविदाओं में क्रमश: मजदूरी रजिस्टर और ओवरटाईम रजिस्टर के महत्वपूर्ण दस्तावेजों के अनुरक्षण के अनुपालन को देखा। मजदूरी पर्चियों का निर्गमन केवल 18 (चार *प्रतिशत*) संविदाओं में देखा गया। कई मामलों में, रिकॉर्डों को निर्धारित समय के लिए संरक्षित नहीं किया गया, जिससे श्रम आयुक्त समेत विभिन्न निगरानी एजेंसियां, इसकी जांच नहीं कर सकी। विभिन्न निगरानी एजेंसियों अर्थात मुख्य श्रम आयुक्त, ईपीएफओ एवं ईएसआईसी द्वारा नई निरीक्षण नीति की शुरूआत करने के साथ एक इकाई का निरीक्षण तब तक नहीं किया जा सकता है, जब तक कि वह बनाए गए डेटाबेस का हिस्सा न हो, जिसमें मूल नियोक्ता/नियोक्ता को एक विशिष्ट पहचान संख्या दिया गया है या उस इकाई के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है।

इस प्रकार, इन संगठनों के साथ स्वयं को पंजीकृत कराने वाले किसी मूल नियोक्ता/ नियोक्ता की विफलता संबंधित प्राधिकारियों द्वारा निगरानी एवं जांच को प्रतिबंधित करती है। किसी भी स्वतंत्र संस्था के लिए, ठेकेदारों से संविया मजदूर के लिए कानूनों के अनुपालन के संबंध में आश्वासन प्राप्त करने के लिए रिकार्डों की प्राप्ती संभव नहीं है।

अनुमानों में, जहां श्रम घटक का आकलन किया गया था, रेलवे ने सीएलआरए, 1970 एमडब्ल्यूए, 1948 ईपीएफ व एमपीए, 1952 तथा ईएमआईए 1948 के तहत वैधानिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें तैयार नहीं किया गया। ऐसे कई उदाहरण पाये गए जहां ठेकेदारों ने संविदा मजदूर को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित नहीं किया और आवश्यकतानुसार ईपीएफ और/या ईएसआई के योगदान/कर्मचारी के योगदान की कटौती का भुगतान नहीं किया गया। यद्यपि, यदि कम/गैर-कटौती/अंशदान पाया जाए तो, को ठेकेदार के बिल से ईएसआई के बकाया की कटौती करने और अनुबंधित मजदूर को भुगतान के लिए मूल नियोक्ता जिम्मेदार है, लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा किए गए मामलों में ऐसा नहीं पाया गया। इन मामलों में ठेकेदारों से राशि भी वूसल नहीं की गई। लेखापरीक्षा में देखा गया कि उक्त प्रावधान का सख्ती से पालन करने हेतु उनके मूल नियोक्ता को रेलवे द्वारा कोई विशेष अनुदेश जारी नहीं किए गए थे।

इस प्रकार, न्यूनतम मजदूरी और अन्य वैधानिक श्रम लाभों में कम भुगतान/गैर-भुगतान के परिणामस्वरूप संविदा श्रमिकों के शोषण का जोखिम बहुत अधिक था। लेखापरीक्षा में 312 अनुबंधों की समीक्षा में ₹ 26.14 करोड़ के गैर-भुगतान/कम भुगतानों का आकलन किया।

एग्जिट कांफ्रेस के दौरान, रेलवे बोर्ड ने कहा (जनवरी 2018) कि वे इस विषय पर लेखापरीक्षा की अभियुक्तियों से सहमत हैं। उन्होनें कहा कि मूल नियोक्ता (अर्थात रेलवे) के साथ साथ ठेकेदारों को भी वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व है तथा उन्होनें इस विषय पर सभी क्षेत्रीय रेलवे कार्यालयों को आदेश एवं अनुदेश जारी किए हैं। उन्होनें कहा रेलवे बोर्ड की मुख्य भूमिका क्षेत्रीय रेलवे को अनुदेश जारी करने और उनकी जाँच करने में है। वे इस बात पर सहमत हुए कि श्रम आयुक्त, ईपीएफ तथा ईएसआईसी, जैसे संगठनों की भूमिका ठेकेदारों और मूल नियोक्ता द्वारा वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन पर निगरानी रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक है। रेल मंत्रालय ने आगे कहा कि लेखापरीक्षा की सभी सिफारिशें उनको स्वीकार्य हैं और वे उन आधारों पर सभी क्षेत्रीय रेलवे को अनुदेश जारी करने के लिए कार्रवाई करेगें।

लेखापरीक्षा में एक गैर-रेलवे संगठन, दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड में प्रयुक्त प्रणालियों एवं नियंत्रणों की भी समीक्षा की और पाया कि, उचित अनुमानों की तैयारी, केवल योग्य ठेकेदारों को ही ठेका प्रदान करना, संविदाओं की व्यापक नियम एवं शर्तें, मूल नियोक्ताओं की जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर जांच सूची द्वारा ठेकेदारो के बिलों को पास करते समय सख्त प्रक्रिया को अपनाना, और लेबर वेलफ़ैयर टीमों द्वारा निगरानी आदि के द्वारा वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन की निगरानी के लिए एक तंत्र स्थापित किया जा सकता है। मूल नियोक्ता के साथ-साथ ठेकेदारों द्वारा भी वैधानिक प्रावधान के सहज अनुपालन के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं, जिससे भारतीय रेल को बेहतर अनुपालन में सुविधा मिलेगी।

7.2 सिफारिशें

1. ***भारतीय रेल में मूल नियोक्ताओं को सीएलआरए, 1970 ईपीएफ व एमपीए, 1952 तथा ईएसआईए 1948 के प्रावधानों के संबंध में संविदा श्रम के संबंध मे कुछ दायित्व हैं। रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई/एलएल/70एटी/सीएनआर/1-3 दिनांक 15.10.1971 के अनुसार भारतीय रेल ने मूल नियोक्ताओं की श्रेणी, जैसे मंडलों में मंडलीय अधिकारी, वरिष्ठ यांत्रिक अभियंता, उप प्रमुख यांत्रिक अभियंता या कार्यशाला के संबंध में कार्य प्रबंधक, भंडार डिपो के संबंध में भंडार नियंत्रक, निर्माण के संबंध में कार्यकारी अभियंता और मुख्यालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित संविदाओं के मामले में विभागाध्यक्ष को निर्दिष्ट किया है। उन्हें अपने प्रशासनिण नियंत्रण के अधीन भारतीय रेलवे के प्रतिनिधि के रूप में संविदा श्रम को शासित करने वाले अधिनियमों तथा नियमों की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए।***
2. ***संविदा श्रम से संबंधित वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन हेतु निम्नलिखित नियंत्रण स्थापित किये जा सकते है:***

क. श्रमिक घटक के अनुमानों की तैयारी समय-समय पर केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा नियत न्यूनतम मजदूरी, ठेकेदारों द्वारा ईपीएफ, ईएसआईसी और अन्य संबंधित लागत के लिए अपेक्षित अंशदान की अतिरिक्त राशि को ध्यान में रखकर की जा सकती है।

ख. अननुपालना हेतु जुर्माने सहित, श्रम कानूनों से संबंधित वैधानिक निविदा दस्तावेजों/ संविदाओं की सामान्य शर्तों/संविदा की विशेष शर्तों, प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए शर्तों को व्यापक सूची में शामिल किया जा सकता है। निविदा दस्तावेजों में देय मजदूरी का समय से भुगतान, श्रमिक हेतु

सुविधाएं, श्रमिक की सुरक्षा आदि से संबंधित नियम एवं शर्तों को शामिल करना चाहिए।

ग. ठेके ऐसे ठेकेदारों/एजेंसियों को दिये जाएँ, जो श्रम विभाग, ईपीएफओ और ईएसआईसी आदि के साथ पंजीकृत हों।

घ. संगठन के विभिन्न विभागों के मूल नियोक्ताओं को पहचान कर उन्हें नामित किया जाये। मूल नियोक्ताओं के जिम्मेदारियों की एक व्यापक सूची को मूल नियोक्ता द्वारा जांच के लिए जारी किया जाये।

ङ. मूल नियोक्ता द्वारा प्रभावी निगरानी के लिए एक तंत्र की स्थापना एक समर्पित कक्ष/टीम बनाकर की जाये जिसे संगठन में श्रम कानूनों के अनुपालन के प्रवर्तन हेतु सम्पूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। इन टीमों को अनुपालन की जांच करने हेतु कार्य स्थलों एवं रिकॉर्डों का निरीक्षण करने की शक्तियां दी जाए और जो ठेकेदारों को भुगतान करने से पहले अनुमति प्रदान करें। ऐसे निरीक्षणों हेतु विस्तृत जांच सूची भी जारी करनी चाहिए।

च. ठेकेदार द्वारा जमा करने के लिए दस्तावेजों की एक अनिवार्य सूची निर्धारित की जाए जिसके बिना ठेकेदारों के बिलों को पास नहीं किया जाना चाहिए। ठेकेदार के बिलों को पास करने से पहले अनुपालन के जांच हेतु व्यापक जांच सूची भी निर्धारित की जाये।

3. संविदाएँ जो प्रगति में हैं, के लिए सभी क्षेत्रीय रेलवे के रेलवे प्रशासन, मूल नियोक्ताओं को निर्देश दें की वे पिछले 12 महीनों में अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत अभी संविदाओं की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि क्या अधिनियमों के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारियों के साथ वे पंजीकृत हैं और स्वयं को निर्धारित प्राधिकारियों के साथ पंजीकृत करें।

4. निर्माण कार्यों में, जहां ठेकेदारों पर सीएलआरए, 1970 की प्रयोज्यता स्थापित है, ठेकेदार को श्रम आयुक्त से लाइसेंस के लिए आवेदन करने का निर्देश दिये जाएँ। यदि वह ऐसा करने में विफल होता है, तो श्रम आयुक्त को सूचित किया जाए, ताकि ठेकेदारों के खिलाफ आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई की जा सके।

5. मूल नियोक्ताओं के दायित्वों, मूल नियोक्ता के नामित उम्मीदार के कार्य, भुगतान प्राधिकारियों के कार्य और निर्दिष्ट प्राधिकारियों के पास प्रासंगिक रिटर्न भरने से संबंधित कार्यों को स्पष्ट करते हुए क्षेत्रीय रेलवे द्वारा संयुक्त प्रक्रिया आदेश जारी किये जाने चाहिए।

6. सभी चालू संविदाओं में, कम भुगतान, कम कटौती और कम अंशदान की गणना की जाये, उन्हें सत्यापित किया जाये और अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार रेलवे प्रशासन द्वारा संबंधित संविदा श्रमिक को कम राशि/भुगतान नहीं की गई

राशि का भुगतान किया जाये। जहां लागू हो, ऐसे भुगतान की गई राशि ठेकेदारों से वसूल की जानी चाहिए।

7. *रेलवे ठेकेदारों को ईपीएफ व एमपीए, 1952 एवं ईपीएफएस, 1952 के प्रावधानों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें और बेरोजगार व्यक्तियों की भर्ती को बढ़ावा देने के लिए हाल में शुरू की गई प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत प्रभावी रूप से प्रोत्साहनों का लाभ उठाएँ, जिससे अनौपचारिक कर्मचारियों को औपचारिक रूप से लेखा पुस्तकों में लाया जा सके।*
8. *रेलवे वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन की निगरानी के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा और/या अन्तर-अनुशासनात्मक टीम के माध्यम से एक प्रभावी नियंत्रण तंत्र स्थापित करने पर विचार कर सकता है। इस मुद्दे पर रेलवे अधिकारियों के विभिन्न स्तरों के मध्य जागरूकता लाने के लिए भी उपाय किए जाएँ।*

नई दिल्ली
दिनांकः 30 जुलाई 2018

(नन्द किशोर)
उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांकः 30 जुलाई 2018

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट I
टेबल 1 - रेलवे के विभिन्न विभागों मे संगनाथात्मक व्यवस्था

विभाग	विभाग प्रमुख	ज़ोनल मुख्यालय मे अधिकारिगण	मण्डल/कार्यशाला/दूसरे क्षेत्रीय इकाइयों मे अधिकारिगण	विभिन्न ठेकों के सम्पादन से संबन्धित कार्य
व्यावसायिक	मुख्य व्यावसायिक प्रबन्धक	विभिन्न शाखाओं के मुख्य व्यावसायिक प्रबन्धक अर्थात मालभाड़ा, यात्रीगण, दावे इत्यादि तथा उप व्यावसायिक प्रबन्धक	वरिष्ठ मंडलीय व्यावसायिक प्रबन्धक, मंडलीय व्यावसायिक प्रबन्धक, सहायक व्यावसायिक प्रबन्धक, व्यावसायिक निरीक्षक, स्टेशन प्रबन्धक (व्यावसायिक पहलुओं)	स्टेशन सफाई के ठेके; विज्ञापन ठेके। व्यावसायिक जमीन, दुकानों/विक्रेता, पार्सल वेन, एस एल आर कोचों, विशेष ट्रेन इत्यादि के पट्टों तथा अनुज्ञप्तियाँ।
परिचालन	मुख्य परिचालन प्रबन्धक	मुख्य माल परिवहन प्रबन्धक, मुख्य यात्री परिवहन प्रबन्धक, उप मुख्य परिचालन प्रबन्धक	वरिष्ठ मंडलीय परिचालन प्रबन्धक, मंडलीय परिचालन प्रबन्धक, सहायक परिचालन प्रबन्धक, डी टी आइज	यात्री व मालगाड़ियों का परिचालन
वित्त	वितीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी	उप एफ ए व सी ए ओ, वरिष्ठ सहायक वित्त प्रबन्धक, सहायक वित्त प्रबन्धक	वरिष्ठ मंडलीय वित्त प्रबन्धक, मंडलीय वित्त प्रबन्धक, सहायक मंडलीय वित्त प्रबन्धक	बजट अनुदानों का प्रबंधन, निधि उपलब्धता का प्रमाणीकरण, टेंडर कमिटी की बैठक मे सिफ़ारिश प्रदान करना, बिलों का पुनरीक्षण व पास करना। उचित मदों मे प्राप्तियों व व्ययों का वर्गिकरण, वास्तविक प्राप्तियों व व्ययों का प्रबंधन, बकाया प्राप्तियों की वसूली की निगरानी।
असैनिक/ नागरिक अभियंत्रण ओपेन लाइन	प्रधान मुख्य अभियंता	मुख्य अभियंता	वरिष्ठ मंडलीय अभियंता, सहायक अभियंता तथा अनुभाग अभियंता	रेलवे परिसंपत्तियों का रखरखाव, ठेकों का विभागीय सम्पादन तठा ठेकेदारों द्वारा ठेकों का सम्पादन। रेलवे के नागरिक परिसंपत्तियों, जैसे ट्रैक, पुल, इमारतें, जलीय कार्य इत्यादि का विभागीय व ठेकों द्वारा रखरखाव। इसके अलावा नागरिक अभियंत्रण ओपेन लाइन मकानो, कार्यालय इमारतें रेलवे स्टेशन का उन्नयन, जलीय पाइप बिछाने जैसे नागरिक परिसंपत्तियों का निर्माण भी करता है।
यांत्रिक	मुख्य **यांत्रिक** अभियंता	मुख्य गति ऊर्जा अभियंता, उप मुख्य यांत्रिक अभियंता, सहायक यांत्रिक अभियंता	कार्यशाला मे - मुख्य कार्यशाला प्रबन्धक, मुख्य कार्यशाला अभियंता, उप मुख्य यांत्रिक अभियंता, सहायक यांत्रिक अभियंता। मण्डल मे - वरिष्ठ मंडलीय यांत्रिक अभियंता, मंडलीय यांत्रिक अभियंता, सहायक मंडलीय यांत्रिक अभियंता मोटोरखानों मे - वरिष्ठ मंडलीय यांत्रिक अभियंता, मंडलीय यांत्रिक अभियंता, सहायक मंडलीय यांत्रिक अभियंता	कार्यशाला मे रेल के डिब्बे और इंजिन का रखरखाव तथा उसके लिए ठेकों का सम्पादन। बिस्तर की ढुलाई, मोटोरखानों तथा चलती ट्रेन मे कोचों की ढुलाई; यांत्रिक रद्दी मालों के निस्तारण का ठेका (नीलामी बिक्री)।
वैधुतीय	मुख्य वैधुतीय अभियंता	मुख्य वैधुतीय वितरक अभियंता, मुख्य वैधुतीय इंजन अभियंता, मुख्य वैधुतीय संकर्षण अभियंता, उप मुख्य वैधुतीय अभियंता	मण्डल मे - विभिन्न शाखाओं जैसे संकर्षण, सामान्य, परिचालन के मुख्य मंडलीय वैधुतीय अभियंता, सहायक वैधुतीय अभियंता। मोटोरखानों मे - वरिष्ठ मंडलीय वैधुतीय अभियंता/टी आर एस, मंडलीय वैधुतीय अभियंता, सहायक वैधुतीय अभियंता।	सभी वैधुतीय परिसंपत्तियों जिसमे वैधुत इंजन शामिल है का रखरखाव तथा इसके लिए ठेकों का सम्पादन। राज्य वैधुतीय वितरण कंपनियों/बोर्ड्स के साथ संकर्षण व सामान्य जरूरतों के लिए ठेके।
सिग्नल तथा	मुख्य सिग्नल	उप मुख्य सिग्नल तथा दूरसंचार अभियंता	वरिष्ठ मंडलीय सिग्नल तथा दूरसंचार अभियंता, मंडलीय सिग्नल तथा	सभी सिग्नल तथा दूरसंचार परिसंपत्तियों का रखरखाव तथा इसके लिए ठेकों का

परिशिष्ट I
टेबल 1 - रेलवे के विभिन्न विभागों मे संगनाथात्मक व्यवस्था

विभाग	विभाग प्रमुख	ज़ोनल मुख्यालय मे अधिकारिगण	मण्डल/कार्यशाला/दूसरे क्षेत्रीय इकाइयों मे अधिकारिगण	विभिन्न ठेकों के सम्पादन से संबन्धित कार्य
दूरसंचार	तथा दूरसंचार अभियंता		दूरसंचार अभियंता, सहायक सिग्नल तथा दूरसंचार अभियंता,	सम्पादन।
निर्माण	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	सभी शाखाओं के मुख्य अभियंता, उप मुख्य अभियंता	अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, तथा कनीय अभियंता	नयी परिसंपत्तियों का निर्माण तथा इसके लिए ठेकों का सम्पादन।
भंडार	भंडार का मुख्य नियंत्रक	मुख्य सामग्री प्रबन्धक, उप मुख्य सामग्री प्रबन्धक, वरिष्ठ सामग्री प्रबन्धक तथा सहायक सामग्री प्रबन्धक	मण्डल मे - वरिष्ठ मंडलीय सामग्री प्रबन्धक। भंडार डिपो मे - उप मुख्य सामग्री प्रबन्धक तथा सहायक सामग्री प्रबन्धक	विभिन्न विभागो के भंडार के लिए टेंडर तथा ठेके। सभी विभागों के रद्दी माल के निस्तारण के लिए ठेके।
वैयक्तिक	मुख्य वैयक्तिक अधिकारी	उप मुख्य वैयक्तिक प्रबन्धक, वरिष्ठ वैयक्तिक प्रबन्धक, सहायक वैयक्तिक प्रबन्धक	वरिष्ठ मंडलीय वैयक्तिक प्रबन्धक, मंडलीय वैयक्तिक प्रबन्धक तथा सहायक मंडलीय वैयक्तिक प्रबन्धक	कर्मचारी मामले।
बचाव	मुख्य बचाव अधिकारी	उप मुख्य बचाव अधिकारी	वरिष्ठ उप बचाव अधिकारी	रेलवे परिसंपत्तियों का बचाओ सुनिश्चित करना
सुरक्षा	मुख्य सुरक्षा अधिकारी	उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी	वरिष्ठ मंडलीय सुरक्षा अधिकारी	सुरक्षा
चिकित्सा	मुख्य चिकित्सा निदेशक	चिकित्सा निदेशक, चिकित्सा अधिकारी, सहायक चिकित्सा अधिकारी	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, मंडलीय चिकित्सा अधिकारी, सहायक मंडलीय चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा निरीक्षक	रेलवे कर्मचारियो की चिकित्सा व्यवस्था, रेलवे अस्पताल व कॉलोनी की सफाई व स्वच्छता के ठेके।
सूचना प्रौधीगिकी	मुख्य प्रबन्धक सूचना प्रौधीगिकी	वरिष्ठ ई डी पी प्रबन्धक	वरिष्ठ मंडलीय वित्त प्रबन्धक	सूचना प्रौधीगिकी केंद्र की परिसंपत्तियों के रखरखाव के ठेके।

परिशिष्ट II

संविदा मजदूर के लिए प्रतिक्रिया (फीडबैक) प्रारूप

	कार्य का नामः
1	संविदा मजदूर का नाम
2	पिता का नाम
3	पता
4	मोबाइल संख्या
5	आपका कर्मचारी भविष्य निधि खाता सख्या क्या है?
6	आपका कार्मचारी राज्य बीमा संख्या क्या है ?
7	ठेकेदार/एंजेसी जिसके द्वारा आप कार्य कर रहे हैं उसका नाम एवं पता
8	कर्मचारी भविष्य निधि के लिए ठेकेदार का कोड क्या है?
9	कर्मचारी राज्य बीमा के लिए ठेकेदार का कोड क्या है ?
10	आप कब से वर्तमान ठेकेदार के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं?
11	संविदा मजदूर के रूप में आपको क्या-क्या भुगतान या सुविधा मिलना चाहिए?
12	वर्तमान में आपको क्या-क्या भुगतान या सुविधा मिल रही है?
13	आपको यह भुगतान नकद में है या बैंक के माध्यम से मिलता है?
14	क्या आपके नकद भुगतान के समय कोई रेलवे कर्मचारी/अधिकारी उपलब्ध होता है?
15	वर्तमान में आपको कितना वास्तविक मजदूरी मिल रही है?
16	आपके द्वारा प्रतिदिन कितने घंटे कार्य किये जाते है?
17	आपके द्वारा सप्ताह में कितने दिन कार्य किया जाता है?
18	सप्ताह के किस दिन आपका साप्ताहिक अवकाश होता है?
19	साप्ताहिक अवकाश के दिन कार्य करने पर आपको कितनी मजदूरी प्रदान की जाती है?
20	आपको मिलने वाले बोनस की राशि कितनी है?
21	क्या आपकी कोई मजदूरी बकाया है, यदि हाँ तो वह किस समय के लिए बकाया है?

संविदा मजदूर का हस्ताक्षर **निरीक्षण करने वाले कर्मचारी/अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर**

परिशिष्ट - III

फार्म VI बी

[समविदा श्रम (विनियमन व उन्मूलन) अधिनियम 1970 का नियम 81(3)]

संविदा कार्यो के आरंभ व समाप्ति की सूचना

1. मूल नियोक्ता का नाम.....
   तथा पता.....
2. रजिस्ट्रेशन के प्रमाणपत्र की संख्या.....
   तथा तारीख.....
3. मैं/हम यह सूचित करते हैं कि संविदा कार्य (कार्य का नाम), (ठेकेदार का नाम तथा पता) जिसका अनुज्ञप्ति संख्या..... तारीख..... को/से प्रारम्भ/समाप्त किया/हो गया है।

मूल नियोक्ता का हस्ताक्षर

सेवा में,

निरीक्षक

.....

.....।

परिशिष्ट - IV

फार्म XXV

[संविदा श्रम (विनियमन व उत्सादन) अधिनियम 1970 का नियम 82(2)]

मूल नियोक्ता द्वारा पंजीकरण अधिकारी को भेजा जाने वाला वार्षिक विवरणियाँ

31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए.....

1. मूल नियोक्ता का पूरा नाम व पता:
2. संस्थान का नाम:
   (अ) जिला
   (ब) डाक का पता
   (स) जारी क्रिया-कलाप/उधोग/कार्य
3. प्रबन्धक या संस्थान के प्रबंध या नियंत्रण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का पूरा नाम:
4. वर्ष के दौरान संस्थान मे कार्य करने वाले ठेकेदारो कि संख्या (अनुबंध मे विवरण दे):
5. कार्य/क्रिया-कलाप, जिसमे ठेका श्रमिक कम कर रहे है, की प्रकृति:
6. वर्ष के दौरान ठेका श्रमिकों को नियुक्त किए गए दिनो की संख्या:
7. वर्ष के दौरान ठेका श्रमिकों द्वारा कार्य किए गए कार्यदिवसों की संख्या:
8. वर्ष के दौरान किसी भी दिन सीधे नियुक्त किए गए अधिकतम कामगारों की संख्या:
9. कामगारों को सीधे नियुक्त किए जाने वाले दिनो की संख्या:
10. सीधे नियुक्त कामगारों द्वारा किए गए कार्यदिवसों की संख्या:
11. संस्थान के प्रबंधन, जगह या दूसरे विवरण जो पंजीकरण आवेदन के साथ पंजीकरण अधिकारी को प्रस्तुत किया गया था मे बदलाव, यदि कोई हो, दिनांक के साथ:

मूल नियोक्ता

स्थान.....

दिनांक.....

फार्म XXV का अनुबंध

ठेकेदार का नाम व पता	ठेके की अवधि		कार्य की प्रकृति	प्रत्येक ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मियों की अधिकतम संख्या	कार्य किए गए दिनों की संख्या	कार्य किए गए कार्यदिवसों की संख्या
	से	*तक*				
1	2		3	4	5	6

परिशिष्ट - V

फार्म XXIV

[नियम 82(1) देखें]

ठेकेदारों द्वारा अनुज्ञप्ति अधिकारी को भेजा जाने वाला विवरणी

अर्ध-वार्षिक .....को समाप्त

1 ठेकेदार का नाम व पता

2 संस्थान का नाम व पता

3 मूल नियोक्ता का नाम व पता

4 ठेके की अवधि: .....से.....तक

5 छमाही के दौरान दिनों की संख्या, जिसमे

अ) मूल नियोक्ता के संस्थान मे काम हुआ

ब) ठेकेदार के संस्थान मे काम हुआ

6 छमाही के दौरान किसी भी दिन नियुक्त ठेका श्रमिकों की अधिकतम संख्या

आदमी औरत बच्चे कुल

7 (i) दैनिक कार्य के घंटे तथा अवधि

(ii) (अ) क्या साप्ताहिक छुट्टी मनाई जाती है किस दिन

(ब) यदि हाँ, तो कितना वेतन मिलता है

(iii) अधि-समय कार्य के मानव घंटों की संख्या

8 कार्य किए गए मानव-दिवसों की संख्या-

आदमी औरत बच्चे कुल

9 भुगतान किए गए वेतन की रकम-

आदमी औरत बच्चे कुल

10 वेतन से कटौती की रकम, यदि कोई हो-

आदमी औरत बच्चे कुल

11 क्या निम्नलिखित उपलब्ध कराया गया है-

(i) कैंटीन

(ii) विश्राम-गृह

(iii) पीने का पानी

(iv) क्रेश

(v) प्राथमिक चिकित्सा

यदि हाँ, उपलब्ध कराये गए स्तर संक्षेप मे बतायें

स्थान:.....

ठेकेदार का हस्ताक्षर:

दिनांक.....

परिशिष्ट - VI

फार्म XII

[संविदा श्रम (विनियमन व उन्मूलन) अधिनियम 1970 का नियम 74]

ठेकेदारों का खाता

1. मूल नियोक्ता का नाम व पता.....
2. संस्थान का नाम व पता.....

क्रम संख्या	ठेकेदार का नाम व पता	ठेके पर कार्य की प्रकृति	ठेके के कार्य का स्थान	ठेके की अवधि		ठेकेदार द्वारा नियुक्त कामगारों की अधिकतम संख्या
				...से	....तक	

अनुबंध 2.1 (पैरा 2.1, 2.1.2, 2.2.4, 2.3.1, 2.3.2)

सी.एल.आर.ए.,1970 तथा सी.एल.आर.आर., 1971 के प्रावधानों के अनुसार, वैसे संविदाओ की संख्या, जिसमे, मूल नियोक्ता का श्रम कार्यालय मे रजिस्ट्रेशन तथा आवश्यक रिटर्न को जमा कराया गया तथा ठेकदारों द्वारा कार्यस्थल पर मूलभूत सुविधाओं का प्रावधान किया गया

क्षेत्रीय रेलवे	जांच की गयी संविदाओ की कुल संख्या	श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत मूल नियोक्ता		मूल नियोक्ता द्वारा श्रम विभाग को प्रस्तुत विवरणी			ठेकेदारों ने श्रम विभाग को विवरणी प्रस्तुत की			आराम कमरों के प्रावधान				पीने के पानी, शौचालय बुनियादी प्रावधानें		
		हां	*नहीं*	*हां*	*नहीं*	*अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये*	*हां*	*नहीं*	*अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये*	*हां*	*आराम कमरों की आवश्यकता नहीं है (क्योंकि 8 घंटो की शिफ्ट है)*	*अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये*	*उपलब्ध नहीं किए गये*	*ठेकेदारों से मिले*	*रेल में मिले*	*अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
देखें		*पैरा 2.1*			*पैरा 2.1.2*			*पैरा 2.2.4*				*पैरा 2.3.1*			*पैरा 2.3.2*	
उ.म.रे	105	2	103	0	105	0	0	105	0	0	105	0	0	0	105	0
म.रे	105	105	0	6	97	2	1	25	79	14	82	2	7	31	59	15
पू.रे	75	8	67	0	75	0	0	उपलब्ध नहीं	75	0	75	0	0	0	11	64
उ.रे	75	3	72	6	69	0	0	75	0	0	75	0	0	0	60	15
उ.प.रे	34	0	34	0	34	0	0	34	0	0	34	0	0	0	34	0
द.प.रे	46	15	31	0	उपलब्ध नहीं	46	0	46	0	0	0	46	0	0	45	1
आरपीयू/मैट्रो	11	7	4	0	उपलब्ध नहीं	11	0	उपलब्ध नहीं	11	0	0	11	0	0	10	1
डीएलडब्लयू	6	0	6	0	उपलब्ध नहीं	6	0	उपलब्ध नहीं	6	0	0	6	0	0	6	0
सीएलडब्ल्यू	6	0	6	0	उपलब्ध नहीं	6	0	उपलब्ध नहीं	6	0	0	6	0	0	2	4
कुल	**463**	**140**	**323**	**12**	**380**	**71**	**1**	**285**	**177**	**14**	**371**	**71**	**7**	**31**	**332**	**100**

अनुबंध 2.2 (पैरा 2.2)

क्षेत्रीय संविदाओ के प्रारंभ होने से पहले श्रम कार्यालय के अपेक्षित लाइसेंस के ठेके की स्थिति दिखाते हुए विवरण

क्षेत्रीय रेलवे	ठेकेदारों की संख्या जहां ठेकेदार ने संविदा शुरू होने से पहले लाइसेंस प्राप्त किया	संविदाओ की संख्या जहां ठेकेदार ने संविदा शुरू होने के बाद लाईसेंस प्राप्त किया था	संविदाओ की संख्या जहां ठेकेदार द्वारा लाईसेंस प्राप्त नहीं किया गया था	संविदाओ की संख्या जहां लेखापरीक्षा को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये	कुल	संविदा शुरू होने के बाद लाइसेंस की प्राप्ती में देरी (दिनों में)	
						न्यूनतम	अधिकतम
उ.म.रे	4	9	37	55	**105**	42	312
म.रे	13	16	13	63	**105**	2	240
पू.रे	1	8	9	57	**75**	56	260
उ.रे	11	2	58	4	**75**	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
उ.प.रे	1	11	21	1	**34**	23	175
द.प.रे	2	3	24	17	**46**	63	750
आरपीयू/मैट्रो	0	1	6	4	**11**	210	210
डीएलडब्लयू	0	0	4	2	**6**	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
सीएलडब्ल्यू	2	0	0	4	**6**	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
कुल	**34**	**50**	**172**	**207**	**463**	**2**	**750**

अनुबंध 2.3 (पैरा 2.4)

चुनी गयी संविदाओ मे कार्यकर्ता को दिये गए भुगतान का विवरण

क्षेत्रीय रेलवे	संविदाओ की संख्या जहां रेल प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया भुगतान	संविदाओ की संख्या जहां रेल प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में किया गया भुगतान	संविदाओ की संख्या जहां बैंक के भुगतान के कारण धारा लागू नहीं है	संविदाओ की संख्या जहां लेखापरीक्षा को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये	कुल	मूल नियोक्ता को ठेकेदार द्वारा भेजी राशि का भुगतान संबंधित सूचना अभिलेख में उपलब्ध नहीं हैं	श्रमिक को देय भुगतान ऐव कम भुगतान की स्थिति मे मूल नियोक्ता द्वारा ठेकेदार से वसूली संबन्धित निर्देश /प्रक्रिया का पालन नहीं पाया गया	मजदूरी की अदायगी के समय उपस्थित होने के लिए अधिकृत प्रतिनिधि का नामांकन नहीं देखा गया
उ.म.रे	10	23	12	60	**105**	105	105	105
म.रे	16	24	29	36	**105**	105	105	105
पू.रे	4	10	5	56	**75**	75	75	75
उ.रे	17	35	15	8	**75**	75	75	75
उ.प.रे	2	6	13	13	**34**	34	34	34
द.प.रे	5	5	6	30	**46**	46	46	46
आरपीयू/मैट्रो	1	0	2	8	**11**	11	11	11
डीएलडब्लयू	2	3	0	1	**6**	6	6	6
सीएलडब्ल्यू	1	5	0	0	**6**	6	6	6
कुल	**58**	**111**	**82**	**212**	**463**	463	463	463

अनुबंध 2.4 (पैरा 2.4)				
श्रमिकों को मजदूरी भुगतान का विवरण				
क्षेत्रीय रेलवे	संविदाओ की संख्या जहां बैंक मजदूरी भुगतान द्वारा किये गये	संविदाओ की संख्या जहां मजदूरी भुगतान नकद में किये गये	संविदाओ की संख्या जहां मजदूरी भुगतान के अभिलेख उपलब्ध नहीं है	कुल
उ.म.रे	12	33	60	**105**
म.रे	29	40	36	**105**
पू.रे	5	14	56	**75**
उ.रे	15	52	8	**75**
उ.प.रे	13	8	13	**34**
द.प.रे	6	10	30	**46**
आरपीयू/मैट्रो	2	1	8	**11**
डीएलडब्लयू	0	5	1	**6**
सीएलडब्ल्यू	0	6	0	**6**
कुल	**82**	**169**	**212**	**463**

अनुबंध 2.5 (पैरा 2.4)					
ठेकेदार द्वारा प्रदर्शित नोटिस का विवरण					
क्षेत्रीय रेलवे	संविदाओ की संख्या जहां नोटिस का प्रदर्शन हुआ	संविदाओ की संख्या जहां नोटिस का प्रदर्शन नहीं हुआ	संविदाओ की संख्या जहां नोटिस का प्रदर्शन लागू नहीं है	संविदाओ की संख्या जहां लेखापरीक्षा को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये	कुल
उ.म.रे	1	92	2	10	**105**
म.रे	1	44	53	7	**105**
पू.रे	11	6	0	58	**75**
उ.रे	25	34	16	0	**75**
उ.प.रे	1	32	0	1	**34**
द.प.रे	4	3	23	16	**46**
आरपीयू/मैट्रो	0	10	0	1	**11**
डीएलडब्लयू	0	4	0	2	**6**
सीएलडब्ल्यू	2	0	0	4	**6**
कुल	**45**	**225**	**94**	**99**	**463**

अनुबंध 2.6 (पैरा 2.5)

ठेकेदार द्वारा पंजीकृत मजदूरी/अस्थिति रखरखाव की स्थिति का विवरण

क्षेत्रीय रेलवे	संविदाओ की संख्या जहां मस्टर रोल/उपस्थिती पंजी अनुरक्षित है			संविदाओ की संख्या जहां कटौती मजदूरी पंजी अनुरक्षित है			संविदाओ की संख्या जहां कटौती पंजी अनुरक्षित है			संविदाओ की संख्या जहां ओवरटाइम पंजी अनुरक्षित है			संविदाओ की संख्या जहां जुर्माना पंजी अनुरक्षित है			संविदाओ की संख्या जहां अग्रिम राशि की पंजी अनुरक्षित है			संविदाओ की संख्या जहां मजदूरी पर्ची अनुरक्षित है		
	हां	नहीं	लागू नही	हां	नहीं	लागू नही	हां	नहीं	लागू नही	हां	नहीं	लागू नही	हां	नहीं	लागू नही	हां	नहीं	लागू नही	हां	नहीं	लागू नही
उ.म.रे	23	21	61	14	30	61	1	43	61	0	44	61	0	44	61	0	44	61	2	42	61
म.रे	54	51	0	38	67	0	2	103	0	4	101	0	2	103	0	2	103	0	15	90	0
पू.रे	1	16	58	0	17	58	0	17	58	0	17	58	0	17	58	0	17	58	0	17	58
उ.रे	46	13	16	30	29	16	0	59	16	0	59	16	0	59	16	0	59	16	0	59	16
उ.प.रे	24	10	0	22	12	0	0	34	0	0	34	0	0	34	0	0	34	0	0	34	0
द.प.रे	11	0	35	11	0	35	0	5	41	0	5	41	0	5	41	0	5	41	1	4	41
आरपीयू/मैट्रो	5	0	6	5	0	6	0	0	11	0	0	11	0	0	11	0	0	11	0	0	11
डीएलडब्लयू	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0	6
सीएलडब्ल्यू	0	1	5	2	1	3	0	1	5	0	1	5	0	1	5	0	1	5	0	0	6
कुल	**164**	**112**	**187**	**122**	**156**	**185**	**3**	**262**	**198**	**4**	**261**	**198**	**2**	**263**	**198**	**2**	**263**	**198**	**18**	**246**	**199**

अनुबंध 2.7 (पैरा 2.6.1)						
ठेकेदारों द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का अनुपालन						
क्षेत्रीय रेलवे	संविदाओ की संख्या जहां न्यूनतम मजदूरी भुगतान दिए गए	संविदाओ की संख्या जहां न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं दिए गए	कॉलम 3 में वर्णित संविदाओ में तैनात मजदूरों की संख्या	कम भुगतान के कुल राशि w.r.t. लेखापरीक्षा द्वारा मूल्यांकित न्यूनतम मजदूरी (₹ करोड़ में)	संविदाओ की संख्या जहां न्यूनतम मजदूरी के भुगतान संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं है	संविदाओ की कुल संख्या
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
उ.म.रे	19	38	448	1.93	48	**105**
म.रे	39	27	603	2.2	39	**105**
पू.रे	2	3	68	0.14	70	**75**
उ.रे	25	39	1025	1.01	11	**75**
उ.प.रे	5	16	1087	3.93	13	**34**
द.प.रे	9	5	55	0.022	32	**46**
आरपीयू/मैट्रो	4	1	24	0.0003	6	**11**
डीएलडब्लयू	0	0	0	0	6	**6**
सीएलडब्ल्यू	2	0	0	0	4	**6**
कुल	**105**	**129**	**3310**	**9.2323**	**229**	**463**

अनुबंध 2.8 (पैरा 2.6.2)

ठेकेदारों द्वारा मजदूरों को साप्ताहिक आराम में कम भुगतान का विवरण

क्षेत्रीय रेलवे	संविदाओ की संख्या जहां साप्ताहिक आराम का कम भुगतान किया गया	कॉलम 2 में वर्णित संविदाओ में तैनात मजदूरो की संख्या	लेखापरीक्षा द्वारा मूल्यांकित न्यूनतम मजदूरी की कुल राशि (₹ करोड़ में)	संविदाओ की संख्या जहां साप्ताहिक आराम का भुगतान देखा गया	संविदाओ की संख्या जहां साप्ताहिक आराम पर कम भुगतान अनिर्धारित है	संविदाओ की संख्या जहां लेखापरीक्षा को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये	कुल अनुबंध
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
उ.म.रे	17	738	2.15	28	1	59	**105**
म.रे	17	506	1.35	22	18	48	**105**
पू.रे	0	0	0	4	1	70	**75**
उ.रे	1	7	0.0004	52	20	2	**75**
उ.प.रे	19	1296	1.89	2	0	13	**34**
द.प.रे	4	147	0.025	9	2	31	**46**
आरपीयू/मैट्रो	4	51	0.0007	1	0	6	**11**
डीएलडब्लयू	0	0	0	0	0	6	**6**
सीएलडब्ल्यू	0	0	0	2	0	4	**6**
कुल	**62**	**2745**	**5.4161**	**120**	**42**	**239**	**463**

अनुबंध 2.9 (पैरा 2.6.3)						
विश्राम के दिन ज्यादा समय काम करने में किए भुगतान का विवरण (विश्राम के दिन काम करने के लिये दुगुना भुगतान)						
क्षेत्रीय रेलवे	संविदाओ की संख्या जहां ठेकेदार द्वारा ना ही विश्राम के दिन प्रदान कराये गये ना विश्राम के दिन काम करने पर दुगुना भुगतान किया गया	कॉलम 2 में वर्णित संविदाओ में तैनात मजदूरों की संख्या	लेखापरीक्षा द्वारा मूल्यांकन रूप में विश्राम दिन या कम भुगतान की कुल संख्या (₹ करोड़ में)	संविदाओ की संख्या जहां विश्राम दिन प्रदान किए	संविदाओ की संख्या जहां विश्राम के दिन काम करने संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये	कुल संविदाएं
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
उ.म.रे	21	425	0.54	37	47	**105**
म.रे	4	121	0.03	14	87	**105**
पू.रे	0	0	0	4	71	**75**
उ.रे	8	312	0.1	65	2	**75**
उ.प.रे	12	928	3.73	10	12	**34**
द.प.रे	4	37	0.009	10	32	**46**
आरपीयू/मैट्रो	0	0	0	6	5	**11**
डीएलडब्लयू	0	0	0	0	6	**6**
सीएलडब्ल्यू	0	0	0	0	6	**6**
कुल	**49**	**1823**	**4.409**	**146**	**268**	**463**

अनुबंध 2.10 (पैरा 2.6.4)						
दिन में 9 घंटे से ज्यादा काम करने वाले अनुबंध श्रम को कम भुगतान का विवरण						
क्षेत्रीय रेलवे	संविदाओ की संख्या जहां दिन में 9 घंटे से ज्यादा ओवरटाइम काम करनेवालों को सामान्य दर से दुगुना भुगतान नहीं किया गया	कॉलम 2 में वर्णित संविदाओ में तैनात मजदूरों की संख्या	लेखापरीक्षा द्वारा मूल्यांकन किए गए अतिरिक्त तैनाती घंटे के लिए कम भुगतान की कुल संख्या (₹ करोड़ मे)	संविदाओ की संख्या जहां दिन में 9 घंटे से ज्यादा ओवरटाइम काम करनेवालों को सामान्य दर से दुगुना भुगतान नहीं किया गया	संविदाओ की संख्या जहां दिन में 9 घंटे से ज्यादा ओवरटाइम काम करनेवालों को सामान्य दर से दुगुना भुगतान नहीं किया गया लेखापरीक्षा को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये	कुल
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
उ.म.रे	17	31	0.18	37	51	**105**
म.रे	7	662	0.71	43	55	**105**
पू.रे	0	0	0	1	74	**75**
उ.रे	6	137	0.85	69	0	**75**
उ.प.रे	0	0	0	8	26	**34**
द.प.रे	0	0	0	27	19	**46**
आरपीयू/मैट्रो	0	0	0	6	5	**11**
डीएलडब्लयू	0	0	0	0	6	**6**
सीएलडब्ल्यू	0	0	0	2	4	**6**
कुल	**30**	**830**	**1.74**	**193**	**240**	**463**

अनुबंध 3.1 (पैरा 3.2.1 और 3.2.2)

संविदाओ की स्थिति दिखाते हुए पीएफ कोड प्राप्ति का विवरण

क्षेत्रीय रेलवे	संविदाओ की संख्या जहां ठेकेदारों द्वारा पीएफ कोड लिए गये	मुख्या नियुक्ता द्वारा आश्वासन			कुल	ठेकेदारों की जिम्मेदारी			
		संविदाओ की संख्या जहां रेल प्रशासन ने संविदा देने से पहले ठेकेदारों की ईपीएफ संख्या के बारे में खुद को आश्वस्त किया	ईपीएफ संख्या का आश्वासन रेल प्रशासन को संविदा देने से पहले और बाद में	संविदाओ की संख्या जहां पीएफ कोड से संबंधित अभिलेख उपलब्धी लेखापरीक्षा को लागू नहीं किया		संविदाओ की संख्या जहां पीएफ कोड अभिलेखों में उपलब्ध है	संविदाओ की संख्या जहां पीएफ कोड अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है	संविदाओ की संख्या जहां पीएफ कोड से संबंधित अभिलेखों की उपलब्धी लेखापरीक्षा को लागू नहीं की गयी	कुल
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
उ.म.रे	8	0	8	97	**105**	9	96	0	**105**
म.रे	0	0	0	105	**105**	17	0	88	**105**
पू.रे	0	0	0	75	**75**	0	0	75	**75**
उ.रे	0	0	0	75	**75**	0	0	75	**75**
उ.प.रे	20	20	0	14	**34**	20	0	14	**34**
द.प.रे	0	0	0	46	**46**	0	0	46	**46**
आरपीयू/मैट्रो	4	0	4	7	**11**	0	0	11	**11**
डीएलडब्लयू	0	0	0	6	**6**	0	0	6	**6**
सीएलडब्ल्यू	0	0	0	6	**6**	0	0	6	**6**
कुल	32	20	12	431	463	46	96	321	463

अनुबंध 3.2 (पैरा 3.1.4)

कर्मचारियों के भविष्य निधि के लिए कटौती/गैर कटौती/कम कटौती दिखाते विवरण

क्षेत्रीय रेलवे	संविदा जिसमें नियम के तहत पीएफ की कटौती की गयी है	अनुबंध जिसमें कम पीएफ कटौती की गयी है	कॉलम 3 में वर्णित संविदाओ में तैनात मजदूरों की संख्या	कम कटौती की राशि (करोड़ों में)	संविदा जहां पीएफ कटौती नहीं की गयी है	कॉलम 6 में वर्णित संविदाओ में तैनात मजदूरों की संख्या	कटौती न की गई पीएफ की राशि का लेखापरीक्षा द्वारा मूल्यांकन (करोड़ में)	संविदा जिसके अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये	संविदाओ की कुल संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उ.म.रे	6	2	28	0.006	69	1133	1.79	28	**105**
म.रे	21	0	0	0	3	181	0.05	81	**105**
पू.रे	0	1	73	0.08	0	0	0	74	**75**
उ.रे	4	2	76	0.005	21	776	0.04	48	**75**
उ.प.रे	1	13	951	0.05	10	298	0.04	10	**34**
द.प.रे	0	4	162	0.003	0	0	0	42	**46**
आरपीयू/मैट्रो	0	0	0	0	0	0	0	11	**11**
डीएलडब्लयू	0	0	0	0	0	0	0	6	**6**
सीएलडब्ल्यू	0	0	0	0	0	0	0	6	**6**
कुल	**32**	**22**	**1290**	**0.144**	**103**	**2388**	**1.92**	**306**	**463**

अनुबंध 3.3 (पैरा 3.1.4)

कर्मचारियों के भविष्य निधि के लिए योगदान /कम योगदान/गैर योगदान का विवरण

क्षेत्रीय रेलवे	संविदाओ की संख्या जहां इपीएफएस1952 प्रावधान के तहत पीएफ का योगदान किया गया	संविदाओ की संख्या जहां पीएफ योगदान मे कमी है	कॉलम 3 में वर्णित संविदाओ में तैनात मजूदरों की संख्या	लेखापरीक्षा के मूल्यांकन में पीएफ राशि में कम योगदान (₹ करोड़ में)	संविदाओ की संख्या जहां पीएफ का योगदान नहीं किया गया	कॉलम 6 में वर्णित संविदाओ में तैनात मजदूरों की संख्या	कटौती नहीं की गई पीएफ की राशि का मूल्यांकन (₹ करोड़ में)	संविदाओ की संख्या जहां लेखापरीक्षा को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये	संविदाओ की कुल संख्या
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
उ.म.रे	3	3	113	0.115	70	1074	2.02	29	105
म.रे	21	0	0	0	3	181	0.05	81	105
पू.रे	0	1	73	0.09	0	0	0	74	75
उ.रे	5	2	76	0.02	21	653	0.07	47	75
उ.प.रे	0	14	1101	0.13	10	298	0.04	10	34
द.प.रे	0	4	162	0.004	0	0	0	42	46
आरपीयू/मैट्रो	0	0	0	0	0	0	0	11	11
डीएलडब्लयू	0	0	0	0	0	0	0	6	6
सीएलडब्ल्यू	0	0	0	0	0	0	0	6	6
कुल	**29**	**24**	**1525**	**0.36**	**104**	**2206**	**2.18**	**306**	**463**

अनुबंध 4.1 (पैरा 4.2)

कर्मचारियों से ई.एस.आई. में योगदान की कटौती के विवरण

क्षेत्रीय रेलवे	संविदाओ की संख्या जहां कर्मचारी से ईएसआई की कटौती करके ईएसआईसी में जमा करते है	संविदाओ की संख्या जहां कर्मचारियों से ईएसआई की कम कटौती कि गई है (कॉलम 2 में दिये संविदाओ से)	कॉलम 3 में वर्णित संविदाओ मे तैनात मजदूरों की संख्या	लेखापरीक्षा द्वारा किए गये मूल्यांकन में ईएसआई योगदान की राशि की कम कटौती (₹ करोड़ में)	संविदाओ की संख्या जहां कर्मचारियों से ईएसआई योगदान की कटौती नहीं की गयी	कॉलम 6 में वर्णित संविदाओ मे तैनात मजदूरों की संख्या	कटौती नहीं की गई ईएसआई की राशि का लेखापरीक्षा द्वारा मूल्यांकन (₹ करोड़ में)	संविदाओ की संख्या जहां लेखापरीक्षा को कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये	कुल
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
उ.म.रे	14	3	96	0.016	64	978	0.166	27	105
म.रे	14	1	179	0.0001	7	46	0.046	84	105
पू.रे	5	0	0	0	0	0	0	70	75
उ.रे	24	1	13	0.0002	6	175	0.003	45	75
उ.प.रे	14	1	34	0.0002	2	171	0.0018	18	34
द.प.रे	6	6	181	0.00063	1	15	0.0003	39	46
आरपीयू/मैट्रो	4	0	0	0	0	0	0	7	11
डीएलडब्लयू	0	0	0	0	0	0	0	6	6
सीएलडब्ल्यू	0	0	0	0	0	0	0	6	6
कुल	**81**	**12**	**503**	**0.02**	**80**	**1385**	**0.22**	**302**	**463**

अनुबंध 4.2 (पैरा 4.2)

ई. एस. आई. में कर्मचारियों के योगदान दिखाते हुए संविदाओ की स्थिति का विवरण

क्षेत्रीय रेलवे	संविदाओ की संख्या जहां कर्मचारी से योगदान लिया गया	संविदाओ की संख्या जहां योगदान कम कर दिया (कॉलम 2 के संविदाओ से)	कॉलम 3 में वर्णित संविदाओ मे तैनात मजदूरों की संख्या	लेखापरीक्षा द्वारा किए गये मूल्यांकन में ईएसआई की राशि का कम योगदान (₹ करोड़ में)	संविदाओ की संख्या जहां नियोक्ता ने योगदान नहीं दिया	कॉलम 6 में वर्णित संविदाओ मे तैनात मजदूरों की संख्या	कटौती नहीं की गई ईएसआई की राशि का लेखापरीक्षा द्वारा मूल्यांकन (₹ करोड़ में)	संविदाओ की संख्या जहां लेखापरीक्षा को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये	कुल
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
उ.म.रे	1	1	4	0.0003386	76	1162	0.56	28	105
म.रे	14	2	148	0.0036	7	327	0.13	84	105
पू.रे	5	0	0	0	0	0	0	70	75
उ.रे	5	0	0	0	0	0	0	70	75
उ.प.रे	9	1	34	0.0006087	4	407	0.016	21	34
द.प.रे	6	6	181	0.0017064	1	15	0.001	39	46
आरपीयू/मैट्रो	0	0	0	0	0	0	0	11	11
डीएलडब्लयू	0	0	0	0	0	0	0	6	6
सीएलडब्ल्यू	0	0	0	0	0	0	0	6	6
कुल	**40**	**10**	**367**	**0.01**	**88**	**1911**	**0.71**	**335**	**463**

अनुबंध 5.1 (पैरा 5.1)				
अनुबंध में जानकारी की सारांशित स्थिति (संविदाए जिसमे श्रमिकों की संख्या आंकलन मे शामिल हैं।				
क्षेत्रीय रेलवे	टेस्ट चेक किए गए संविदाओ की संख्या	संविदाओ की संख्या जहां मजदूरों की संख्या अनुमानित है	संविदाओ की संख्या जहां मजदूरों की संख्या अनुमानित नहीं है	संविदाओ की संख्या जहां अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये ।
1	*2*	*3*	*4*	*5*
उ.म.रे	105	26	21	58
म.रे	105	21	83	1
पू.रे	75	42	0	33
उ.रे	75	62	13	0
उ.प.रे	34	14	17	3
द.प.रे	46	17	0	29
आरपीयू/मैट्रो	11	4	6	1
डीएलडब्लयू	6	4	0	2
सीएलडब्ल्यू	6	0	0	6
कुल	**463**	**190**	**140**	**133**

अनुबंध 5.2 (पैरा 5.1)

अनुमानित कर्मचारियों और सामग्री को अलग-अलग दिखाते विवरण

क्षेत्रीय रेलवे	संविदाओ की संख्या जहां अनुमान किए गए कर्मचारियों की संख्या से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये	संविदाओ की संख्या जहां अनुमान किए गए कर्मचारियों की संख्या से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए	उन संविदाओ की संख्या जहां अनुमान मे श्रम और सामग्री अलग-अलग , 190 में से अन्य घटको के साथ जोड़ा गया	संविदा जहां श्रम और सामग्री का अन्य घटकों के साथ आंकलन कम पाया गया			
				संविदाओ की संख्या	लेखापरीक्षा द्वारा किया गया मूल्य का मूल्यांकन (₹ करोड़ में)	रेलवे का आंकलित मूल्य (₹ करोड़ में)	संक्षिप्त अनुमान (₹ करोड़ में)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
उ.म.रे	58	26	17	आर	11.53	8.14	3.39
म.रे	1	21	11	7	4.57	4.28	0.29
पू.रे	33	42	0	0	0	0	0
उ.रे	0	62	48	25	25.09	20.35	4.74
उ.प.रे	3	14	14	13	13.46	10.51	2.95
द.प.रे	29	17	15	8	10.99	10.43	0.56
आरपीयू/मैट्रो	1	4	3	3	0.72	0.65	0.07
डीएलडब्लयू	2	4	0	0	0	0	0
सीएलडब्ल्यू	6	0	0	0	0	0	0
कुल	**133**	**190**	**108**	**56**	**66.36**	**54.36**	**12**

© भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in